



कॉर्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री अनंत मोहन सिंह [डीआईएन: 03594804]	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [26.12.2023 से प्रभावी]
श्री राजिंदर सिंह मनकू [डीआईएन: 09706881]	- निदेशक (योजना)
श्री संजय वर्मा [डीआईएन: 10373225]	- निदेशक (वित्त) [29.11.2023 से प्रभावी]
श्री विजय मित्तल [डीआईएन: 09548096]	- नामांकित निदेशक, भारत सरकार
श्री आदित्य कुमार घोष [डीआईएन: 09222808]	- नामांकित निदेशक, भारत सरकार
श्री ओम प्रकाश मित्तल [डीआईएन: 00512243]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री सुंदर पाल सिंह [डीआईएन: 09438081]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती नमिता देवी उर्फ श्रीमती लवली गुप्ता [डीआईएन: 07436235]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

लेखा परीक्षा समिति

श्री ओम प्रकाश मित्तल, अध्यक्ष
श्रीमती नमिता देवी
श्री सुंदर पाल सिंह

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री सुन्दर पाल सिंह, अध्यक्ष
श्री आदित्य कुमार घोष
श्री ओम प्रकाश मित्तल

हितधारक संबंध समिति

श्रीमती नमिता देवी, अध्यक्ष
श्री संजय वर्मा
श्री ओम प्रकाश मित्तल
श्री सुन्दर पाल सिंह

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष
श्री राजिंदर सिंह मनकू
श्री संजय वर्मा
श्री ओम प्रकाश मित्तल
श्रीमती नमिता देवी

कार्यात्मक निदेशकों की समिति

श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष
श्री राजिंदर सिंह मनकू
श्री संजय वर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री संजय वर्मा [13.02.2024 से प्रभावी]

कंपनी सचिव

श्रीमती सुचरिता दास
(आईसीएसआई सदस्यता संख्या F5159)

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
383, लेक गार्डन, पहली मंजिल,
कोलकाता - 700 045
टेलीफोन: (033) 4072 4051/4052/4053
फैक्स: (033) 4072 4050
ईमेल: mcssta@rediffmail.com

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
"कॉमर्स हाउस"
2, गणेश चंद्र एवेन्यू, पहली मंजिल, कमरा नंबर 9,
कोलकाता - 700013

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स ए के लाभ एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
40, वेस्टन स्ट्रीट, तीसरी मंजिल,
कोलकाता - 700013

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स डीजीएम एवं एसोसिएट्स,
लागत लेखाकार,
64, बी बी गांगुली स्ट्रीट (दूसरी मंजिल),
कोलकाता - 700 012

पंजीकृत कार्यालय

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
टेलीफोन: (033) 2242 8210/ 8550
फैक्स: (033) 2242 9770
वेबसाइट: www.andrewyule.com
ईमेल: com.sec@andrewyule.com
सीआईएन- L63090WB1919GOI003229

बैंकर्स

इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
करूर वैश्य बैंक

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

404, गुरु अंगद भवन,
71, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली - 110019

ध्यान दें: इस रिपोर्ट में कहीं भी निर्दिष्ट किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, जैसा भी मामला हो, उसके नाम के सामने उल्लिखित निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सदस्यता संख्या के साथ पढ़ा जाएगा।



दृष्टि

निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से "YULE" को एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करना।

उद्देश्य

- वित्त वर्ष 2027 तक एवाईसीएल को 700 करोड़ रुपये की कंपनी बनाना।
- टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए नए बाजार में प्रवेश करें।
- समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।

निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक



श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री राजिंदर सिंह मनकू
निदेशक (योजना)



श्री संजय वर्मा
निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री विजय मित्तल
संयुक्त. सचिव, एमएचआई




श्री आदित्य कुमार घोष
उप. सचिव, एमएचआई

स्वतंत्र निदेशक



श्री ओम प्रकाश मित्तल



श्री सुंदर पाल सिंह



श्रीमती नमिता देवी

विषय सूची	पृष्ठ
अध्यक्ष का वक्तव्य.....	5
सदस्यों को सूचना.....	7
बोर्ड की रिपोर्ट.....	18
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट.....	31
बोर्ड की रिपोर्ट के अन्य अनुलग्नक.....	35
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट.....	43
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट.....	69
एकल वित्तीय विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	91
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.....	107
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स.....	109
तुलन पत्र.....	123
लाभ एवं हानि का विवरण.....	124
नकदी प्रवाह का बयान.....	125
इक्विटी के परिवर्तनों का कथन.....	127
वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ.....	128
समेकित आर्थिक विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	157
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.....	172
वित्तीय विवरण के नोट.....	174
तुलन पत्र.....	188
लाभ एवं हानि का विवरण.....	189
नकदी प्रवाह का विवरण.....	190
इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण.....	192
वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ.....	193
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत एओसी-1 फॉर्म में विवरण.....	223

अध्यक्ष का वक्तव्य



श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की 76वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है, जिसमें कंपनी के वित्तीय, संचालन, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितताओं के बीच बना रहा, हालांकि चुनौतियों के बावजूद स्थिरता के संकेत मिले। रूस-यूक्रेन संघर्ष, गाजा और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव डाला। कई चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ने की संभावना है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता और विकास का प्रतीक बनी रही। आरबीआई के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि 8.2% रही।

वित्तीय प्रदर्शन:

- आपकी कंपनी की शुद्ध बिक्री वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर ₹305.29 करोड़ हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹372.04 करोड़ थी।
- कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹348.53 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹405.79 करोड़ थी।
- कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹(73.18) करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹8.98 करोड़ था।

संचालन प्रदर्शन:

चाय विभाग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, चाय विभाग ने काफी हानि उठाई। अक्टूबर 2023 में बुनियादी मजदूरी में ₹232 से ₹250 की वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण रही, जबकि मूल्य प्राप्ति इनपुट लागत में वृद्धि के साथ नहीं बनी रह सकी, जिससे चाय विभाग की लाभप्रदता पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में फंगल संक्रमण और अन्य द्वितीयक रोगों जैसे वायलेट ब्लाइट, रेड रस्ट, ब्लैक रोट आदि की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे फसल का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि, गुणवत्ता सुधार, बेहतर ब्रांड छवि, लागत नियंत्रण जैसे उपायों को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ वर्षों में इस इकाई के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पूरे भारत में खुदरा उपस्थिति बढ़ाई जाएगी। विभिन्न प्रमाणपत्रों के साथ, एवाईसीएल चाय (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) और ई-कॉमर्स आउटलेट्स के माध्यम से, विभाग अपने ब्रांड इक्विटी और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। एवाईसीएल का चाय विभाग गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर जोर दे रहा है। लगातार गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करके, वृद्धि की स्थिरता बनी रहेगी। एवाईसीएल इसे "भविष्य के लिए तैयार" बनाने के लिए टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) के साथ निकटता से काम कर रहा है।

इलेक्ट्रिकल-चेन्नई संचालन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रिकल-चेन्नई संचालन ने लाभ कमाया और उत्पादन में सुधार, लागत नियंत्रण आदि को ध्यान में रखते हुए अगले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इकाई ने कई राज्यों में ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए विपणन प्रयासों को बढ़ाया है और अधिक कार्य आदेश प्राप्त करने के लिए विभिन्न निविदाओं में भाग लिया है। अब इकाई अपने उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। ई-सीओ वर्तमान निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने और एक खाड़ी को विस्तारित करने की योजना बना रहा है। इकाई राजस्व बढ़ाने के लिए 3 (तीन) समानांतर उत्पादन लाइनों के साथ काम करेगी। वीपीडी (वाष्प चरण सुखाने इकाई), कॉइल वाइंडिंग के लिए धूल रहित संलग्नक और वर्टिकल वाइंडिंग मशीनों की स्थापना से इसके उत्पादों के लिए अधिक बाजार खंड खुलेंगे।

इंजीनियरिंग विभाग

इंजीनियरिंग डिवीजन ने वित्त वर्ष 24 में लाभ कमाया है और आने वाले वर्षों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि इन-हाउस उत्पादन में सुधार, विपणन प्रयासों में वृद्धि, उत्पाद सुधार और लागत नियंत्रण आदि के माध्यम से सुधार हुआ है। इंजीनियरिंग डिवीजन शेड (नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4) की मरम्मत करके वर्तमान विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि क्षेत्र को विनिर्माण गतिविधि के तहत लाया जा सके। इस प्रकार, प्लांट की क्षमता में 100 अतिरिक्त पंखे बढ़ेंगे। इससे उत्पाद मिश्रण के आधार पर वार्षिक राजस्व में 20 से 30 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। चक्र समय को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई अत्याधुनिक मशीनें लगाने की योजना है। इंजीनियरिंग डिवीजन वित्त वर्ष 2025-26 से वायु प्रदूषण नियंत्रण (APC) और जल प्रदूषण नियंत्रण (WPC) से व्यवसाय बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कई ग्राहकों की मांग के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करने वाले पंखों का परीक्षण करने के लिए 320kw मोटर के साथ नया टेस्ट बेड ऑर्डर इनटेक में सुधार करेगा। उच्च क्षमता वाले पंखों का अनुकरण और डिजाइन करने के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर का उन्नयन बाजार को और अधिक खोलेगा।



व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता: इस वर्ष, आपकी कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में अपना 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट' (बीआरएसआर) प्रकाशित किया है। बीआरएसआर 'उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' के सिद्धांतों के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन को इंगित करता है। यह सदस्यों को कंपनी की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन पहलों की जानकारी प्रदान करेगा।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस: आपकी कंपनी हमेशा सर्वोत्तम स्तर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ईमानदारी की शपथ, आचरण संहिता को अपनाना और एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा कंपनी के व्यावसायिक व्यवहारों की पारदर्शिता में योगदान देता है। एवाईसीएल भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन कर रहा है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरना, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं में से एक है, सरकार के स्तर पर प्रक्रिया में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालनों पर एक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई है। एवाईसीएल को कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से वित्तीय वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग मिली है और वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भी यही उम्मीद है।

समापन से पहले, निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे सम्मानित हितधारकों का उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने हमेशा हमें सबसे कठिन समय के दौरान आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

साथ ही, मैं कंपनी के निदेशक मंडल और भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई मूल्यवान मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहता हूँ, जो कंपनी का नेतृत्व ऊर्जा और उत्साह के साथ करने के लिए महत्वपूर्ण था। हम कंपनी के सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता की आशा करते हैं ताकि नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि की जा सके।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 सितंबर, 2024

अनंत मोहन सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L63090WB1919GOI003229

पंजीकृत कार्यालय: "यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001

दूरभाष: (033) 2242-8210/8550; फ़ैक्स: (033) 2242-9770

ई-मेल: com.sec@andrewyule.com ; वेबसाइट: www.andrewyule.com

सदस्यों को सूचना

सूचित किया जाता है कि एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 76 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") -अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय किए जाएंगे।

साधारण व्यवसाय:

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना। और इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
"यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्राप्त किए जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा और अपनाया जाएगा।"
- श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन: 09222808), अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्ति जारी रखने पर विचार करने के लिए इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा उनके आदेश F No. 10-10/9/2018-PE.I दिनांक 16 जून द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, 2021 और इस संबंध में आगे के आदेश, यदि कोई हों और निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उचित समझे जाएं तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:
"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार नियमों और शर्तों के अधीन इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जैसा कि भारत सरकार ने अपने आदेश एफ. संख्या 10-10/9/2018-पीई. दिनांक 16 जून, 2021 और इस संबंध में आगे के आदेश, यदि कोई हों, द्वारा निर्धारित किया है श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन: 09222808), एक निदेशक के रूप में उत्तरदायी है एवं उनके अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की नियुक्ति को जारी रखने के लिए मंजूरी दी जाएगी।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

4. एक सामान्य संकल्प के रूप में:

"यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें कोई भी संशोधन, संशोधन या बदलाव शामिल है, कंपनी इसके द्वारा मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 000038) को देय रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष और लागू कर, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक की पुष्टि करती है। जिन्हें 31 मार्च 2025" को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम, 2014 के तहत निर्धारित कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

"यह भी संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो सकते हैं।"

पंजीकृत कार्यालय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 14 अगस्त, 2024

बोर्ड की आज्ञानुसार
एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159

टिप्पणियाँ:

1. एजीएम में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की 76वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल (वीसी/ओएवीएम) माध्यमों से आयोजित की जाएगी। एजीएम की रिकॉर्ड की गई प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की जाएगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001 होगा।
3. सेबी परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, (ए) प्रॉक्सी फॉर्म, (बी) उपस्थिति पर्ची और (सी) रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं।
4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर रजिस्टर 21 सितंबर, 2024 (शनिवार) से 27 सितंबर, 2024 (शुक्रवार) तक बंद रहेंगे, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।
5. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति अपने पंजीकृत ईमेल पते com.sec@andrewyule.com पर ईमेल द्वारा भेजें।
6. भारत के राष्ट्रपति का एक अधिकृत प्रतिनिधि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है।
7. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले वीसी/ ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
8. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
9. मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 383 लोक गार्डन, पहली मंजिल, कोलकाता - 700045 को कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया गया है।
10. नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, इस एजीएम की सूचना और रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। सदस्य ध्यान दें कि उक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल (ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होगी।
11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के साथ धारा 139 (5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है तथा उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाता है। शेयरधारक बोर्ड को वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षकों के लिए उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जिसे बोर्ड उचित समझे।
12. एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को एक फोलियो में समेकित करने के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार को ऐसे फोलियो का विवरण भेजें।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत अनुमति के अनुसार, भौतिक रूप में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्य, अनुरोध है कि कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार निर्धारित फॉर्म एसएच-13 और एसएच-14 आरटीए के कार्यालय में जमा करें।
14. डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को उनके बैंक विवरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) अधिदेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, पते में बदलाव, नाम में बदलाव, ई-मेल पता, संपर्क नंबर आदि जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं, से संबंधित सभी परिवर्तनों की जानकारी देना डीपी को



सूचित किए गए परिवर्तन स्वचालित रूप से कंपनी के रिकॉर्ड में दिखाई देंगे, जिससे कंपनी और कंपनी के आरटीए को कुशल और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे बदलावों के बारे में कंपनी या कंपनी के आरटीए को सूचित करें।

15. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, वोट देने के हकदार होंगे।
16. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए इसे कंपनी के साथ पंजीकृत करें।
17. धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित परिश्रम करें और पते में किसी भी बदलाव या किसी सदस्य के निधन के बारे में जितनी जल्दी हो सके कंपनी को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और समय-समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।
18. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में प्रतिभूति धारकों के लिए पैन, केवाईसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवरण और फॉर्म कंपनी की वेबसाइट <http://www.andrewyule.com/forms-shareholders.php> पर उपलब्ध हैं।
19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, संशोधित अनुसार, दावा न किए गए लाभांश और वे शेयर जिनके संबंध में लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा न की गई हो, कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त के संदर्भ में, लाभांश और शेयर जिनके संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश पात्रता दावा नहीं की गई है, उन्हें केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है।
20. 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश और जिन शेयरों के संबंध में लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों तक दावा न की गई हो, उन्हें 24 अक्टूबर, 2024, 2 नवंबर, 2025 और 6 अक्टूबर, 2030 को क्रमशः निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के अनुसार केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश का जल्द से जल्द दावा किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसके संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा। कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है।
21. वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अतिरिक्त जानकारी, नोटिस का एक अभिन्न अंग है।
22. संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में किया जाएगा, इसलिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (एमसीएस) से संपर्क कर सकते हैं।
23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखा गया है, और नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।
24. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसारित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य com.sec@andrewyule.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।



25. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को तुरंत सूचित करें:
- स्थायी निवास के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
 - भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या और पिन कोड नंबर के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया हो।
26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जैसा कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथा संशोधित, भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस2) पर सचिवीय मानक और सेबी परिपत्रों के साथ पढ़े गए एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 76वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और व्यवसाय ई-वोटिंग सेवाएँ के माध्यम से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (सुबह 9 बजे) से शुरू होकर गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (शाम 5 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 सितंबर, 2024 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, 20 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।



डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	<p>1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभकारी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो "आईडीईएस" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएं देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुंच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2. यदि उपयोगकर्ता IDEAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDEAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div style="text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p>  </div>
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/ Easiest में लॉग इन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और New System Myeasi पर क्लिक करें।</p> <p>2. Easi/ Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर एक लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>



महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल जाएं और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डिजिटल यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdislindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेरधारकों के अलावा अन्य शेरधारकों के लिए लॉगिन विधि:

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ लॉन्च हो जाने पर, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।
वैकल्पिक रूप से, यदि आप NSDL eservices यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को धारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी:
a) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12***** होगी।
b) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है
c) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी से EVEN नंबर के बाद फोलियो नंबर पंजीकृत किया गया उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेरधारकों के अलावा अन्य शेरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
 - a) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - b) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
 - c) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर



है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - a) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प " **Forgot User Details/ Password?**" (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर हैं) पर क्लिक करें।
 - b) **Physical User Reset Password?** (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - c) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता नंबर/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - d) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" से सहमत हों" पर टिक करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें:

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं।
3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प यानी सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- i. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) वोट देने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ, संवीक्षक को aklabhcs@gmail.com पर ई-मेल द्वारा, एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर अंकित करके भेजनी आवश्यक है। वे अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/ पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
- ii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, evoting@nsdl.co.in या जारीकर्ता/RTA को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2024 तक शेयर रखते हैं, वे एजीएम के नोटिस में चरण 1 के तहत उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं: "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" (ऊपर)।
- iii. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रीसेट करने के लिए विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

- iv. रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड' अनुभाग के अंतर्गत शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से 022-4886 7000 पर या ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- v. श्री अतुल कुमार लाभ, मैसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस - 4848 / सीपी - 3238), कंपनी सचिव, को 75वीं एजीएम में मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- vi. 76वीं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे संबंधित बैठक में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।
- vii. संवीक्षक, सामान्य बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, सबसे पहले बैठक में पड़े वोटों की गिनती करें और इसके बाद कम से कम 2 (दो) गवाहों की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करें जो कंपनी के रोजगार में नहीं हैं और बैठक के समापन के 2 (दो) कार्य दिवसों से पहले नहीं करें पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और मतदान के परिणाम की तुरंत घोषणा करेगा।
- viii. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- ix. 20 सितंबर, 2024 तक शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग या 76वीं एजीएम में मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।
- x. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित होने पर तुरंत डाले जाएंगे और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को सूचित किए जाएंगे। जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, प्रदान करें, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) की स्कैन की हुई प्रति com.sec@andrewyule.com पर ईमेल करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंक लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति) com.sec@andrewyule.com पर भेजें।
3. यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन विधि देखें, यानी डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि।
4. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
5. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।



वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "सामान्य मीटिंग में शामिल हों" मेनू के अंतर्गत रखा गया "वीसी/ ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड में इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
5. जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अनुरोध भेजकर स्वयं को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं और वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 20 सितंबर, 2024 (5:00 बजे IST) के भीतर com.sec@andrewyule.com पर अग्रिम रूप से अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा इसका समुचित उत्तर दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
7. जब किसी पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी स्पीकरों से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/ कैमरा वाले डिवाइस से जुड़े रहें।
8. एजीएम के सुचारू संचालन के लिए, कंपनी के पास प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को, जैसा उचित हो, सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 14 अगस्त, 2024

बोर्ड की आज्ञानुसारं
एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1)
के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 260वां बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए 1,50,000/- रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये केवल) प्रति वर्ष और लागू करों के पारिश्रमिक पर लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म का पंजीकरण संख्या 000038) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत ऑडिटर को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(11) के अनुसार, संशोधित रूप में, 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) प्रति वर्ष और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म का पंजीकरण संख्या 000038) को देय लागू कर के पारिश्रमिक के अनुसमर्थन से संबंधित नोटिस के आइटम नंबर 5 के तहत साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु निर्धारित समाधान की सिफारिश करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1)(ए) के तहत निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, पारित होने के लिए प्रस्तावित इस प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 14 अगस्त, 2024

बोर्ड की आज्ञानुसार
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159



संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक - II के अनुसार 76वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण:

निदेशक का नाम	श्री आदित्य कुमार घोष
संक्षिप्त प्रोफाइल	श्री घोष वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित हैं और भारी उद्योग मंत्रालय में शामिल होने से पहले, वह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में तैनात थे।
जन्म तिथि (आयु वर्ष में)	25 दिसम्बर, 1964 (59 वर्ष)
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	09222808
नियुक्ति की तारीख	1 जुलाई, 2021
नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की शर्तें और पारिश्रमिक सहित नियम	जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है।
योग्यता	ग्रेजुएट
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	कानून और प्रशासन
स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं तथा जिस तरीके से प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	लागू नहीं
कंपनी में शेयरधारिता (व्यक्तिगत रूप से या लाभकारी आधार पर)	शून्य
अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची जिनमें निदेशक पद धारण किया	शून्य
पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा देने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची	शून्य
अन्य सभी सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड की समितियों का अध्यक्ष/सदस्य, जिनमें वह निदेशक है	शून्य
कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य	सदस्य - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का खुलासा	निदेशकों के बीच कोई संबंध साझा नहीं किया गया। कंपनी के किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई संबंध साझा नहीं किया गया।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के संचालन पर 76वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है:

1. वित्तीय मुख्य बिंदु:

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किए गए हैं:

(लाख रूपये में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
संचालन और अन्य परिचालन आय से राजस्व	30985.40	37403.60	30985.40	37403.60
अन्य आय	3867.26	3175.27	3867.28	3175.27
कुल राजस्व	34852.66	40578.87	34852.68	40578.87
कुल खर्च	42170.76	39680.64	42172.06	39681.64
असाधारण/असाधारण वस्तु और कर से पहले लाभ/(हानि)	(7318.10)	898.23	(7319.39)	897.23
असाधारण/असाधारण आइटम	--	--	--	--
असाधारण/असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ/(हानि)	(7318.10)	898.23	(7319.39)	897.23
कम: कर व्यय	(957.16)	780.76	(957.16)	780.76
असाधारण/असाधारण वस्तुओं के बाद और कर के बाद लाभ/(हानि)	(6360.94)	117.47	(6362.23)	116.47
कर के बाद बंद परिचालन से लाभ /	(61.15)	--	(61.15)	--
समूह कंपनियों से लाभ/(हानि) का हिस्सा	--	--	1675.94	1148.00
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(6422.09)	117.47	(4747.44)	1264.47
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	219.30	(184.56)	219.30	(184.56)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(6202.79)	(67.09)	(4528.15)	1079.90
लाभ और हानि: शेष राशि पिछले वर्ष से आगे लाई गई	5733.03	5793.40	25566.45	24479.84
जोड़ें: अवधि के लिए लाभ	(6422.09)	117.47	(4747.44)	1264.47
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	219.30	(184.56)	219.30	(184.56)
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	(469.76)	5726.33	21038.31	25559.75
कम: लाभांश और लाभांश कर और अन्य समायोजन	34.23	(6.70)	34.23	(6.70)
लाभ हानि : शेष राशि को आगे बढ़ाया जाएगा	(503.99)	5733.03	21004.08	25566.45

कंपनी के वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनियों (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ अधिसूचित किए गए हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम:

- वित्त वर्ष 24-2023 में शुद्ध बिक्री घटकर 305.29 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्त वर्ष 23-2022 में 372.04 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी।
- वित्त वर्ष 24-2023 में कुल आय 348.53 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 23-2022 में यह 405.79 करोड़ रुपये थी।
- वित्त वर्ष 24-2023 में कर-पूर्व लाभ (-)73.18 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 23-2022 में यह 8.98 करोड़ रुपये था।

समेकित वित्तीय परिणाम:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 309.85 करोड़ रुपये का संचालन से राजस्व और अन्य परिचालन आय दर्ज की (वित्त वर्ष 2022-23 में 374.04 करोड़ रुपये)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर पूर्व लाभ (PBT) (-) 73.19 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 8.97 करोड़ रुपये) और कुल समग्र आय (TCI) (-) 45.28 करोड़ रुपये [वित्त वर्ष 2022-23 में 10.80 करोड़ रुपये] थी।

2. संचालन की मुख्य बातें

एवाईसीएल एक बहु-उत्पाद, बहु-इकाई, बहु-स्थान कंपनी है, जिसमें 3 (तीन) संचालन विभाग/इकाइयां हैं, अर्थात् चाय विभाग, इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन और इंजीनियरिंग विभाग, और 1 (एक) सेवा विभाग, अर्थात् जनरल डिवीजन। प्रत्येक विभाग एक अलग लाभ केंद्र के रूप में कार्य करता है।

2.1. चाय विभाग:

एवाईसीएल एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSEs) है जिसके पास चाय बागान हैं और चाय का उत्पादन करता है।

इस विभाग का कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 166.63 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 213.72 करोड़ रुपये था। यह मुख्य रूप से बिक्री मात्रा में 22.84 करोड़ रुपये की कमी और बिक्री मूल्य में 27.53 करोड़ रुपये की कमी के कारण हुआ। उत्पादन भी वित्त वर्ष 2023-24 में 16.99 लाख किलोग्राम घट गया, जो पश्चिम बंगाल के डुआर्स बागानों में कीटों के गंभीर हमले के कारण फसल हानि का परिणाम है। कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में (-) 87.52 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह (-) 3.23 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, चाय विभाग को नुकसान हुआ है, लेकिन गुणवत्ता सुधार, बेहतर ब्रांड छवि, और लागत नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्षों में इस विभाग के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत में खुदरा उपस्थिति को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न प्रमाणपत्रों, एवाईसीएल चायों (दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और ई-कॉमर्स आउटलेट्स के माध्यम से बाजार में पैठ के साथ, यह विभाग अपनी ब्रांड इकिती और व्यवसाय मार्जिन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम (UK) को 5.07 करोड़ रुपये के एफओबी मूल्य की चाय का निर्यात किया।

2.2. इलेक्ट्रिकल – चेन्नई ऑपरेशन (E-CO):

इलेक्ट्रिकल चेन्नई इकाई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर पार करके इतिहास रच दिया और इस प्रदर्शन को जारी रखा है।

इकाई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 80.78 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया। कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6.05 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 4.94 करोड़ रुपये था।

बिजली अवसंरचना को मजबूत करने पर अपेक्षित दबाव को देखते हुए, पावर ट्रांसफार्मर की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। इस इकाई को राज्य उपयोगिताओं और ईपीसी ठेकेदारों से अच्छे ऑर्डर मिले हैं। अब इकाई उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहक डिलीवरी को समय पर पूरा करने के लिए तैयार है।

E-CO के उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस इकाई के आगामी वर्षों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसमें इन-हाउस उच्च उत्पादन, लागत नियंत्रण आदि में सुधार को ध्यान में रखा गया है। इकाई ने कई राज्यों में ग्राहक आधार बढ़ाने और अधिक नौकरी के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए विभिन्न निविदाओं में भाग लिया है।

2.3. इंजीनियरिंग विभाग:

इस विभाग के पास इसके संचालन की श्रेणी में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है, अर्थात् औद्योगिक पंपे - दोनों अक्षीय और अपकेंद्रिक प्रकार। इंजीनियरिंग विभाग के उत्पाद गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

विभाग का टर्नओवर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 61.79 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 55.72 करोड़ रुपये था। कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 12.52 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 8.73 करोड़ रुपये था, जो इस विभाग का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

इसके औद्योगिक पंपों की अच्छी प्रदर्शन क्षमता और विश्वसनीयता के मामले में एक मजबूत ब्रांड छवि है। इंजीनियरिंग विभाग आगामी वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जिसमें इन-हाउस उत्पादन में वृद्धि, मार्केटिंग प्रयासों में वृद्धि, उत्पाद सुधार, लागत नियंत्रण आदि को ध्यान में रखा गया है।

लिए प्रशंसा अर्जित की है। पूरे भारत में खुदरा उपस्थिति धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। विभिन्न प्रमाणन, एवाईसीएल चाय (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) और ई-कॉमर्स आउटलेट्स के साथ बाजार में पहुंच के साथ, डिवीजन लगातार अपनी ब्रांड इक्विटी के साथ-साथ मूल्य संवर्धन को बढ़ाने का प्रयास करता है।

3. **लाभांश:**
कंपनी की अपर्याप्त मुक्त नकदी स्थिति के कारण, आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई लाभांश सिफारिश करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।
4. **लाभांश वितरण नीति:**
कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियमन 43A की आवश्यकताओं के अनुसार एक लाभांश वितरण नीति बनाई है।
यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Dividend_Distribution_Policy.pdf
5. **रिजर्व में स्थानांतरण:**
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सामान्य भंडार में (-) 45.62 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। 31 मार्च, 2024 को कंपनी के भंडार और अधिशेष 241.52 करोड़ रुपये थे।
6. **अज्ञात लाभांश:**
कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के साथ रखी गई अज्ञात और अप्राप्त राशियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया है।
कंपनी द्वारा पहले घोषित और भुगतान किए गए अज्ञात और अप्राप्त लाभांश का विवरण भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत दिया गया है।
7. **पूंजीगत व्यय:**
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूंजीगत व्यय के रूप में 20.27 करोड़ रुपये खर्च किए।
8. **व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट:**
सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 34(2)(एफ) के तहत, जैसा कि संशोधित किया गया है, कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से उठाए गए पहलों का वर्णन करने वाली व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।
9. **सचिवीय मानकों के तहत अनुपालन:**
कंपनी ने भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसी प्रणालियाँ वर्ष के दौरान कंपनी में पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।
10. **क्रेडिट रेटिंग:**
क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ने बैंक ऋण सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक रेटिंग के रूप में 'क्रिसिल बीबी/निगेटिव' और अल्पकालिक रेटिंग के रूप में 'क्रिसिल ए4+' को सौंपा है।
11. **प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:**
समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है, बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग खंड में **परिशिष्ट-1** के रूप में प्रस्तुत की गई है।
12. **कॉर्पोरेट गवर्नेंस:**
सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्र के साथ, वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।
13. **सहायक और एसोसिएट कंपनियों का प्रदर्शन, जैसा कि कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 8(1) के तहत आवश्यक है:**
कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक 2 (दो) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं, अर्थात् यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और 1 (एक) एसोसिएट कंपनी है, अर्थात् टाइड वाटर आयल कंपनी लिमिटेड
कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी(यों) और सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण विशेषताओं वाला एक बयान फॉर्म एओसी-1 में कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया गया है। कंपनी का कोई संयुक्त उपक्रम नहीं है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों के संबंधित दस्तावेजों और अलग-अलग ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर उपलब्ध हैं।



14. समेकित वित्तीय विवरण:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यकतानुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनका विधिवत ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है। ये वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैं।

15. शेयर पूंजी में परिवर्तन:

31 मार्च 2024 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 97,79,01,956/- रुपये थी, जो 2/- रुपये के 48,89,50,978 सामान्य शेयरों में विभाजित है, जो पूरी तरह से चुकता हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई सामान्य शेयर या विभेदक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी नहीं किए, न ही स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी प्रदान की।

16. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि और शेयरों का हस्तांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, हस्तांतरण और रिफंड) दूसरे संशोधन नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सभी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के साथ, उन सभी शेयरों को जिनका लाभांश सात लगातार वर्षों तक अवैतनिक या अविकसित रहा है, कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया गया है।

सदस्य/दावेदार जिनके शेयर या अविकसित लाभांश, IEPF डिमैट खाते या फंड, जैसा भी मामला हो, में हस्तांतरित किए गए हैं, वे IEPF प्राधिकरण को फॉर्म IEPF-5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन जमा करके शेयरों का दावा कर सकते हैं या रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन शेयरधारकों की सूची, जिनके लाभांश पिछले सात लगातार वर्षों से यानि 2016-17 से अविकसित रहे हैं और जिनके शेयर IEPF में हस्तांतरित किए जा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है, साथ ही संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत संचार और समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना भी दी गई है। ऐसे अविकसित लाभांश और शेयरों का विवरण, शेयरधारकों को भेजे गए संचार और समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रतियां कंपनी की वेबसाइट http://www.andrewyule.com/unpaid_dividend.php पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश और शेयरों का दावा सुनिश्चित करें, इससे पहले कि उन्हें उक्त कोष में हस्तांतरित कर दिया जाए।

17. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.andrewyule.com/annual_return.php पर रखी गई है।

18. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 (सात) बार बैठक की है। बोर्ड बैठकों और उपस्थिति के संबंध में विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

19. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत, समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, प्रदान की गई गारंटी या सुरक्षा और किए गए निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

20. ऐसे वित्तीय परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं और जो वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं और व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई बदलाव नहीं हुआ है।

21. सतर्कता तंत्र व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत और कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने सभी लागू प्रावधानों का पालन किया है और एक व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया है जिसे ऑडिट समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह नीति कंपनी के आचार संहिता और नैतिकता के उल्लंघन के बारे में चिंता प्रकट करने के लिए बनाई गई है। नीति को कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

यह निदेशक/कर्मचारी को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है, जो इस तंत्र का उपयोग करते हैं और इसमें अपवादात्मक मामलों में ऑडिट समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँच की व्यवस्था भी है। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को ऑडिट समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

22. निदेशक:

श्री अनंता मोहन सिंह, भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर्स सेवा (IRSME) के, भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश फाइल संख्या- 10(2)/2022-सीपीएसई.आई/पीई.आई दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के अनुसार, 26 दिसंबर 2023 से एवाईसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के दिनांक से 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तात्कालिक अवशोषण आधार पर कार्यभार संभाल लिया है।

श्री संजय वर्मा, अतिरिक्त महाप्रबंधक (एजीएम), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), ने भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश फाइल संख्या 10-10(1)/2020-पीई.आई/ सीपीएसई.आई दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, 29 नवंबर, 2023 से एवाईसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

श्री संजय भट्टाचार्य, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 1 सितंबर, 2023 से सेवानिवृत्ति के साथ कंपनी से अलग हो गए हैं।

श्री के. मोहन 8 मार्च, 2024 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में अपनी कार्यकाल की समाप्ति पर भारी उद्योग मंत्रालय के 21 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुसार सेवा से अलग हो गए हैं।

बोर्ड ने श्री संजय भट्टाचार्य और श्री के. मोहन द्वारा कंपनी के साथ उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6)(सी) और आपकी कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार, श्री आदित्य कुमार घोष, कंपनी के निदेशक, आगामी वार्षिक साधारण सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

श्री आदित्य कुमार घोष की पुनर्नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रस्ताव, कंपनी की 76वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में शामिल किया गया है।

श्री आदित्य कुमार घोष के संक्षिप्त जीवनवृत्त/विवरण को कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में संलग्न टिप्पणियों में प्रस्तुत किया गया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यह खुलासा किया जाता है कि कोई भी निदेशक आपस में कोई संबंध साझा नहीं करते हैं।

23. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अनंता मोहन सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री राजेंद्र सिंह मानकू, निदेशक (योजना), श्री संजय वर्मा, निदेशक (वित्त) और श्रीमती सुचरिता दास, कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी हैं।

24. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 25(8) के तहत आवश्यक घोषणाएं प्राप्त हुई हैं कि वे स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जो उनके स्वतंत्र निर्णय के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बोर्ड ने इन घोषणाओं को संज्ञान में लिया है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के ऑनलाइन डेटाबेस पर अपना पंजीकरण किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के तहत अधिसूचित है।

बोर्ड का मानना है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक आवश्यक योग्यता, क्षेत्रीय ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं और वे उच्चतम स्तर की अखंडता बनाए रखते हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं था, सिवाय बैठक शुल्क और कंपनी की बैठकों में भाग लेने के लिए हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

25. नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक नीति:

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तय और किया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती हैं। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क मिलता है। अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी भी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के पात्र नहीं होते हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत, सरकारी कंपनियों को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से छूट दी गई है।

बोर्ड स्तर के नीचे प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी और अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनके यूनियन के साथ हुए वेतन समझौते के अनुसार तय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रमोशन आदि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नति नीति के अनुसार किए जाते हैं।

26. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना:

आपकी कंपनी ने किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प की पेशकश नहीं की है, इसलिए कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के तहत ईएसओपी के संबंध में खुलासा की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

27. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):

कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर और स्थिरता नीति को निर्धारित किया है, जिसमें उद्देश्य, फोकस क्षेत्र, शासन संरचना और निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचा आदि शामिल हैं।

सीएसआर और स्थिरता नीति का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है - http://www.andrewyule.com/pdf/policies/CSR_and_Sustainability_Policy.pdf

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का सीएसआर बजट आवंटन "शून्य" था, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत की गई गणनाओं के अनुसार था।

28. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ने जोखिम के तत्वों की पहचान के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित और कार्यान्वित किया है, जिन्हें बोर्ड के विचार में नजदीकी जांच की आवश्यकता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करती है, महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के व्यापार से जुड़े जोखिमों की निगरानी, मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए उचित पद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणाली मौजूद हैं, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। जोखिम प्रबंधन नीति को भी कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर अपलोड किया गया है।

29. ऑडिट समिति:

कंपनी के पास कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के तहत और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 18 के अनुसार, एक बोर्ड स्तर की ऑडिट समिति है, जिसका विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। सभी मुद्दों पर ऑडिट समिति की बैठकों में निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से विचार-विमर्श किया जाता है, जो नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। ऑडिट समिति के सदस्यों के विचार और सुझाव सकारात्मक रूप से लिए जाते हैं और कंपनी की प्रक्रियाओं में समाहित किए जाते हैं। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने ऑडिट समिति की सिफारिशों को अस्वीकार किया हो।

30. बोर्ड की अन्य समितियाँ:

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार गठित विभिन्न अन्य समितियों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

31. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई भी संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया, जिसके लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी।

वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो। आवश्यक खुलासे, जो कि लेखा मानक (एएस-18) के तहत आवश्यक हैं, को वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया गया है। इसलिए, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत एओसी-2 फॉर्म में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पक्ष लेन-देन पर एक नीति बनाई है, जो कि संबंधित पक्ष लेन-देन की महत्वपूर्णता का निर्धारण करने के लिए है और संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने के लिए भी है, जिसे सेबी लिस्टिंग विनियमों में नियामक संशोधनों को समाहित करने के लिए संशोधित किया गया है। अद्यतित नीति को कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है - http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Materiality_Related_Party_Transactions.pdf

32. कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) के तहत खुलासे:

- i. वित्तीय सारांश या हाइलाइट्स: जैसा कि 'वित्तीय प्रदर्शन' शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है।
- ii. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो: कोई नहीं।
- iii. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) का विवरण, जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त/इस्तीफा/सेवानिवृत्त किया गया:
 - a. निदेशक नियुक्त : श्री अनंत मोहन सिंह को 26 दिसंबर, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और श्री संजय वर्मा को 29 नवंबर, 2023 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
 - b. इस्तीफा देने वाले निदेशक : --
 - c. निदेशक पद से समाप्ति : श्री संजय भट्टाचार्य 1 सितंबर, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से अपने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर मुक्त हो गए और श्री के. मोहन 8 मार्च, 2024 से निदेशक (कार्मिक) के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर पदमुक्त हो गए।
 - d. नियुक्त केएमपी : श्री सोम नाथ मैत्रा को 27 सितंबर, 2023 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया; श्री अनंत मोहन सिंह को 13 फरवरी, 2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और श्री संजय वर्मा को 13 फरवरी, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
 - e. इस्तीफा देने वाले केएमपी : श्री सोम नाथ मैत्रा 13 फरवरी, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से मुक्त हो गए।
 - f. सेवानिवृत्त केएमपी : श्री संजय भट्टाचार्य 1 सितंबर, 2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं रहेंगे और श्री के. मोहन 8 मार्च, 2024 से पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहेंगे।
- iv. वर्ष के दौरान सहायक, संयुक्त उद्यम कंपनियां या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या नहीं रह गई हैं, ऐसी कंपनियों के नाम: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कोई भी कंपनी सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं बनी है या नहीं रह गई है।
- v. जमाराशियों से संबंधित विवरण: वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के पास जनता से कोई सावधि जमाराशि बकाया नहीं थी। वर्ष के दौरान कोई सावधि जमाराशि स्वीकार नहीं की गई है और इस प्रकार, उक्त जमाराशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- vi. ऐसी कोई जमा नहीं हुई है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।
- vii. किसी भी नियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे कंपनी की निरंतरता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन पर प्रभाव पड़े।
- viii. कंपनी को केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत निर्दिष्ट लागत अभिलेख रखने की आवश्यकता है और तदनुसार, ऐसे खातों और अभिलेखों को बनाए रखा गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक, एम/एस डीजीएम एंड एसोसिएट्स द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की गई है।
- ix. वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ किसी भी एकमुश्त समझौते का कोई उदाहरण नहीं हुआ है और इस प्रकार, बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय की गई मूल्यांकन के दौरान और एकमुश्त समझौते के समय की गई मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

33. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता:

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है, और उनके लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समय-समय पर कंपनी की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के अवलोकन और टिप्पणियों को संदर्भ के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

34. सूचित करने योग्य धोखाधड़ी:

वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की गई है।

35. कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(1) के अनुसार खुलासा:

कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत नियम 5(1) के अनुसार पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित खुलासा करने से मुक्त है। अतः, इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।



36. **कर्मचारियों का विवरण – कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(2) और 5(3):**
आपकी कंपनी ने नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है। अतः, इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

37. **कर्मशक्ति:**
कंपनी की कुल कार्यबल स्थिति 31 मार्च, 2024 को:

कोटि	अधिकारी	गैर-कार्यकारी/एनयूएस	कुल
पुरुष	113	7141	7254
महिला	04	6911	6915
कुल	117	14052	14169

38. **समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण:**
कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 और प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 में शामिल वैधानिक कल्याण सुविधाओं का पालन करती है।

कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 31 मार्च, 2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत इस प्रकार है: अनुसूचित जाति: 8.19%, अनुसूचित जनजाति: 27.39% और अन्य पिछड़ा वर्ग: 55.68%।

आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण, रियायतों, छूट आदि के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करती है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीधे भर्ती में लागू होते हैं।

39. **महिलाओं का सशक्तिकरण:**
समाज का विकास महिलाओं के विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं को सशक्त और प्रोत्साहित करना हमारे सभी कार्यक्रमों का मूल है। विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक सहायक और पोषण देने वाला वातावरण तैयार किया जाता है। कंपनी द्वारा महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए मजदूरी का भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों पर सभी आवश्यक उपाय/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

31 मार्च, 2024 तक महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

कार्यकारी - 04 (चार)

गैर-कार्यकारी (नर्स और चाय श्रमिक सहित) - 6911 (छह हजार नौ सौ ग्यारह)

कुल महिला कर्मचारी - 6915 (केवल छह हजार नौ सौ पंद्रह)

40. **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण:**
एवाईसीएल एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने और चोट और बीमारी-मुक्त कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एवाईसीएल अपनी सभी गतिविधियों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों, आगंतुकों और जिस समुदाय के आसपास यह काम करता है, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के तरीके से संचालित करता है।

एवाईसीएल ने अपने कारखाना इकाइयों सहित कंपनी में विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू किया है जैसे:

- कर्मचारियों को नियमित रूप से सुरक्षा मामलों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 के अनुसार सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है।
- इंजीनियरिंग डिवीजन में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 के अनुसार है।
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने "नया व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" (OHSMS) आईएसओ 45001 के अनुसार लागू किया है।
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने प्रशासनिक भवन में सौर ऊर्जा प्रणाली (10KW उत्पादन) स्थापित किया है, जो सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के उद्देश्य के अनुरूप है। यह गर्व की बात है कि इस प्रणाली से उत्पन्न बिजली का उपयोग डिवीजन द्वारा अपने औद्योगिक कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग डिवीजन ने औद्योगिक उद्देश्य के लिए सौर प्रणाली से औसतन 5000kwh यूनिट का उपयोग किया है।
- सभी चाय बागानों में आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे आईएसओ 22000 (फूड, सेफ्टी, मैनेजमेंट), ट्रस्टटी, रेन फॉरेस्ट एलायंस आदि प्राप्त हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है:

- a. प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जल निकायों का कोई विनाश नहीं किया जाता है।
 - b. प्लास्टिक और खतरनाक वस्तुओं को जलाने की अनुमति नहीं है और खाली रासायनिक कंटेनरों का निपटान भी केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाता है।
 - c. सभी जैव चिकित्सा कचरे का निपटान केवल मानक मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है।
 - d. बागान के श्रमिकों और बागान के अंदर रहने वाले समुदाय को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है।
 - e. चाय बागान भी संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक मानदंडों का पालन करते हैं।
- ◆ चाय उद्योग एक गैर-खतरनाक उद्योग है। इसके कार्यबल की सुरक्षा एक प्रमुख विचार का विषय है। व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों को उचित पोषण और एनीमिया की रोकथाम पर जागरूकता के माध्यम से प्रमुखता दी गई है। स्प्रेयों के बीच नियमित अंतराल पर चिकित्सा जांच की जाती है। सभी चाय बागान अस्पताल पूरी तरह से संचालित हैं और श्रमिकों और उनके आश्रितों को सभी प्राथमिक उपचार प्रदान कर रहे हैं।
 - ◆ इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन को आईएसओ 9001 और सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI) से 10 एमवीए, 12.5 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए के लिए प्रमाणन प्राप्त है।

41. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

42. शिकायत निवारण तंत्र:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित निपटारा किया और जवाबों की प्रतियां उस समय मंत्रालय को भेजी जाती हैं, जब सार्वजनिक शिकायत उनके द्वारा अग्रेषित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायत का प्रकार	01.04.2023 तक प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों के निपटान की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या 31.03.2024 की स्थिति
लोक शिकायतें	शून्य	9 (नौ)	9 (नौ)	शून्य

43. औद्योगिक संबंध:

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी के सभी इकाइयों/डिवीजनों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बने रहे, सिवाय कुछ चाय बागानों में।

44. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू में विभिन्न लक्ष्यों और प्रदर्शन मापदंडों का उल्लेख किया गया है, जिनका वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर आकलन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की रेटिंग अभी तक अंतिम रूप नहीं दी गई है।

45. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन:

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों का पालन करती है और जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी चाहने वालों को संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। कंपनी की ओर से आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/निपटाए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है:

प्राप्त आवेदन	: 52 (बावन)
स्वीकृत आवेदन	: 52 (बावन)
अस्वीकृत आवेदन	: कोई नहीं
निपटाए गए आवेदन	: 52 (बावन)

46. सतर्कता:

A. सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान निगरानी की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार है:

ई-गवर्नेंस: कंपनी ने मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी डिवीजनों में ई-प्रोक्वोरमेंट नीति (2 लाख रुपये और उससे अधिक), ई-पेमेंट और ई-टेंडरिंग/ई-नीलामी को पहले ही लागू कर दिया है। कंपनी के जनरल डिवीजन में ई-ऑफिस सिस्टम पहले से ही लागू है और अन्य इकाइयों/डिवीजनों में इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। निजी चाय बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार है और इसे अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। एवाईसीएल वेबसाइट पर ऑनलाइन सतर्कता शिकायत पोर्टल सक्रिय है।



संरचित बैठकें: सीवीओ और सीएमडी के बीच त्रैमासिक संरचित बैठकें समय पर आयोजित की जा रही हैं और उनके कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाते हैं।

B. वर्ष 2023-24 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार है:

i. प्रणाली सुधार: प्रणाली में सुधार के लिए सतर्कता विभाग से कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- स्टोर आर्टिकल्स/डीजल और प्रसंस्कृत चाय आदि की चोरी के खिलाफ विभिन्न जांच और उपायों का कार्यान्वयन।
- चाय कारखानों में बैच स्केल्स का पुनर्गठन,
- स्टार्ट-अप्स और एमएसईs को संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार छूट प्रदान करना,
- निविदा शर्तों का पालन करना।

ii. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह:** "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023" को केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार 30.10.2023 से 05.11.2023 तक "भ्रष्टाचार से दूर रहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" थीम पर एवाईसीएल में उपयुक्त तरीके से मनाया गया।

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023" के दौरान आयोग द्वारा निर्देशित निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया:

- कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 30.10.2023 को पंजीकृत कार्यालय के सभी कर्मचारियों को "इंटेग्रेटी प्लेज" दिलाई गई। उसी दिन सभी डिवीजनों/इकाइयों/चाय बागानों में भी शपथ दिलाई गई।
- 02.11.2023 को पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में एवाईसीएल के सीवीओ द्वारा "आईओ/पीओ की भूमिका" पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हाइब्रिड मोड में एक इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किया गया।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सभी डिवीजनों और चाय बागानों में विक्रेताओं/सामान्य नागरिकों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न भाषाओं में पीआईडीपीआई पर्चे/पैम्फलेट वितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सतर्कता मामलों का विवरण इस प्रकार है:

01.04.2023 को अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाया गया	शेष तिथि 31.03.2024
2 (दो)	7 (सात)	7 (सात)	2 (दो)

47. हिंदी के प्रगतिशील उपयोग:

एवाईसीएल में, कंपनी के अधिकांश कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली लागू कर दी गई है। कंपनी ने अपने कंप्यूटरों में हिंदी भाषा का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है, ताकि एवाईसीएल के कर्मचारी इसे अपने दैनिक कार्यों में उपयोग कर सकें। राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए कंपनी लगातार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 26 सितंबर, 2023 को हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता और 29 सितंबर, 2023 को हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। 30 जून, 2023, 26 सितंबर, 2023, 29 दिसंबर, 2023 और 27 मार्च, 2024 को हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वर्तमान में, कंपनी की बोर्ड बैठकों और अन्य बोर्ड समिति बैठकों का आयोजन हिंदी में भी किया जा रहा है और इन बैठकों के एजेंडा और मिनट्स भी हिंदी में तैयार किए जा रहे हैं।

48. स्वच्छता पखवाड़ा:

कंपनी ने 16 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ ली। कंपनी के विभिन्न स्थानों पर "स्वच्छ भारत" के बैनर प्रदर्शित किए गए। कंपनी के प्रतिष्ठानों के आसपास की सफाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पंजीकृत कार्यालय, सभी फैक्ट्रियों और चाय बागानों में स्वच्छता की आवश्यकता को समझाने के लिए कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन किया गया, जिससे प्रतिभागियों में काफी उत्साह उत्पन्न हुआ। कंपनी के अधिकारियों ने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया। इस अवधि के दौरान स्वच्छता पर पर्चे भी वितरित किए गए।

49. कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट:

कंपनी की एक वेबसाइट www.andrewyule.com है, जहां कंपनी की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

50. कंपनी के अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाएं:

कंपनी की इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार की मांगों के साथ तालमेल बिठाने और निर्यात बाजार में अवसरों को भुनाने के लिए मौजूदा उत्पादों में निरंतर उन्नति प्रदान करना है। कंपनी के विभिन्न डिवीजनों द्वारा किए गए कुछ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

a. चाय विभाग:

हम चाय उद्योग में होने के कारण टी रिसर्च एसोसिएशन (TRA) के सदस्य हैं, जिससे हमें सभी नवीनतम अनुसंधान निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो मासिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाली मासिक परिषद बैठकों में चर्चा की जाती है। टी रिसर्च एसोसिएशन एक स्वायत्त संस्था है जो चाय उद्योग के अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्यधिक समर्पित है, जिसने हमें भूमि की उत्पादकता और उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने में हमेशा मदद की है।

b. इंजीनियरिंग विभाग:

- (i) ऑयल लुब्रिकेटेड हाउसिंग: इंजीनियरिंग विभाग ने SR-200 बियरिंग हाउसिंग, जो 200 मिमी व्यास के शाफ्ट के लिए उपयुक्त है, के डिजाइन कार्य को पूरा कर लिया है। अब यह भौतिक विकास चरण में है। इससे चक्र समय में कम से कम 1 (एक) महीने की कमी आएगी और प्रति कार्यक्रम सेट वार्षिक लागत में ₹2.00 लाख की बचत होगी।
- (ii) प्रौद्योगिकी विकास: मोटी सील रिंग की फैब्रिकेशन प्रक्रिया में काटने, मोड़ने और रेडियोग्राफी वेल्डिंग के कारण प्रक्रिया लंबी होती है और अधिक मान-घंटों की आवश्यकता होती है। विक्रेता से एकल टुकड़ा फोर्ड मोटी सील रिंग की खरीद से उपरोक्त लंबी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और लागत में कमी आती है।

51. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता है, पढ़ें कंपनियों (खाते) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ, **अनुलग्नक-II** में प्रस्तुत किया गया है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

52. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई द्वारा उत्पादित निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% खरीदने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 25% में से 4% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, 25% आरक्षण में से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से न्यूनतम 3% खरीद की परिकल्पना की गई है। यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक उपक्रम अपने वार्षिक रिपोर्ट में उपरोक्त खरीद के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्तियों की रिपोर्ट करें।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसएमई से वस्तुओं की कुल खरीद 25% के लक्ष्य के मुकाबले 70.22% थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एससी/एसटी एमएसएमई से 3.33% और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल एमएसएमई खरीद में से 2.88% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से प्राप्त किया।

53. GeM के माध्यम से खरीद:

सरकार ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक सरकारी संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों की जरूरत के सामानों और सेवाओं की आसान ऑनलाइन खरीद की सुविधा और सक्षम बनाने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। एवाईसीएल के सभी कार्य केंद्र GeM पोर्टल पर पंजीकृत हैं और पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल GeM के माध्यम से कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एवाईसीएल ने 113.93 करोड़ रुपये की खरीद की है। इसमें से GeM के माध्यम से की गई खरीद 113.46 करोड़ रुपये थी, जो कंपनी की कुल खरीद का 99.59% था।

54. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 6 (छह) ऑनलाइन बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम और 1 (एक) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष के दौरान 39 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

55. वैधानिक लेखाकार और ऑडिट रिपोर्ट:

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आपके कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एम/एस एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखाकार नियुक्त किया गया था।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखाकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वैधानिक लेखाकारों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं की गई है।



राज्य सभा की मेज पर रखे गए कागजात पर समिति की 150वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार:

राज्य सभा की मेज पर रखे गए कागजात पर समिति की 150वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में दिए जाने वाले विवरण इस प्रकार हैं:

- i. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता मामलों का विवरण: संदर्भ बिंदु संख्या 46 में उल्लिखित है।
- ii. लंबित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पैराग्राफ और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं की स्थिति: शून्य

56. सचिवीय ऑडिट और अनुपालन रिपोर्ट:

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए सचिवीय ऑडिट करने के लिए एम/एस ए के लभ एंड कंपनी, संपूर्णकालिक प्रैक्टिस में कंपनी सचिवों को नियुक्त किया था। तदनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय ऑडिट किया और फॉर्म नंबर MR-3 में सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो यहां संलग्न है और बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में 3 (तीन) टिप्पणियां हैं।

सचिवीय ऑडिटर द्वारा बोर्ड की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन के बारे में की गई टिप्पणियों के संबंध में, यह कहा जाता है कि एवाईसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) है और इसके अनुच्छेदों के अनुसार, इसके बोर्ड पर सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से की जाती है। कंपनी की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने भारी उद्योग मंत्रालय से निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है।

दूसरी टिप्पणी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम 25% तक प्राप्त करने से संबंधित है, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 1 अगस्त, 2026 तक छूट दी गई है।

तीसरी टिप्पणी रोटेशनल निदेशकों से संबंधित है जिसमें उत्तर पहली टिप्पणी के समान है।

इसके अलावा, सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 को विनियमन 24A के साथ पढ़ें, सेबी लिस्टिंग विनियम, एम/एस ए के लभ एंड कंपनी, संपूर्णकालिक प्रैक्टिस में कंपनी सचिवों ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए सभी लागू विनियमों, परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट को बीएसई लिमिटेड को विधिवत प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबलिंग पर उपलब्ध है: https://www.andrewyule.com/pdf/ASCR_2023-24.pdf

57. लागत ऑडिटर और लागत ऑडिट रिपोर्ट:

एम/एस डीजीएम एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या: 000038) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का लागत ऑडिट किया। उन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जैसा कि स्पष्टीकरण विवरण में आइटम नंबर 4 में निर्धारित है, जिसे वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कंपनी अपने लागत ऑडिट रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में प्रस्तुत करती है।

58. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत पूरक ऑडिट किया। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की 2023-24 की वार्षिक लेखाओं पर की गई टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

59. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016:

एवाईसीएल ने अपनी पूर्व सहयोगी कंपनी यानी एम/एस डिज़रगढ़ पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड और इसकी संयुक्त उद्यम एम/एस फीनिक्स यूल लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट की मांग करते हुए एक विविध आवेदन दायर किया था, जैसा कि बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में स्वीकृत किया गया था। मामला सूचीबद्ध किया गया और आदेशों के लिए आरक्षित किया गया; हालाँकि, मामले की गलत लेबलिंग के कारण आदेश को नहीं सुनाया जा सका। इसलिए, 28 अगस्त, 2023 को, माननीय ट्रिब्यूनल ने आवेदन को वापस लेने और इसे फिर से दायर करने की अनुमति दी। इस प्रकार, एवाईसीएल ने इसे पुनः धारा 252 के तहत दायर करने के लिए आवेदन किया। हालाँकि, एनसीएलटी वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल में इस तरह के किसी भी प्रावधान की गैर-मौजूदगी के कारण, संबंधित धारा यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 252 के तहत कंपनी याचिका को दायर करने की अनुमति देने के लिए रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया गया है।

3दान किया जा सके, वित्तीय वर्ष के अंत में और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के संबंध में;

- iii. निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- iv. निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खातों को एक सतत चिंता के आधार पर तैयार किया है;
- v. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालन में थे; और
- vi. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालन में थीं।

61. सावधान बयान

रिपोर्ट में दिए गए बयान, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और/या उम्मीदों का वर्णन करते हुए, लागू प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के भीतर पूर्वानुमान हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम दिए गए बयानों से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें तैयार माल की बिक्री कीमतों को प्रभावित करने वाली वैश्विक और घरेलू आपूर्ति और मांग की स्थितियाँ, इनपुट की उपलब्धता और उनकी कीमतें, सरकारी नीतियों, विनियमों, कर कानूनों में परिवर्तन, देश के भीतर और बाहर आर्थिक विकास, और अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी और औद्योगिक संबंध शामिल हैं।

कंपनी भविष्य में विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में भविष्यवाणी बयानों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

62. आभार

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी ओर से प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

बोर्ड भी भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग का विशेष उल्लेख आवश्यक है और निदेशकगण इसे स्वीकार करते हैं।

बोर्ड कंपनी के मूल्यवान शेयरधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों का उनके मूल्यवान संरक्षण के लिए और भारत और विदेश में बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
14 अगस्त, 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने चुनौतियों के बावजूद मजबूती के संकेत दिखाए। रूस-यूक्रेन संघर्ष और गाजा एवं मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। हालांकि इन दबावों के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष के साथ गति पकड़ी। दुनिया की अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों के बावजूद लगातार बढ़ने का अनुमान है। चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में, भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिरता और विकास का प्रतीक बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही। घरेलू मांग में वृद्धि और निवेश तथा सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर, जीडीपी वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। भारत का व्यापार घाटा भी 35.77% तक सुधर गया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयात में US\$43.21 बिलियन की कमी आई। हालांकि भारत की आर्थिक दिशा मुख्य रूप से सकारात्मक रही, कुछ चुनौतियां भी थीं। मुद्रास्फीति और ब्याज दरें उच्चतम स्तर पर थीं। कड़ी मौद्रिक नीतियों के कारण विदेशी निवेश में भी गिरावट आई। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 38.4% घटा। इसके बावजूद, भारत, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण अभी भी आशाजनक है, जिसमें जीडीपी वृद्धि 7.2% अनुमानित है।

देश के बेहतर आर्थिक परिदृश्य से लाभ उठाने के लिए, AYCL ने अपने तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात चाय प्रभाग, इंजीनियरिंग प्रभाग और इलेक्ट्रिकल-चेन्नई परिचालन के बेहतर विकास और लाभप्रदता के लिए संरचनात्मक सुधार और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की पहल की।

चाय विभाग:

एवाईसीएल एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है जिसके पास चाय बागान और चाय उत्पादन की गतिविधियाँ हैं।

चुनौतियाँ:

- चाय उद्योग में प्रतिकूल मौसम:** चाय एक मौसमी कृषि उत्पाद है और यह कृषि-जलवायु परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील है। असम और दोआब के सभी बागान अनियमित मौसम की स्थिति से प्रभावित हुए, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पत्तियों की वृद्धि में देरी हुई।
- मजदूरी में वृद्धि:** अक्टूबर 2023 में बुनियादी मजदूरी को भारतीय मुद्रा 232 से बढ़ाकर भारतीय मुद्रा 250 कर दिया गया, जिसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, जबकि कीमतें उस गति से नहीं बढ़ीं, जिससे चाय विभाग की लाभप्रदता पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
- फंगस रोगों और लूपर हमले में वृद्धि:** फंगल संक्रमण और अन्य द्वितीयक रोगों जैसे फ्यूसैरियम, वायलेट ब्लाइट, रेड रस्ट, ब्लैक रॉट आदि की घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, जिससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। सभी पश्चिम बंगाल के बागान जैसे चूनाभुट्टी, करबल्ला, बासमती, देसाम और खौवांग लूपर हमले से बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फसल का भारी नुकसान हुआ।
- मूल्य निर्धारण:** यह एक खरीदार-प्रधान बाजार है। कुछ प्रमुख खरीदार जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वाघ बकरी चाय, गुजरात चाय प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड, शाह ब्रदर्स, सोसाइटी चाय/ हसमुख राय एंड कंपनी, एसएसएसके एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जीवराज चाय कंपनी और विक्रम चाय प्रोसेसर्स लिमिटेड का चाय की कीमत पर बड़ा दबाव है, भले ही उत्पादन कितना भी हो।
- छोटे उत्पादकों का प्रभुत्व:** 50% से अधिक उत्पादन अब छोटे उत्पादकों से होता है, जिसे बॉट लीफ चाय कहा जाता है। ये निम्न-गुणवत्ता वाली सस्ती चाय बाजार में प्रवेश करती है और बड़े चाय बागानों से खरीदी जाने वाली चाय की मांग और कीमत को प्रभावित करती है। बड़े बागान के चाय उत्पादकों को श्रमिकों को आवास, पानी की आपूर्ति, स्कूलिंग, सॉलिसिटी वाले खाद्य अनाज और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं, जबकि छोटे उत्पादकों को ये सुविधाएं नहीं देनी पड़ती, और इन सभी लागतों में वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है।
- उत्पादन लागत का मूल्य निर्धारण में शामिल न होना:** श्रमिकों की मजदूरी दरों और अन्य इनपुट लागतों में बार-बार वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ रही है, आपूर्ति मांग से अधिक है, बाजार खरीदारों द्वारा संचालित होता है और कीमतें स्थिर रहती हैं या छोटे उत्पादकों से मिलने वाली सस्ती चाय के कारण कम हो जाती हैं, जिससे घाटा होता है। कई चाय कंपनियां नुकसान में चल रही हैं या पिछले दो दशकों में कुछ चाय बागानों को बेच चुकी हैं।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के विकल्प की उपलब्धता:** चूंकि केन्या, श्रीलंका की चाय सस्ते दर पर उपलब्ध है और इन्हें यूके, यूएसए, कनाडा आदि जैसे प्रमुख देशों में निर्यात किया जा रहा है, उच्च लागत पर उत्पादित भारतीय चाय को प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो रहा है। दार्जिलिंग चाय की कीमत की वसूली भी कम हो रही है।

अवसर:

1. **ब्रांड छवि:** यूल बल्क चाय अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, और यूल रिटेल ब्रांड्स भी अपने पारंपरिक, सीटीसी, ग्रीन और अन्य विशेष प्रकार की चाय के लिए घरेलू बाजार में स्थापित हो रहे हैं।
2. **सुविधाओं का रणनीतिक स्थान:** चाय बागान और फैक्ट्रियां दार्जिलिंग, दोआर्स और असम के प्रमुख चाय उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनकी नीलामी घरों और अन्य खरीदार नेटवर्क तक अच्छी पहुंच है।
3. **प्रमाणपत्र:** सभी बागानों के पास आवश्यक प्रमाणपत्र हैं, जैसे कि आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन), ट्रस्टिया, रेन फॉरेस्ट एलायंस आदि, और ये सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर लगातार जोर देते हैं।
4. **खुदरा विपणन में उपस्थिति:** एवाईसीएल संस्थागत बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे कि कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट और एनएएफईडी को चाय की आपूर्ति करना, और एनएसीओएफ, मदर डेयरी आदि जैसे सहकारी समितियों के साथ मिलकर बाजार का विस्तार करना। एवाईसीएल ने पहले से ही अमेज़न पर खुदरा चाय लॉन्च की है और ई-मार्केट में अपनी पहचान और दृश्यता बढ़ाने के लिए डिजिटल अभियान को तेज किया है। हमारे उत्पादों और ब्रांड की अधिक दृश्यता के लिए अब व्यापक डिजिटल मार्केटिंग की जा रही है।
5. **निर्यात वृद्धि:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने यूके को 5.36 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया। एवाईसीएल यूके के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात करने का लक्ष्य रख रहा है।

खतरें:

1. **प्रवासन:** श्रमिकों का प्रवासन श्रमिकों की कमी का कारण बन रहा है।
2. **उपज में कमी:** बागानों में उच्च रिक्तियां, जल निकासी/सिंचाई के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और चाय की झाड़ियों से कम उपज, प्रति हेक्टेयर उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।
3. **धन की कमी:** धन की कमी के कारण, बागानों में समय पर आवश्यक इनपुट उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे संचालन प्रभावित हुआ और उपज में भारी कमी आई।

दृष्टिकोण:

एवाईसीएल का चाय विभाग गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर जोर दे रहा है और एक स्थिर गुणवत्ता के उत्पादन से सतत लाभ सुनिश्चित कर रहा है। एवाईसीएल उपरोक्त क्षेत्रों में "भविष्य के लिए तैयार" होने के लिए टी रिसर्च एसोसिएशन (TRA) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इंजीनियरिंग डिवीजन

चुनौतियाँ:

1. **मूल्य निर्धारण:** यह खरीदारों का बाजार है और अच्छे लाभ मार्जिन के साथ ऑर्डर प्राप्त करना एक चुनौती है।
2. **छोटे आपूर्तिकर्ताओं का प्रभुत्व:** छोटे विनिर्माताओं की संख्या अधिक है, जिनके खर्च कम हैं और वे बहुत कम कीमतों पर उत्पाद बेचते हैं, जिससे ब्रांडेड आपूर्तिकर्ताओं को अधिकांश आप्टरमार्केट बिक्री में नुकसान होता है।

अवसर:

1. **ब्रांड छवि:** इसके औद्योगिक पंखे विश्वसनीय प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में एक अच्छी ब्रांड छवि रखते हैं।
2. **उत्तम बुनियादी ढांचा:** बुनियादी ढांचा सुविधाएं उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के साथ मेल खाती हैं।
3. **गुणवत्ता:** औद्योगिक पंखे पूंजीगत सामान हैं और ग्राहकों को बनाए रखने और नए जोड़ने के लिए गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग डिवीजन के उत्पादों की गुणवत्ता समकक्षों की तुलना में बेहतर मानी जाती है।
4. **प्रमाणपत्र:** डिवीजन के पास आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएस आईएसओ 45001 प्रमाणपत्र हैं।
5. **अच्छी ग्राहक प्रोफाइल:** प्रमुख ग्राहक सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, जेएसडब्लू स्टील, अल्ट्राटेक, एसीसी, एल एंड टी, एनटीपीसी, आईएसजीईसी, थर्मैक्स, एसएमएस आदि हैं।
6. **क्षमता वृद्धि:** इंजीनियरिंग डिवीजन में अगले दो वर्षों में 2 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ 300 से 400 इम्पेलर्स प्रति वर्ष की क्षमता वृद्धि की गुंजाइश है।

इंजीनियरिंग डिवीजन मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसमें शेड्स (संख्या 1, 2 और 4) की मरम्मत की जाएगी, जिससे संयंत्र की क्षमता में 100 और पंखे जुड़ जाएंगे और उत्पाद मिश्रण के आधार पर प्रति वर्ष 20 से 30 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार बढ़ जाएगा। चक्र समय को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित की जाएगी।

दृष्टिकोण:

ऊपर बताए गए ताकत और अवसरों के साथ, इंजीनियरिंग डिवीजन वित्तीय वर्ष 2025-26 से जल प्रदूषण नियंत्रण (WPC) परियोजनाओं से व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नए 320kw मोटर के साथ परीक्षण बिस्तर का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जैसा कि कई ग्राहकों द्वारा मांग की जाती है और उच्च क्षमता वाले पंखे को डिजाइन करने और वास्तविक कार्य स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। इससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा और व्यापार की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

इलेक्ट्रिकल-चेन्नई संचालन**चुनौतियाँ:**

- कम बाजार हिस्सेदारी:** यह इकाई मुख्य रूप से 8 एमवीए, 10 एमवीए, 20 एमवीए, 31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर का निर्माण करती है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी कम है, हालांकि इसमें 63 एमवीए तक के निर्माण की क्षमता है।
- मूल्य निर्धारण:** मौजूदा उत्पाद श्रेणी यानी 132 केवी क्लास तक तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा, छोटे निर्माताओं की उपस्थिति के कारण। यह बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य संवेदनशील बनाता है, जो गुणवत्ता पर जोर देने के बजाय कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है।

अवसर:

- ब्रांड छवि:** इसके पावर ट्रांसफार्मर अच्छे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में एक अच्छी ब्रांड छवि रखते हैं।
- उत्तम बुनियादी ढांचा:** इसमें अच्छा विनिर्माण सेटअप है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 0.7 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को जोड़कर और सुधार की गुंजाइश है।
- प्रमाणपत्र:** इकाई के पास 10 एमवीए, 12.5 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए के लिए आईएसओ 9001 और सीपीआरआई प्रमाणपत्र हैं।
- अच्छी ग्राहक प्रोफाइल:** इकाई को राज्य उपयोगिताओं और ईपीसी ठेकेदारों से अच्छा ऑर्डर वॉल्यूम प्राप्त हो रहा है। ग्राहकों में तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड, ईपीसी परियोजनाएं, सेल आदि शामिल हैं।

दृष्टिकोण:

टीबीसीबी (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली) परियोजनाओं में अपेक्षित गति और बढ़ी हुई आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) उत्पादन निकासी के कारण कुल मिलाकर ट्रांसमिशन कार्यक्रम को देखते हुए, मध्यम अवधि में पावर ट्रांसफार्मर की मांग में मध्यम वृद्धि की उम्मीद है। ई-सीओ वर्तमान में उत्पादन सुविधाओं के विस्तार की योजना बना रहा है, जिसमें एक और खाड़ी का विस्तार शामिल है। प्रमुख एसईबी (स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स) की निविदाओं में भागीदारी के लिए वीपीडी (वापर फेज ड्राइंग यूनिट) की स्थापना, कॉइल विंडिंग बे और वर्टिकल विंडिंग मशीनों के लिए डस्ट फ्री एनक्लोजर की स्थापना, जिसे कई ग्राहक मांग रहे हैं, की योजना बनाई जा रही है।

सेगमेंट वार प्रदर्शन:

कंपनी एक बहु-सेगमेंट कंपनी है जैसा कि खातों में नोट नंबर 49 में बताया गया है।

जोखिम और चिंता:

किसी भी व्यावसायिक उद्यम के लिए व्यावसायिक जोखिम अपरिहार्य होते हैं। कंपनी अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से आंतरिक और बाहरी रूप से विभिन्न जोखिमों और चुनौतियों की पहचान करती है और उन्हें कम करने के लिए उचित उपाय करती है और साथ ही बोर्ड को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं के बारे में सिफारिश करती है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा ऑडिट समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है। ऑडिट समिति के पास वित्तीय जोखिमों और नियंत्रणों के क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी है। जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्ट करती है।

वित्तीय प्रदर्शन:

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण बैलेंस शीट और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि विवरण में दिया गया है।

मुख्य वित्तीय अनुपातों में बदलाव का कारण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य वित्तीय अनुपातों में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है सिवाय निम्नलिखित के -

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	टिप्पणियां
देनदार टर्नओवर अनुपात	2.80	3.76	कम बिक्री प्राप्ति के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो	3.38	2.57	उच्च इनपुट लागत के कारण
इंटेरेस्ट कवरेज अनुपात	(-) 3.67	1.90	हुए नुकसान के कारण
वर्तमान अनुपात	0.71	0.99	चालू देनदारियों में वृद्धि के कारण
डेब्ट इक्विटी अनुपात	3.00	1.91	कर्ज बढ़ने से
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%)	(-) 18.4%	5.00%	कम बिक्री और उच्च वेतन लागत के कारण
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	(-) 18.2%	0.29%	हुए नुकसान के कारण
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)	(-) 44.81%	7.00%	हुए नुकसान के कारण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नेटवर्थ पर रिटर्न (-)41.02% (पिछले वर्ष 0.66%) था। यह परिवर्तन लाभप्रदता में कमी के कारण है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एवाईसीएल में, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं, जो संगठन की वृद्धि और परिचालन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। यह ढांचा वर्तमान गतिविधियों और कॉर्पोरेट प्रोफाइल से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों, जिसमें वाणिज्यिक और वित्तीय जोखिम शामिल हैं, की निरंतर निगरानी और आकलन करता है। इसके अलावा, कंपनी के पास प्रदर्शन, रणनीति, संचालन, व्यावसायिक वातावरण, प्रक्रियाओं, वित्तपोषण, जोखिम और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी के लिए प्रबंधन रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी है। आंतरिक लेखा परीक्षक पूरे वर्ष भर सभी स्थानों और कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक ऑडिट करते हैं और अपनी रिपोर्टें ऑडिट समिति को प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक रिपोर्ट के प्रासंगिक अनुभाग में प्रदान किए गए सीईओ और सीएफओ प्रमाणन कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता को निर्दिष्ट करते हैं।

मानव संसाधन

वर्ष के दौरान, नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

सावधानिपूर्ण बयान

बोर्ड की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं, भविष्यवाणियों आदि का वर्णन करते हुए दिए गए बयान लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ में "भविष्य-दर्शी बयान" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं, जिसमें घरेलू बाजारों में मांग/आपूर्ति और मूल्य स्थितियों को प्रभावित करना शामिल है, जहां कंपनी काम करती है, सरकार के विनियमों, कर कानूनों, मुकदमेबाजी, औद्योगिक संबंधों और अन्य नियमों और आकस्मिक कारकों में बदलाव शामिल हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य-दर्शी बयानों पर अत्यधिक विश्वास न करें।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
14 अगस्त, 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



**ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण,
विदेशी मुद्रा आय और व्यय**

(A) ऊर्जा का संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

- इंजीनियरिंग डिवीजन ने 2 पुराने उच्च विद्युत खपत वाले कानुभाई वेल्डिंग रेक्टिफायर और 1 पुराने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को नए आईजीबीटी आधारित एमएमएडब्लू मशीन से बदल दिया है, जिससे प्रति माह 1250 kWh ऊर्जा की बचत हो रही है।
- ऊर्जा बचत कार्यक्रम के तहत, इंजीनियरिंग डिवीजन ने चरणों में पारंपरिक लैंप, ट्यूब और उच्च वाटेज लाइट को बदलकर उच्च ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब और ट्यूब का उपयोग किया, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति माह 3000 kWh ऊर्जा की बचत हो रही है।
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने समय-समय पर कैपेसिटर बैंक का सही रखरखाव करके पावर फैक्टर को 0.95 तक सुधार लिया है, जिससे ऊर्जा हानि को रोका गया और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से प्रति माह औसतन 9,000 रुपये की छूट प्राप्त हुई।
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने पानी के पंपिंग सिस्टम की बोरिंग गहराई बढ़ाई और मौजूदा पंप और पाइपलाइनों की सेवा कराई, जिससे:
 - पानी के प्रवाह में वृद्धि हुई
 - पंप के रन टाइम में कमी आई
 - ऊर्जा की बचत हुई
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने मौजूदा क्रेन सिस्टम की ऊर्जा खपत को निम्नलिखित तरीकों से कम किया:
 - रेडियो रिमोट सिस्टम की शुरूआत
 - तांबे के तार रोलर को डीएसएल सिस्टम से बदलना, जिससे घर्षण के कारण ऊर्जा हानि कम हुई और क्रेन की कार्यशील आयु बढ़ी।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

- इस डिवीजन ने पहले से ही कल्याणी फैक्ट्री की प्रशासनिक इमारत में 10 किलोवाट रूफ टॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचालन में है। इस डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से सोलर सिस्टम से औसतन 15000 kWh यूनिट का उपयोग किया है।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए 3 ईओटी क्रेन के ओवरहेड क्रेन डीएसएल सिस्टम और रेडियो रिमोट सिस्टम कार्य के लिए 14.92 लाख रुपये का निवेश किया गया था। इस इकाई ने पुराने कार्बन ब्रश, तांबे के तार प्रणाली को बदलकर नए सी रेल फेस्टून सिस्टम का उपयोग किया। इस पर 4.55 लाख रुपये का खर्च किया गया।

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

प्रभाग ने निम्नलिखित तरीके से कई रेट्रोफिट कार्य किए हैं:

- 2215 मिमी व्यास के 2 नो. (रूसी निर्मित) इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली का निर्माण प्रक्रिया में है।
- 1 नो. सिंटर वेस्ट गैस फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (हाउडेन-यूके निर्मित) की आपूर्ति की गई।
- 3 नो. आईडी फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (हाउडेन-यूके निर्मित) की मरम्मत की गई।



टी डिवीजन:

चाय उद्योग में प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए सभी अनुसंधान एवं विकास चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) द्वारा किए जाते हैं।

ii) उत्पाद विकास, लागत में कमी या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ:

इंजीनियरिंग डिवीजन:

प्रभाग ने आयात प्रतिस्थापन में निम्नानुसार अच्छा प्रदर्शन किया:

- 2215 मिमी व्यास के 2 नो. (रूसी निर्मित) इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए।
- 1 नो. सेंटर वेस्ट गैस फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (हाउडेन-यूके निर्मित) के लिए जांच की गई।

इलेक्ट्रिकल - चेत्रई ऑपरेशन्स:

ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए इन-हाउस एक्सेल का उपयोग करके डिजाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे लगातार नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुसार उन्नत किया जा रहा है।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी विवरण: शून्य

iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: 13.96 लाख रुपये

(C) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आय: 5.36 करोड़ रुपये

व्यय: शून्य

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
14 अगस्त 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सदस्यों को,
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
"यूल हाउस"
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी
कोलकाता - 700001
पश्चिम बंगाल

हमने **एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय "यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल है (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा)। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों के आधार पर कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व पर एक राय व्यक्त करना है, जैसा कि उक्त लेखापरीक्षा के दौरान हमें दिखाया गया था और उक्त लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों और एजेंटों द्वारा हमें दी गई जानकारी पर भी आधारित है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने जांच की अवधि के दौरान बोर्ड और कंपनी की विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए वित्तीय रिकॉर्ड, खातों की पुस्तकों और निर्णयों की शुद्धता, उपयुक्तता और आधारों का सत्यापन नहीं किया है। हमने समझने और एक राय बनाने के लिए बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की जांच की है क्या इसके बाद उल्लिखित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की संबंधित समितियों, कंपनी के सदस्यों और अन्य प्राधिकरणों की मंजूरी लेने की पर्याप्त प्रणाली है।

जहां भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर अनुपालन प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

हमारी रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता या सटीकता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि, हमने (संशोधित) प्रावधानों के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

- (iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियमन;
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:
 - a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;
 - b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
 - c) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; और
 - d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015। ("सूचीबद्धता विनियम")
- (vii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश जारी किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसरण में परीक्षण-जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच पर, कंपनी ने विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. चाय अधिनियम, 1953
2. वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 और उसके तहत बनाये गये नियम;
3. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003;
4. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006;
5. चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश, 1959;
6. चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005;
7. भारतीय विदूत अधिनियम, 2003 और भारतीय विदूत नियम, 1956 (2005 में संशोधित);
8. विदूत तार, केबल, उपकरण और सुरक्षा उपकरण और सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003;
9. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986; और
10. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए इसकी प्रयोज्यता की सीमा तक और हमारी जांच और रिपोर्टिंग दस्तावेजों, अभिलेखों और फाइलों पर आधारित है जैसा कि उत्पादित और दिखाया गया है और कंपनी और उसके प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी पर विभिन्न अधिनियमों की प्रयोज्यता के हमारे सर्वोत्तम निर्णय और समझ के अनुसार है। इसके अलावा, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और समझ के अनुसार कंपनी में सामान्य कानूनों, श्रम कानूनों, प्रतिस्पर्धा कानून, पर्यावरण कानूनों आदि सहित लागू कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

1. *लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम थी। 31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल में 8 (आठ) निदेशक (3 कार्यकारी, 2 नामांकित और 3 स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल थे। अध्यक्ष कार्यकारी होने के कारण, बोर्ड में आवश्यक आईडी की संख्या बोर्ड की ताकत का 50% थी, यानी (8*50% = 4)। हालाँकि, 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड पर केवल 3(तीन) आईडी थे।*
2. *कंपनी को अभी तक लिस्टिंग विनियमों के विनियम 38 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करना बाकी है। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की शेयरधारिता में 89.25% प्रमोटर हिस्सेदारी और 10.75% सार्वजनिक हिस्सेदारी शामिल है। हालाँकि, आर्थिक मामलों के विभाग के 6 जुलाई, 2022 के निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 1 अगस्त, 2024 तक अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 25% तक बढ़ाने की छूट दी गई है।*



3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में रोटेशनल निदेशक नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों/ दिशानिर्देशों/ मानकों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:

- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
- (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; और
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- (a) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में यदि कोई परिवर्तन हुआ, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।
- (b) बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- (c) बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को दर्ज किया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।
- (d) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- (a) कंपनी ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की मंजूरी के अधीन कंपनी की दो गैर-कार्यात्मक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव दिया था।
- (b) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से एक को कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक के साथ पंजीकरण को नवीनीकृत करना बाकी है।
- (c) जैसा कि प्रबंधन ने सूचित किया है और वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2023 से अपने लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा के रखरखाव के संबंध में 31 मार्च, 2022 की एमसीए अधिसूचना का आंशिक रूप से अनुपालन किया था।
- (d) तीन चाय बागानों अर्थात् बानरहाट, चूनाभुट्टी और हरितालगुड़ी -3 (न्यू डुआर्स के) के लीज समझौते का नवीनीकरण किया जाना बाकी है।
- (e) कंपनी विनियम 3(5) और 3(6) सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन करती है और उसके पास एक संरचित डिजिटल डेटाबेस है।

ए के लाभ एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

(सीएस ए के लाभ)

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

एफसीएस - 4848 / सीपी नंबर - 3238

यूआईएन : S1999WB026800

पीआरसीएन: 1038/2020

यूडीआईएन: F004848F000959296

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 14 अगस्त, 2024

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि/संपत्तियों का सारांश

क्र. सं.	संपत्ति का नाम	होल्डिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस पोर्टल के अनुसार भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय
1	यूल हाउस, पंजीकृत कार्यालय, 8, डॉ. आर. पी. सरणी, कोलकाता - 700001	फ्रीहोल्ड	25389	3452.66	शून्य	ऑफिस
2	कार्यालय और फैक्टरी ऑफ इलेक्ट्रिकल -कोलकाता ऑपरेशन (एसडब्ल्यूजीआर यूनिट), 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	23476	12171.00	शून्य	फैक्टरी
3	कार्यालय और फैक्टरी इलेक्ट्रिकल - चेन्नई ऑपरेशन, 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरुगुडी, चेन्नई	फ्रीहोल्ड	658792	16748.19(4.13857 एकड़)	शून्य	फैक्टरी
4	गेस्ट हाउस, सी-54, पहली मंजिल साउथ एक्सटेंशन, पार्ट II, नई दिल्ली।	फ्रीहोल्ड	91209	232.26 (2500.00 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
5	भूमि और विद्वत भवन कोलकाता ऑपरेशन (रसपुंजा), बखराहट रोड, पीओ और गांव रसपुंजा, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	24829	22445.26	शून्य	भवन के साथ भूमि
6	भूमि और भवन विद्वत कोलकाता ऑपरेशन (ठाकुरपुकुर यूनिट), एमजी रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	39183	10831.78	शून्य	भवन के साथ भूमि
7.1	1 नं. आवासीय फ्लैट (ग्रेड फ्लोर फ्लैट I-0) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
7.2	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040 में 1 आवासीय फ्लैट (प्रथम तल फ्लैट I-1 और ग्रेड तल पर 4 कार पार्किंग स्थान)	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
7.3	1, आवासीय फ्लैट (पहला फ्लोर फ्लैट जी-1) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
7.4	1, आवासीय फ्लैट (पहला फ्लोर फ्लैट एच-1) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
7.5	1, आवासीय फ्लैट (चौथा फ्लोर फ्लैट केएल -4) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज में, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	203.39(2189.32 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
7.6	1, आवासीय फ्लैट (5वां फ्लोर फ्लैट जीएच-5) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	204.15 (2195.70 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य



क्र. सं.	संपत्ति का नाम	होल्डिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस पोर्टल के अनुसार भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय
7.7	1, आवासीय फ्लैट (5वां फ्लोर फ्लैट केएल-5) गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	203.40 (2189.4 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
8	गेस्ट हाउस, वुडलैंड सिंडिकेट (1 फ्लैट और 1 कार पार्किंग स्थान), 8/7 अलीपुर रोड कोलकाता फ्लैट नंबर 12, 5वीं मंजिल, कोलकाता - 700027	फ्रीहोल्ड	28526	315.44 (3260.40 वर्ग फुट, फ्लैट एरिया) (135 वर्ग फुट), कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	निवास योग्य
9	मोनी टॉवर गेस्ट हाउस- 1 फ्लैट 31/41 जेम्स लॉन्ग सरणी: फ्लैट नंबर - 11 यूए, कोलकाता - 700038	फ्रीहोल्ड	28459	159.70 (1584.00 वर्ग फुट, फ्लैट क्षेत्र) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	निवास योग्य
10.1	मिटो पार्क सिंडिकेट- 1 फ्लैट (6बी)13, देबेंद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर-6बी, कोलकाता -700 027	फ्रीहोल्ड	28555	326.08(3375.00 वर्ग फुट, फ्लैट एरिया)(135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	निवास योग्य
10.2	मिटो पार्क सिंडिकेट - 1 फ्लैट (9बी)13, देबेंद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर -9 बी, कोलकाता -700 027	फ्रीहोल्ड	39202	326.08(3375.00 वर्ग फुट, फ्लैट एरिया)(135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	निवास योग्य
11	पर्ल अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 58, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700 068	फ्रीहोल्ड	28658	124.24 (1217.40 वर्ग फुट, फ्लैट एरिया) (120 वर्ग फुट), कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	निवास योग्य
12	गोपालपुर गेस्ट हाउस बिल्डिंग 1, एचएम एस्टेट, गंजम 761002, ओडिशा	फ्रीहोल्ड	39232	147.99 (1593.00 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
13	हॉलिडे होम, "सीमेंट कोठी" चक्रतीर्थ रोड, पुरी - 752 002, ओडिशा	पट्टे पर	28657	1007.748	शून्य	निवास योग्य
14	इंजीनियरिंग डिवीजन फैक्ट्रीप्लॉट 16 ए और बी, ब्लाक - डी, जिला कल्याणी - 741 235, पश्चिम बंगाल	पट्टे पर	24873	90096.65	शून्य	फैक्टरी
15	इलेक्ट्रिकल - कोलकाता ऑपरेशन, ब्रेंटफोर्ड फैक्ट्री पी -25 ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कोलकाता - 700025	पट्टे पर	23527	4672.49	शून्य	फैक्टरी
16	आनंद अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 1/413, गरियाहाट रोड, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068	पट्टे पर	28567	75.71 (815.00 वर्ग फुट)	शून्य	निवास योग्य
17	कलिम्पोंग गेस्ट हाउस बिल्डिंग प्लॉट नंबर 72/73, डब्ल्यूआर रोड, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल	पट्टे पर	अनुपलब्ध	4087.2640.95 एकड़ (भूमि क्षेत्र) पहली उड़ान पर 1701.00 वर्ग फुट जीआर, एफएलआर और 912.00 वर्ग फुट की दो मंजिला बंगलो बिल्डिंग	शून्य	निवास योग्य



क्र. सं.	संपत्ति का नाम	होलिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस पोर्टल के अनुसार भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय
18	बनारहाट टी एस्टेटपीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 202	पट्टे पर	352	7917836.46 (1956.54 एकड़)	0.007%	कृषि
19	न्यू डुआर्स टी एस्टेट पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 203	पट्टे पर	40223	9683115.70 (2392.75 एकड़)	शून्य	कृषि
20	कर्बल्ला टी एस्टेटपीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735202	पट्टे पर	22600	10339192.07 (2554.87 एकड़)	0.005%	कृषि
21	चूनभुट्टी टी एस्टेटपीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 202	पट्टे पर	22506	5343064.53 (1320.30 एकड़)	0.001%	कृषि
22	मीम टी एस्टेटजिला: दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल - 734 221	पट्टे पर	573	3890809.64 (961.44 एकड़)	शून्य	कृषि
23	बासमतिया चाय एस्टेटपीओ: लाहौल, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 010	पट्टे पर	44885	4026096.05 (994.87 एकड़)	शून्य	कृषि
24	देशम टी एस्टेट पी.ओ. एवं टी.ओ.: नहरकटिया, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786610	पट्टे पर	28570 और 28574	4777678.22 (1180.59 एकड़)	शून्य	कृषि
25	राजगढ़ चाय एस्टेटपीओ: राजगढ़, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 611	पट्टे पर	24834	4472504.78 (1105.18 एकड़)	शून्य	कृषि
26	मुरफुलानी टी एस्टेटपी.ओ. एवं टी.ओ.: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	पट्टे पर	1984	4412732.71 (1090.41 एकड़)	शून्य	कृषि
27	बोगीजान आउट गार्डनपी.ओ. एवं टी.ओ.: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	पट्टे पर	44938	1681671.19 (415.55 एकड़)	शून्य	कृषि
28	खोवांग टी एस्टेट पी.ओ. एवं टी.ओ.: खोवांग जिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	44803	8565535.83 (2116.59 एकड़)	0.795%	कृषि
29	भामुन आउट गार्डनपी.ओ. & टी.ओ.: खोवांगजिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	56616	5058449.12 (1249.97 एकड़)	शून्य	कृषि
30	हिंघ्रिजान आउट गार्डनपी.ओ. & टी.ओ.: खोवांगजिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	67676	5261844.12 (1300.23 एकड़)	शून्य	कृषि
31	टिकांग टी एस्टेटपीओ: टिकोंग, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 612	पट्टे पर	27759	7057596.195 (1743.97 एकड़)	शून्य	कृषि
32	हुलंगूरी टी एस्टेट पी.ओ. एवं टी.ओ.: मरियानी, जिला: जोरहाट, असम - 785 634	पट्टे पर	44943 और 44945	4785448.18 (1182.51 एकड़)	शून्य	कृषि
33	सी9, 193-ए, साइट नंबर 1, बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद	पट्टे पर	ना	4052.71 (4847 वर्ग गज)	शून्य	औद्योगिक



व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

1	सूचीबद्ध यूनिट का विवरण			
1	सूचीबद्ध यूनिट की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L63090WB1919GOI003229		
2	सूचीबद्ध यूनिट का नाम	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड		
3	निगमन का वर्ष	1919		
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता - 700001		
5	कॉर्पोरेट पता	यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता - 700001		
6	ई-मेल	com.sec@andrewyule.com		
7	दूरभाष	033 2242-8210/8550		
8	वेबसाइट	www.andrewyule.com		
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023-24		
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड.		
11	पेड-अप कैपिटल	रु.97,79,01,956/- जिसमें रु.2/- के 48,89,50,978 शेयर शामिल हैं		
12	बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता)	श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; टेलीफोन: 033 22428210/8550; ईमेल: cmd@andrewyule.com		
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत किए गए खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर (यानी केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (यानी यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)।	इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर किए जाते हैं।		
14	आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं		
15	आश्वासन प्रदाता का प्रकार	लागू नहीं		
II उत्पाद/सेवाएं				
16	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):			
	क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के टर्नओवर का%
	1.	विनिर्माण और बिक्री	चाय, ट्रांसफॉर्मर, औद्योगिक पंखे	100%
17	यूनिट द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (यूनिट के कारोबार का 90% हिस्सा):			
	क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
	1	इंजीनियरिंग डिवीजन उपरोक्त उत्पादों से जुड़े औद्योगिक पंखे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, टर्न-की परियोजनाओं का निर्माण और आपूर्ति करता है।	29199	21%
	2	इलैक्टिकल-चेन्नई प्रचालन 33 केवी से 132 केवी में 5 एमवीए से 63 एमवीए, 220 केवी वर्ग में 20 एमवीए, 100 एमवीए 220 केवी श्रेणी तक ऑटो ट्रांसफार्मर और 40 एमवीए 132 केवी श्रेणी तक के जेनरेटर ट्रांसफार्मर का विनिर्माण करता है।	27102	26%



	3.	चाय उगाना और निर्माण	01271	53%
III परिचालन				
18	उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या संस्था के संचालन/कार्यालय स्थित हैं:			
	स्थान	पौधों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
	राष्ट्रीय	14	2	16
	अंतरराष्ट्रीय	0	0	0
नोट्स				
निम्नलिखित संयंत्रों में विनिर्माण गतिविधियाँ की जाती हैं:				
1. इलेक्ट्रिकल -चेन्नई ऑपरेशंस (पेरुगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु)				
2. इंजीनियरिंग डिवीजन (कल्याणी, पश्चिम बंगाल)				
3. चाय प्रभाग (पश्चिम बंगाल और असम) -12 (बारह) चाय एस्टेट के साथ 12 संबद्ध कारखाने पश्चिम बंगाल और असम में फैले हुए हैं।				
4. कार्यालयों में कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय और नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।				
19	यूनिट द्वारा सेवित बाजार:			
ए	स्थानों की संख्या			
	स्थान	संख्या		
	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	37 (सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में)		
	अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	कंपनी सीधे ब्रिटेन और पोलैंड को निर्यात करती है		
बी	यूनिट के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्यात नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूनिट के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान 3.16% था। चूंकि यह रिपोर्ट केवल एवाईसीएल से संबंधित है, इसलिए इस संबंध में विवरण केवल संबंधित कंपनी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।		
सी	ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण	कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन के ग्राहक स्टील, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और चीनी उद्योग हैं। इलेक्ट्रिकल चेत्रे प्रचालन के ग्राहक अधिकांशतः तमिलनाडु और कर्णाटक राज्य विदित बोर्ड, ईपीसी परियोजनाएं आदि हैं। चाय ग्राहक थोक खरीदार, निर्यात बाजार, खुदरा उपभोक्ता, चाय नीलामी, निजी लेबल ब्रांड, चाय प्रोसेसर और ब्लेंडर हैं।		



IV	कर्मचारी						
20	वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:			2023-24			
ए.	कर्मचारी और श्रमिक (अलग-अलग विकलांगों सहित):						
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
	कर्मचारियों						
	1	स्थायी (डी)	176	171	97.16	5	2.84
	2	स्थायी के अलावा (ई)	19	19	100	0	0
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	195	190	97.44	5	2.56
	श्रमिक						
	4	स्थायी (एफ)	13993	7083	50.62	6910	49.38
	5	स्थायी के अलावा (जी)	140	136	97.14	4	2.86
	6	कुल कर्मचारी (एफ+जी)	14133	7219	51.08	6914	48.92
	उपरोक्त के अलावा, कार्यालयों और कारखानों के लिए तीसरे पक्ष के पेट्रोल के तहत लगे कर्मचारी हैं।						
बी.	अलग-अलग विकलांग कर्मचारी और श्रमिक:						
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
	अलग-अलग विकलांग कर्मचारी						
	1	स्थायी (डी)	1	1	100	0	0
	2	स्थायी के अलावा (ई)	-	-	0	0	0
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	1	1	100	0	0
	दिव्यांग श्रमिक						
	4	स्थायी (एफ)	58	39	67.24	19	32.76
	5	स्थायी के अलावा (जी)	-	-	-	-	-
	6	कुल कर्मचारी (एफ+जी)	58	39	67.24	19	32.76
21	महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व						
	विवरण			कुल	महिला		
				(ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	
	निदेशक मंडल			8	1	12.5	
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक *			4	1	25	
	* सीईओ, सीएफओ, कंपनी सचिव और निदेशक (योजना) शामिल						

22	स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर									
	लाभ	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23			वित्तीय वर्ष 21-22		
		(वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)			पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर			(पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में कारोबार दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	स्थायी कर्मचारी	1.7%	-	1.7%	2%	1%	3%	3%	0	3%
	स्थायी श्रमिक	-	-	-	--	--	--	--	--	--



V	होल्टिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित)				
23 (क)	होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम				
	क्रम सं.	होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि क्या यह होल्टिंग/ सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ 'ए' में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
	1	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	सहायक	100.00	टाइड वाटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अलावा किसी अन्य इकाई/ इकाइयों ने कंपनी की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग नहीं लिया।
	2	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	सहायक	100.00	
	3	टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड	सहयोगी	26.23	

VI	सीएसआर विवरण				
24 (i)	क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)				
	नहीं, सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू नहीं है। सीएसआर 500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ वाली कंपनियों, 1000 करोड़ से अधिक टर्नओवर और 5 करोड़ से अधिक नेट प्रॉफिट वाली कंपनियों के लिए लागू है।				
	(ii) टर्नओवर (₹। करोड़ में)				
	309.85 करोड़				
	(iii) नेट वर्थ (₹। करोड़ में)				
	124.24 करोड़				

VII	पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन				
	पीएसयू के रूप में, यूनिट पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन को प्राथमिकता देती है। यूनिट सख्त कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करती है और समय पर और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रदान करती है। यूनिट की व्हिसल-ब्लोअर नीति अनैतिक प्रथाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है। यूनिट सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। सामाजिक जिम्मेदारी की पहल का भी खुलासा किया जाता है, जो जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास के लिए यूनिट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।				
25	जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें /				

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 23-24				वित्तीय वर्ष 22-23	
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
शेयरधारकों	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
ग्राहक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य (कृपया बताएं)	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं

नोट: उपरोक्त सभी हितधारकों के लिए अभिप्रेत निवारण तंत्र का विवरण देने वाली शिकायत निवारण नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिक पर उपलब्ध है <http://www.andrewyule.com/grievance1.php>



26	यूनिट की सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण समस्याओं का अवलोकन
	कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्रम संख्या	सामग्री का मुद्दा पहचाना	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	पहचान के लिए औचित्य जोखिम / अवसर	जोखिम के मामले में, अनुकूलन के लिए दृष्टिकोण या कम करें	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	डेटा सुरक्षा	जोखिम	डेटा सुरक्षा हमारे लिए उच्च प्राथमिकता बनी हुई है। डेटा उल्लंघन, साइबर हमले और बाहरी कारक संगठन की छवि, परियोजनाओं और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं	वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा और बेहतर प्रणालियों का कार्यान्वयन।	नकारात्मक
2	कॉर्पोरेट प्रशासन	जोखिम	कमजोर शासन वाले संगठन सरकारी और सामाजिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं जो इसके सरकारी और सामाजिक लाइसेंस को संचालित करने के लिए प्रभावित करते हैं	मजबूत नीति-उन्मुख शासन संरचना और कार्यान्वयन संरचना।	नकारात्मक
3	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	जोखिम	दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं और जीवन के नुकसान से बचने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इसके परिणामस्वरूप गंभीर कानूनी मुद्दे भी हो सकते हैं।	इंजीनियरिंग प्रभाग ने ISO45001 के अनुसार "नई व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" (ओएचएसएमएस) लागू की है। कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए समय-समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं।	नकारात्मक
4	मानवाधिकार एवं श्रम मुद्दे	जोखिम	संगठन की अखंडता को चुनौती देता है। इसके कानूनी निहितार्थ हैं।	मानवाधिकार और श्रम कल्याण शासी नीतियों द्वारा कवर किए जाते हैं। आवधिक स्व-मूल्यांकन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।	सकारात्मक
5	प्रतियोगिता	जोखिम	बाजार हिस्सेदारी के लिए खतरा	विभिन्न अन्य बाजार के अवसरों की खोज।	नकारात्मक
6	उपभोग स्वरूप	मौक़ा	किसी ब्रांड या उत्पाद को उसकी बेहतर गुणवत्ता पर जोर देकर उपभोक्ताओं से अपील करने के प्रयास की क्रिया या प्रक्रिया में वृद्धि।	लागू नहीं	सकारात्मक
7	नई प्रौद्योगिकी को अपनाना	मौक़ा	पुरानी तकनीक	नई कुशल प्रौद्योगिकियों के लिए उन्नयन।	सकारात्मक

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित राष्ट्रीय व्यावसायिक आचरण संबंधी दिशा-निर्देश (एनजीआरबीसी) नीचे दिए गए अनुसार पी1-पी9 नामक नौ सिद्धांतों का समर्थन करते हैं

सिद्धांत 1:	सिद्धांत 2:	सिद्धांत 3:
व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिनमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है।
सिद्धांत 4:	सिद्धांत 5:	सिद्धांत 6:
व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।	व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7:	सिद्धांत 8:	सिद्धांत 9:
व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	व्यवसाय को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसाय को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं	पी1	पी 2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1. ए. क्या आपकी यूनिट की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बी. क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सी.. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	एनजीआरबीसी सिद्धांतों को कवर करने वाली नीतियां कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर www.andrewyule.com नीतियां अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं http://www.andrewyule.com/policy.php								
2. क्या यूनिट ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	ऊपर उल्लिखित नीतियां निर्धारित एनजीआरबीसी सिद्धांतों को आत्मसात करती हैं और कंपनी अपने हितधारकों से अपेक्षा करती है कि वे अपने सभी व्यवहारों में इसका पालन करें।								
4. आपकी यूनिट द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए।	<ol style="list-style-type: none"> सभी चाय बागानों के पास आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन), ट्रस्टिया, वर्षा वन गठबंधन आदि जैसे आवश्यक प्रमाणपत्र हैं जिनमें स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर निरंतर जोर दिया गया है। इंजीनियरिंग डिवीजन के पास आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस आईएसओ 45001 प्रमाणन है। इलेक्ट्रिकल चेन्नई यूनिट को 10 एमवीए, 125 एमवीए, 20 एमवीए और 315 एमवीए के लिए आईएसओ 9001 और सीपीआरआई प्रमाणन प्राप्त है। 								
5. परिभाषित समयसीमा के साथ यूनिट द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	शून्य								



6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ कारणों के साथ यूनिट का प्रदर्शन यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है।	लागू नहीं
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध यूनिट के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)

एवाईसीएल, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सचेत है। कंपनी दृढ़ता से मानती है कि अपने व्यवसाय संचालन में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एम्बेड करना और इसका पालन व्यवसाय में लचीलापन बनाने, संस्कृति को बदलने और हमारे सभी हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए आवश्यक है। स्थिरता हमारे व्यापार दर्शन के केंद्र में है। हमारी स्थिरता रणनीति प्रमुख स्थिरता प्रवृत्तियों और हमारे हितधारकों पर हमारे व्यापार संचालन के सभी संभावित प्रभावों पर विचार करती है। इसके अलावा, हम अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को विकसित करते समय प्रमुख अवसरों और जोखिमों पर विचार करते हैं। यह वर्ष ईएसजी के प्रति हमारे संरचित दृष्टिकोण की शुरुआत का प्रतीक है, हमारे दीर्घकालिक ईएसजी ढांचे के विकास के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय ईएसजी प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों के साथ गठबंधन किया गया है। हमने अपने प्रमुख भौतिक विषयों की पहचान की है, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन, नैतिकता और अखंडता से संबंधित कारक शामिल हैं, जो आगे बढ़ने वाले व्यवसाय के प्रति प्रबंधन के दृष्टिकोण का आधार बनेंगे। हम अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य बनाने के लिए इन ईएसजी मापदंडों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को मापेंगे और मूल्यांकन करेंगे।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

नहीं

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	आवृत्ति
		(वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)
	पी1 पी 2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9	पी1 पी 2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	सीईओ और बोर्ड के सदस्य इन महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार के लिए व्यापक योजना बनाते हैं और दस्तावेजी लक्ष्य जारी करते हैं। सभी इकाइयों के प्रमुख विस्तृत योजना बनाते हैं और निर्देशों के अनुसार सुधार शुरू करते हैं। इसकी सभी इकाइयों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है। इनकी समीक्षा प्रभाग प्रमुख द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। सीईओ/बोर्ड वार्षिक समीक्षा करते हैं तथा फीडबैक और प्रोत्साहन देते हैं। सीईओ/बोर्ड नियोजित सुधारों के लिए आवश्यक किसी भी बजटीय या नीतिगत ज़रूरत का ध्यान रखते हैं।	वार्षिक रूप से



सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	कंपनी लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में है।	विभिन्न नियमों के तहत अनुपालन की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक।								
11. क्या यूनिट ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।										
सवाल		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
यूनिट अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हां / यूनिट उस स्तर पर नहीं है जहां यह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हां/नहीं) पर नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में है		लागू नहीं								
यूनिट के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)										
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं)										
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)										
खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण										
यह खंड संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करने के उद्देश्य से है। मांगी गई सूचना को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' श्रेणी में रखा गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक यूनिट द्वारा खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।										

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक				
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:			
	खंड	प्रशिक्षण और जागरूकता की कुल संख्या आयोजित कार्यक्रम	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
	निदेशक मंडल	निदेशक मंडल और केएमपी अन्य बातों के साथ-साथ परिचितों से परिचित हैं i. जोखिम प्रबंधन, ii. व्यापार रणनीति, iii. व्यवसाय पर लागू कानूनों पर अद्यतन, iv. नई व्यावसायिक पहल।		100%
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	वित्त वर्ष 2023-24 और अन्य पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदान किए गए परिचित कार्यक्रमों का अधिक विवरण वेबलैंक के तहत कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है http://www.andrewyule.com/shareholders-information.php		100%
	BoD और KMPs के अलावा अन्य कर्मचारी	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 2023 के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संशोधनों का 3D दृश्य और ज्वलंत मुद्दे, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि, ग्राहक संतुष्टि और व्यावसायिक स्थिरता की कुंजी, POSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आदि शामिल हैं।		100%



	श्रमिक	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपने श्रमिकों के लिए विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, प्लकिंग तकनीक, प्रूनिंग तकनीक, यौन उत्पीड़न, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा-रासायनिक संचालक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, पर्यावरण - पारिस्थितिकी और जैव विविधता, स्वच्छ भारत पर जागरूकता कार्यक्रम, "उचित निपटान के साथ अपशिष्ट पृथक्करण" अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता सत्र शामिल हैं।	100%		
2.	वित्तीय वर्ष में नियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाहियों में भुगतान की गई जुर्माना/शास्ति/दंड/अधिनिर्णय/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित फार्मेट में (नोट कंपनी सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमों के विनियम 30 में यथा विनिदष्ट भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी, 2015 और जैसा कि यूनिट की वेबसाइट पर बताया गया है):				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	कुल धनराशि (INR में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
मौद्रिक					
जुर्माना/दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेटलमेंट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-मौद्रिक					
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।				
	मामले का विवरण		नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम		
	लागू नहीं		लागू नहीं		
4.	क्या यूनिट के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।				
हां, यूनिट के सीडीए नियम हैं जो इस तरह के अनैतिक व्यवहार में संलग्न किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देते हैं। यह http://www.andrewyule.com/policy.php पर उपलब्ध है।					
5.	रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जिन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई, उनकी संख्या				
	वित्तीय वर्ष 23-24		वित्तीय वर्ष 22-23		
निर्देशकों	शून्य		शून्य		
केएमपी	शून्य		शून्य		
कर्मचारियों	शून्य		शून्य		
श्रमिक	शून्य		शून्य		

6.	हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:				
		वित्तीय वर्ष 23-24		वित्तीय वर्ष 22-23	
		संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
	निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
	केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
7.	भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/जुर्माना/दंड से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।				
	लागू नहीं				
नेतृत्व संकेतक					
1	क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।				
	हाँ, एवाईसीएल ने नामित व्यक्ति द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए उचित प्रकटीकरण संहिता और आचार संहिता तैयार की है और संबंधित पार्टि लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टि लेनदेन से निपटने पर नीति तैयार की है। इन नीतियों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाना है।				

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1	उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः कंपनी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए।			
	अपने व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, आपकी कंपनी को पता है कि उत्पादन के दौरान उसके उत्पादों में पर्यावरणीय चिंता हो सकती है। वर्षों से यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन में लगातार निवेश कर रहा है। आपकी कंपनी हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनियो/डिवीजनों को ऊर्जा उपयोग क्षमता में सुधार के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, प्रौद्योगिकी समामेलन और अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय की दिशा में उठाए गए कदमों और किए गए प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित किए गए प्रकटीकरण देखें जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।			
		वित्तीय वर्ष 2023-24 (₹.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (₹.)	
		पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण		
	आर एंड डी	13.96 लाख	13.22 लाख	इंजीनियरिंग डिवीजन ने 2 पुराने हाई पावर कंज्यूमिंग थाइरिस्टोराइज्ड वेल्डिंग एमएमएडब्ल्यू और 1 पुराने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को नई आईजीबीटी आधारित एमएमएडब्ल्यू मशीन से बदल दिया है और इस तरह प्रति माह 250 किलोवाट घंटे की ऊर्जा की बचत हुई है।
	कैपेक्स	20.27 करोड़	42.69 करोड़	इंजीनियरिंग डिवीजन के ऊर्जा बचत कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में चरणों में अत्यधिक कुशल एलईडी बल्ब और ट्यूबों का उपयोग करके, डिवीजन ने 2023-24 में पारंपरिक लैंप, ट्यूब और सभी पारंपरिक उच्च वाट क्षमता वाले प्रकाश को उच्च ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब और ट्यूबों द्वारा चरणों में बदल दिया है और इस तरह लगभग 1000 करोड़ रुपये की ऊर्जा की बचत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 5000 kWh प्रति माह।



2	ए. क्या कंपनी के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? कंपनी अपने इनपुट मुख्य रूप से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों/संस्थाओं से प्राप्त करती है, जिनके बीआर दायित्वों से अच्छी तरह वाकिफ होने की उम्मीद है। यद्यपि विनिर्माण में कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री ऐसी प्रकृति की है, जो आम तौर पर छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है, लेकिन पैकेजिंग सामग्री स्थानीय रूप से प्राप्त की जाती है, जिसमें विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, बशर्ते वे कंपनी की गुणवत्ता, वितरण, लागत आदि अपेक्षाओं को पूरा करते हों। बी. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था? बेयरिंग फिटमेंट के लिए इंडक्शन हीटर रु. 1.03 लाख में खरीदा गया है जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के कुल उपयोग किए गए कैपेक्स का 1.36% है।
3	बिक्री के बाद और अपने उत्पादों के जीवन के अंत में सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने, पुनः उपयोग करने, रीसायकल करने और निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, अलग-अलग (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा और (सी) अन्य अपशिष्ट। चाय बागानों में केवल पीपीसी/चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित कृषि रसायनों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन के दौरान प्रसंस्करण/छंटाई और चिमनी और अपशिष्ट जल गुणवत्ता में वायु गुणवत्ता की मानीटरी की जा रही है और प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अलग किया जा रहा है और फिर वैधानिक मानदंडों का पालन करने के बाद निपटान किया जा रहा है। खाली रासायनिक कंटेनरों का निपटान केवल पीसीबी अनुमोदित विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है।
4	क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) यूनिट की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1	क्या यूनिट ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें? कंपनी ने जीवन चक्र आकलन (एलसीए) नहीं किया है।														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>एनआईसी कोड</th> <th>उत्पाद/सेवा का नाम</th> <th>कुल टर्नओवर का % योगदान दिया</th> <th>सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था</th> <th>चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए (हां/नहीं)</th> <th>सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हां/नहीं)</th> <th>यदि हाँ, तो वेब लिंक प्रदान करें।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">लागू नहीं</td> </tr> </tbody> </table>	एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हां/नहीं)	यदि हाँ, तो वेब लिंक प्रदान करें।	लागू नहीं						
एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हां/नहीं)	यदि हाँ, तो वेब लिंक प्रदान करें।									
लागू नहीं															
2	यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें। हालांकि कंपनी के उत्पादों के संबंध में कोई औपचारिक एलसीए नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी के अपने दृष्टिकोण के आधार पर, कुछ पर्यावरणीय पहलू, विवरण और न्यूनीकरण हो सकते हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है: ए) सामग्री परिवहन के समय वाहनों की आवाजाही के दौरान कार्बन उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसे कम करने के लिए ट्रांसपोर्टों के साथ करारों में वाहन पीयूएस के अनुरक्षण, नियमित अनुरक्षण आदि की अनिवार्य आवश्यकता को शामिल किया जाता है। बी) ग्राहकों/अंतिम प्रयोक्ता को कैटलॉग/प्रयोक्ता मैनुअल के माध्यम से यथा उपयुक्त आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उपयोग/निपटान के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं, यदि कोई हों, के बारे में सूचित किया जा सके। सी) उत्पाद के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग के प्रकार के आधार पर वांछनीय पैकेजिंग सामग्री निपटान विधि के बारे में सूचित करते हुए उत्पाद लेबल के रूप में ग्राहक को आवश्यक दिशा-निर्देश संप्रेषित किए जाते हैं।														
3	उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत। जैसा कि पहले बताया गया है, चूंकि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में किसी भी पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किए गए इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए, यह लागू नहीं है।														

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है।

आवश्यक संकेतक

1 ए. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:											
श्रेणी	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	171	171	100	75	43.86	-	-	-	-	-	-
महिला	5	5	100	0	-	-	-	-	-	-	-
कुल	176	176	100	75	42.61	-	-	-	-	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:											
श्रेणी	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	7083	7083	100	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	6910	6910	100	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	13993	13993	100	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी श्रमिकों के अलावा											
पुरुष	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।											
फ़ायदे	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23							
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा (वाई/एन/एनए)					
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ					
उपदान	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ					
ईएसआई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं					
दूसरों-कृपया निर्दिष्ट करें	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं					
नोट: केवल अनुबंधित कर्मचारियों और श्रमिकों को ईएसआईसी लाभ प्राप्त हैं। ग्रेजुटी (पात्र कर्मचारियों के लिए) के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित राशि यूल ग्रुप ग्रेजुटी फंड के साथ वित्त पोषित की जाती है जो कंपनी द्वारा योगदान दिया जाता है और इस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों या श्रमिकों से अलग से कोई कटौती नहीं की जाती है।											
3 कार्यस्थलों की पहुंच											
क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार यूनिट के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।											
हाँ, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ यूनिट के परिसर /											



4	<p>क्या यूनिट के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिक प्रदान करें।</p> <p>हां, यूनिट के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है।</p>																																																																																																																											
5	<p>काम पर लौटें और माता-पिता की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रतिधारण दर।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">लिंग</th> <th colspan="2">स्थायी कर्मचारी</th> <th colspan="2">स्थायी कर्मचारी</th> </tr> <tr> <th>काम की दर पर लौटें</th> <th>प्रतिधारण दर</th> <th>काम की दर पर लौटें</th> <th>प्रतिधारण दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पुरुष</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> </tr> <tr> <td>महिला</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> <td>नहीं</td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी स्थायी कर्मचारी और कर्मचारी ने माता-पिता की छुट्टी नहीं ली है।</p>							लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी		काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	पुरुष	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	महिला	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कुल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं																																																																																													
लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी																																																																																																																									
	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर																																																																																																																								
पुरुष	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं																																																																																																																								
महिला	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं																																																																																																																								
कुल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं																																																																																																																								
6	<p>क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।</p> <table border="1"> <tr> <td>स्थायी श्रमिक</td> <td rowspan="4"> <p>हां, कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को चिंताओं और शिकायतों को तुरंत संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारी और कर्मचारी अपनी शिकायतों को एक निर्दिष्ट चैनल, जैसे शिकायत पोर्टल, ईमेल, या व्यक्तिगत रूप से मानव संसाधन विभाग या नामित कर्मियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तंत्र शिकायतों के निपटान में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। शिकायत प्राप्त होने पर, पूरी तरह से जांच की जाती है, और समस्या को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने और आगे की किन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। एस्टेट में शिकायत समितियां हैं जिनमें बगीचे से एक कार्यकारी और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर याचना के लिए संपत्ति के प्रबंधक को अग्ररिपित कर दी जाती है।</p> </td> </tr> <tr> <td>स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य</td> </tr> <tr> <td>स्थायी कर्मचारी</td> </tr> <tr> <td>स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य</td> </tr> </table>							स्थायी श्रमिक	<p>हां, कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को चिंताओं और शिकायतों को तुरंत संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारी और कर्मचारी अपनी शिकायतों को एक निर्दिष्ट चैनल, जैसे शिकायत पोर्टल, ईमेल, या व्यक्तिगत रूप से मानव संसाधन विभाग या नामित कर्मियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तंत्र शिकायतों के निपटान में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। शिकायत प्राप्त होने पर, पूरी तरह से जांच की जाती है, और समस्या को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने और आगे की किन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। एस्टेट में शिकायत समितियां हैं जिनमें बगीचे से एक कार्यकारी और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर याचना के लिए संपत्ति के प्रबंधक को अग्ररिपित कर दी जाती है।</p>	स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	स्थायी कर्मचारी	स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य																																																																																																																
स्थायी श्रमिक	<p>हां, कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को चिंताओं और शिकायतों को तुरंत संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारी और कर्मचारी अपनी शिकायतों को एक निर्दिष्ट चैनल, जैसे शिकायत पोर्टल, ईमेल, या व्यक्तिगत रूप से मानव संसाधन विभाग या नामित कर्मियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तंत्र शिकायतों के निपटान में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। शिकायत प्राप्त होने पर, पूरी तरह से जांच की जाती है, और समस्या को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने और आगे की किन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। एस्टेट में शिकायत समितियां हैं जिनमें बगीचे से एक कार्यकारी और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर याचना के लिए संपत्ति के प्रबंधक को अग्ररिपित कर दी जाती है।</p>																																																																																																																											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य																																																																																																																												
स्थायी कर्मचारी																																																																																																																												
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य																																																																																																																												
7	<p>सूचीबद्ध यूनिट द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (ओं) या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कोटि</th> <th colspan="3">वित्तीय वर्ष 23-24</th> <th colspan="3">वित्तीय वर्ष 22-23</th> </tr> <tr> <th>संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक</th> <th>संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं</th> <th>% (बी/ए)</th> <th>संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक</th> <th>संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं</th> <th>% (D / C)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(ए)</td> <td>(बी)</td> <td></td> <td>(सी)</td> <td>(डी)</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुल स्थायी कर्मचारी</td> <td>176</td> <td>--</td> <td>0</td> <td>187</td> <td>--</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>पुरुष</td> <td>171</td> <td>--</td> <td>0</td> <td>183</td> <td>--</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>महिला</td> <td>5</td> <td>--</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>--</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>कुल स्थायी श्रमिक</td> <td>13993</td> <td>13993</td> <td>100</td> <td>14038</td> <td>14038</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>पुरुष</td> <td>7083</td> <td>7083</td> <td>100</td> <td>7138</td> <td>7138</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>महिला</td> <td>6910</td> <td>6910</td> <td>100</td> <td>6900</td> <td>6900</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>							कोटि	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23			संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (D / C)		(ए)	(बी)		(सी)	(डी)		कुल स्थायी कर्मचारी	176	--	0	187	--	0	पुरुष	171	--	0	183	--	0	महिला	5	--	0	4	--	0	कुल स्थायी श्रमिक	13993	13993	100	14038	14038	100	पुरुष	7083	7083	100	7138	7138	100	महिला	6910	6910	100	6900	6900	100																																																							
कोटि	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23																																																																																																																								
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (D / C)																																																																																																																						
	(ए)	(बी)		(सी)	(डी)																																																																																																																							
कुल स्थायी कर्मचारी	176	--	0	187	--	0																																																																																																																						
पुरुष	171	--	0	183	--	0																																																																																																																						
महिला	5	--	0	4	--	0																																																																																																																						
कुल स्थायी श्रमिक	13993	13993	100	14038	14038	100																																																																																																																						
पुरुष	7083	7083	100	7138	7138	100																																																																																																																						
महिला	6910	6910	100	6900	6900	100																																																																																																																						
8	<p>कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">श्रेणी</th> <th colspan="5">वित्तीय वर्ष 23-24</th> <th colspan="5">वित्तीय वर्ष 22-23</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">कुल (ए)</th> <th colspan="2">स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय</th> <th colspan="2">कौशल उन्नयन पर</th> <th rowspan="2">कुल (डी)</th> <th colspan="2">स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय</th> <th colspan="2">कौशल उन्नयन पर</th> </tr> <tr> <th>संख्या (बी)</th> <th>% (बी/ए)</th> <th>संख्या (सी)</th> <th>% (सी/ए)</th> <th>संख्या (ई)</th> <th>% (ई/डी)</th> <th>संख्या (ई)</th> <th>% (एफ/डी)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">कर्मचारियों</td> </tr> <tr> <td>पुरुष</td> <td>171</td> <td>7</td> <td>4.09</td> <td>13</td> <td>7.60</td> <td>183</td> <td>97</td> <td>53</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>महिला</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>20.00</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100</td> <td>2</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>176</td> <td>12</td> <td>6.82</td> <td>14</td> <td>7.95</td> <td>187</td> <td>101</td> <td>54</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">श्रमिक</td> </tr> <tr> <td>पुरुष</td> <td>7083</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>7138</td> <td>754</td> <td>11</td> <td>36</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>महिला</td> <td>6910</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>6900</td> <td>361</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>13993</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>14038</td> <td>1115</td> <td>8</td> <td>56</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table>							श्रेणी	वित्तीय वर्ष 23-24					वित्तीय वर्ष 22-23					कुल (ए)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		कौशल उन्नयन पर		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (ई)	% (एफ/डी)	कर्मचारियों											पुरुष	171	7	4.09	13	7.60	183	97	53	8	4	महिला	5	5	100	1	20.00	4	4	100	2	50	कुल	176	12	6.82	14	7.95	187	101	54	10	5	श्रमिक											पुरुष	7083	0	-	0	-	7138	754	11	36	0.5	महिला	6910	0	-	0	-	6900	361	5	20	0.3	कुल	13993	0	-	0	-	14038	1115	8	56	0.4
श्रेणी	वित्तीय वर्ष 23-24					वित्तीय वर्ष 22-23																																																																																																																						
	कुल (ए)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		कौशल उन्नयन पर																																																																																																																			
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (ई)	% (एफ/डी)																																																																																																																		
कर्मचारियों																																																																																																																												
पुरुष	171	7	4.09	13	7.60	183	97	53	8	4																																																																																																																		
महिला	5	5	100	1	20.00	4	4	100	2	50																																																																																																																		
कुल	176	12	6.82	14	7.95	187	101	54	10	5																																																																																																																		
श्रमिक																																																																																																																												
पुरुष	7083	0	-	0	-	7138	754	11	36	0.5																																																																																																																		
महिला	6910	0	-	0	-	6900	361	5	20	0.3																																																																																																																		
कुल	13993	0	-	0	-	14038	1115	8	56	0.4																																																																																																																		



9	कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:						
	लाभ	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23		
		कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
	कर्मचारियों						
	पुरुष	171	75	43.86	183	78	43
	महिला	5	5	100	4	4	100
	कुल	176	80	45.45	187	82	44
	श्रमिक						
	पुरुष	7083	85	1.2	7138	88	1.23
	महिला	6910	16	0.23	6900	15	0.21
कुल	13993	101	0.72	14038	103	0.73	
10	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:						
	ए. क्या यूनिट द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली क्या है?						
	हाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां और मैनुअल मौजूद हैं। प्रत्येक उद्यान में ओएचएस पर प्रशिक्षण और अद्यतन करने के लिए एक समिति है। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन ने कल्याणी संयंत्र में आईएसओ 45001 प्रणाली लागू की है। कंपनी सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रमाणन निकायों द्वारा आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन और ऑडिट आयोजित करती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों से संबंधित अपडेट भी नियमित रूप से वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं।						
	बी. यूनिट द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?						
	हाँ, संयंत्रों में नियमित अंतराल पर सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए संबंधित सुधारात्मक और निवारक उपाय किए जाते हैं।						
	सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ / नहीं)						
हाँ।							
11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्न स्वरूप में:						
	सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23			
	लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (LTIFR) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	शून्य			
		श्रमिक	शून्य	शून्य			
	कुल रिपोर्ट करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य			
		श्रमिक	शून्य	शून्य			
नहीं। मौतों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य				
	श्रमिक	शून्य	शून्य				
उच्च परिणाम काम से संबंधित चोट या बीमार स्वास्थ्य (घातक घटनाओं को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य				
	श्रमिक	शून्य	शून्य				
12	एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए यूनिट द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।						
	यूनिट सुरक्षा नीतियों, व्यापक प्रशिक्षण, खतरों की पहचान, सुरक्षा उपकरण प्रावधान, नियमित निरीक्षण, घटना रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता, कर्मचारी भागीदारी और नियमों के अनुपालन के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। उदाहरण हैं - i) मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ii) खतरनाक काम में लगे श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच, iii) सुरक्षा गियर/पीपीई का उपयोग, iv) प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, v) चल मशीनरी के लिए सुरक्षा उपाय, vi) अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण आदि।						



13	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:						
	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23			
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	(ए) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को वर्ष का अंत	टिप्पणियां	
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	वर्ष के लिए आकलन:						
	विवरण			आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (यूनिट या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)			
	स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास			100% - ट्रस्टिया ऑडिट			
	काम करने की स्थिति			100% - ट्रस्टिया ऑडिट			
15	सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर संबोधित करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें जब कभी सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा उठता है, तत्काल पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और नियमित अंतराल पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।						

नेतृत्व संकेतक

1	क्या यूनिट (ए) कर्मचारियों (वाई / एन) (बी) श्रमिकों (वाई / एन) की मृत्यु की स्थिति में किसी भी जीवन बीमा या किसी भी प्रतिपूरक पैकेज का विस्तार करती है। हाँ। श्रमिकों सहित किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, कंपनी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को "डेथ इन हार्नेस" की प्रकृति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान, कंपनी ने "डेथ इन हार्नेस" सुविधा के अलावा अतिरिक्त वित्तीय मुआवजा प्रदान किया।						
2	यूनिट द्वारा किए गए उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है। यूनिट यह सुनिश्चित करती है कि वैधानिक बकाया राशि की कटौती की जाए और मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा संविदात्मक समझौतों, नियमित ऑडिट, उचित दस्तावेज, अधिकारियों के साथ सहयोग और उचित परिश्रम के माध्यम से जमा किया जाए। ये उपाय अनुपालन, पारदर्शिता और कानूनी आवश्यकताओं के पालन को बढ़ावा देते हैं।						
3	उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताना, जिन्हें कार्य संबंधी उच्च परिणाम वाली चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है: नहीं। उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है						
	कुल संख्या प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या						
	वित्तीय वर्ष 23-24		वित्तीय वर्ष 22-23		वित्तीय वर्ष 23-24		वित्तीय वर्ष 22-23
	कर्मचारियों		0		0		0
	श्रमिक		61		61		15
4	क्या यूनिट निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं) नहीं।						

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए आवश्यक संकेतक

1	यूनिट के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।			
	एवाईसीएल के पास अपने आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों की पहचान करने के लिए एक तंत्र है। आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर्स की पहचान रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और विक्रेता पंजीकरण के माध्यम से की जाती है। समय-समय पर रिपोर्ट के माध्यम से निवेशकों की पहचान की जाती है। स्टेकहोल्डर सगाई प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनके साथ नियमित पत्राचार और बातचीत बनाए रखी जाती है।			
2	अपनी यूनिट के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।			
	हितधारक समूह	चाहे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना जाए (हां/ नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)
				इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
	लागू नहीं			

नेतृत्व संकेतक

1	आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।
	आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर बोर्ड के साथ हितधारक परामर्श की प्रक्रियाएं या तो हितधारकों के साथ सीधे जुड़ाव के रूप में या विशिष्ट समितियों या अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यायोजित परामर्श के रूप में हो सकती हैं। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की सूचना देने और हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ रणनीतियों को संरेखित करने के लिए की जाती है। प्रभावी संचार चैनल बोर्ड को प्रतिक्रिया का समय पर प्रसार सुनिश्चित करते हैं, टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
2	क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को यूनिट की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।
	हितधारकों को उम्मीद है कि यूनिट कानूनों और विनियमों के अनुपालन में और ट्रस्टिया या रेनफॉरेस्ट एलायंस प्रमाणन के साथ होगी। सतत और नैतिक चाय उत्पादन को बढ़ावा देने वाले स्वैच्छिक कार्यक्रम हैं। स्वयं में इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करना स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को संबोधित करते हुए प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वे हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और भारत में चाय उद्योग के समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। वन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर हाथी गलियारा नीति बनाई गई है ताकि जंगली हाथी को बगीचे से गुजरने में कोई परेशानी न हो।
3	कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ जुड़ने के मामलों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करना।
	समुदायों की जरूरतों, विशेष रूप से उनके बीच वंचित और हाशिए पर रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

**सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
आवश्यक संकेतक**

1	कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और यूनिट की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:											
	फ़ायदे	वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23							
		कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी/सी)					
	कर्मचारियों											
	स्थायी	176	176	100	187	187	100					
	स्थायी के अलावा अन्य	19	19	100	30	30	100					
	कुल कर्मचारी	195	195	100	217	217	100					
	श्रमिक											
	स्थायी	13993	13993	100	14038	14038	100					
	स्थायी के अलावा अन्य	140	-	0	105	105	100					
	कुल कर्मचारी	14133	13993	99.01	14143	14143	100					
	2	निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण:										
		कोटि	वित्तीय वर्ष 23-24					वित्तीय वर्ष 22-23				
			कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
संख्या (ख)				% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (ई)		% (ई/डी)	संख्या (ई)	% (एफ/डी)	
कर्मचारियों												
स्थायी		176	--	--			187	-	--			
पुरुष		171	--	--	171	100	183	-	--	183	100	
महिला		5	--	--	5	100	4	-	--	4	100	
स्थायी के अलावा अन्य		19	--	--			30	-	--			
पुरुष		19	--	--	19	100	29	-	--	29	100	
महिला		--	--	--	--		1	-	--	1	100	
श्रमिक												
स्थायी		13993	--	--			14038	-	--			
पुरुष		7083	--	--	7083	100	7138	-	--	7138	100	
महिला	6910	--	--	6910	100	6900	-	--	6900	100		
स्थायी के अलावा अन्य	140	--	--			105	-	--				
पुरुष	136	--	--	136	100	101	-	--	101	100		
महिला	4	--	--	4	100	4	-	--	4	100		



3	Details of remuneration/salary/wages, in the following format:					
ए		पुरुष		महिला		
		संख्या	संबंधित श्रेणी का माधिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माधिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	
	निदेशक मंडल (BoD)	5	रु.32.03 लाख	0	ना	
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	0	-	1	रु.23.06 लाख	
	BoD और KMP के अलावा अन्य कर्मचारी श्रमिक	166	रु.18.51 लाख	4	रु.18.46 लाख	
	7083	रु.1.30 लाख	6910	रु.1.28 लाख		
बी	निम्नलिखित प्रारूप में यूनिट द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:					
	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23			
	कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	42%	41%			
4	क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)					
	हाँ, मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रबंधन, उद्यान संघों और विभागीय प्रमुखों के सदस्यों वाली समितियाँ हैं।					
5	मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।					
	शिकायतों को दूर करने के लिए AYCL के पास नीतियाँ और प्रथाएँ हैं। कंपनी के पास श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए 'वर्कमैन ग्रीवांस प्रोसीजर' है। इसी तरह, पीडित कार्यकारी अधिकारी अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को और आगे अगली श्रृंखला को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि मानव अधिकारों से संबंधित मामले सहित किसी भी मामले पर संतुष्ट नहीं हैं।					
6	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:					
		वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 22-23	
		वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान
	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बलात् मजदूरी/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:					
		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	शून्य		शून्य		
	महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	शून्य		शून्य		
	पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखा गया	शून्य		शून्य		



8	भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।	
	पंजीकृत कार्यालयों में यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां हैं। चाय बागानों में एक शिकायत समिति, यौन उत्पीड़न विरोधी समिति, शिकायत का आकलन और समाधान, लिंग समानता समिति और व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी यौन उत्पीड़न के पहलुओं और शिकायत निवारण तंत्र से पूर्णतः अवगत हों, नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।	
9	क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)	
	हां, कंपनी लागू कानूनों के अनुपालन में अपने स्वयं के कोड और प्रक्रियाओं के माध्यम से मानवाधिकारों के मुद्दों को संबोधित करती है। AYCL भारत की विधियों का पालन करता है जैसे	
10	वर्ष के लिए आकलन:	
		आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (यूनिट या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
	बाल श्रम	शून्य
	मजबूर/अनैच्छिक श्रम	शून्य
	यौन उत्पीड़न	शून्य
	कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
	वेतन	शून्य
	अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
11	उपरोक्त प्रश्न 9 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	
	कोई सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। पंजीकृत कार्यालयों और चाय बागानों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियां, लिंग समानता समितियां, शिकायत समितियां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियां हैं।	
नेतृत्व संकेतक		
1	मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।	
	अन्य बातों के साथ-साथ मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को पकड़ने के लिए एक आचार संहिता बनाई गई है। इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कंपनी भर में पाश प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।	
2	आयोजित किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।	
	लागू नहीं।	
3	क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार यूनिट का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?	
	हमारे प्रतिष्ठान दिव्यांगों के लिए सुलभ हैं और हम पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।	
4	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:	
		मूल्य श्रृंखला भागीदारों का% (किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) ऐसे भागीदारों के साथ) जिनका मूल्यांकन किया गया था
	यौन उत्पीड़न	शून्य
	कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
	बाल श्रम	शून्य
	बलात् मजदूरी/अनैच्छिक श्रम	शून्य
	वेतन	शून्य
	अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
5	उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	
	लागू नहीं।	



सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए आवश्यक संकेतक

1	निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणज में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:		
		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
	अक्षय स्रोतों से		
	कुल बिजली की खपत (ए) KWH	9783221	31904.7
	डीजल की कुल खपत LTR	442108	13190.04
	पेट्रोल की कुल खपत LTR	31977	165.12
	कुल कोयला खपत KGS	3903327	125.03
	कुल एलपीजी खपत KGS	3731.97	76.93
	कुल गैस की खपत SCUM	2476612	83740.59
	कुल ईंधन की खपत (बी) KWH	15640412	97297.71
	अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (C) KWH	15746.52	21.23
	कुल ऊर्जा खपत (ए + बी + सी)	25439379.52	129223.64
	टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (GJ/INR) (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	0.0082	0.000039
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता			
नोट: किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं किया गया है? (वाई/एन) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।			
2	क्या संस्था के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई साइट/सुविधाएं हैं? (वाई/एन) यदि हां, तो बताएं कि पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।		
	संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई भी स्थल/सुविधाएं नहीं हैं		
3	निम्नलिखित प्रारूप में पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करें:		
	प्राचल	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
	Water withdrawal by source (in kilolitres)		
	(i) सतही जल	24557	3381
	(ii) भूजल	208773284.7	215407856.3
	(iii) थर्ड पार्टी वाटर	8665	2208
	(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0	0
	(v) दूसरों	543.16	74.84
	पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	208807049.9	215413520.1
	पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	167106032.5	140575555.4
	कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/कारोबार)	0.054	0.037



4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरणों का विवरण प्रदान करें:			
प्राचल	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	
गंतव्य और ट्रीटमेंट के स्तर के अनुसार पानी छोड़ा जाता है (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल के लिए			
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	1850		-
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	-		-
(ii) भूजल के लिए			
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	1076658		-
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	124150		-
(iii) समुद्री जल के लिए			
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	-		-
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	-		-
(iv) तृतीय-पक्षों को भेजा गया			
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	-		-
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	-		-
(v) अन्य			
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	-		-
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	-		-
कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)	1202658		-
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।			
5 क्या यूनिट ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें। नहीं			

6 कृपया निम्नलिखित प्रारूप में यूनिट द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें				
प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23	
NOx	µg/m3	18.42		2.22
एसओएक्स	µg/m3	5.06		1.21
पार्टिकुलेट मैटर (PM)	µg/m3	300		402.16
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)	ppb	लागू नहीं		10
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	AQI	58		47
पार्टिकुलेट मैटर (PM10)	µg/m3	79.6		52.21
पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5)	µg/m3	47.9		37
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।				



7	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:			
	प्राचल	यूनिट	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	--	CO ₂ : 129 mg/nm ³	--
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	--	CO ₂ : 132 mg/nm ³	--
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 टर्नओवर के प्रति रुपये उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/संचालन से राजस्व)	--	4.27 x 10 ⁻⁷	--	
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।				
8	क्या यूनिट के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।			
	नहीं, संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।			
9	निम्नलिखित प्रारूप में यूनिट द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:			
	प्राचल	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23	
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)				
प्लास्टिक कचरा (ए)	1035.3	406.56		
ई-कचरा (बी)	0.03	0.02		
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	119.5	400.051		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	104.50	0		
बैटरी अपशिष्ट (ई)	14	100.031		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	0	0		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	907	170.165		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक-अप यानी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सामग्री द्वारा)	611.23	33.16		
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	2791.56	1114.887		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) बरामद किया गया				
कचरे की श्रेणी				
(i) पुनर्नवीनीकरण		शून्य	शून्य	
(ii) पुनः उपयोग किया गया		शून्य	शून्य	
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन		शून्य	शून्य	
कुल		शून्य	शून्य	
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)				
(i) भस्मीकरण		413	400.41	
(ii) लैंडफिलिंग		727	704	
(iii) अन्य निपटान कार्य		14.174	13.864	
कुल		1154.174	1118.274	
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।				



10	अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें। यूनिट ने एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाया है, जो कीट नियंत्रण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण है जो रासायनिक कीटनाशक उपयोग को कम करता है। आईपीएम अंतिम उपाय के रूप में रोकथाम, जैविक नियंत्रण और लक्षित कीटनाशक अनुप्रयोग पर केंद्रित है। यह कीट प्रबंधन में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जैसे कि जहरीले रासायनिक भार को कम करने के लिए जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना। यूनिट पीसीबी अधिकतम विक्रेताओं को खतरनाक कचरे के भंडारण और सुरक्षित निपटान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के दिशानिर्देशों का पालन करती है। प्राकृतिक निकायों में खतरनाक कचरे के निर्वहन को कम करने के लिए कारखाने और उद्यानों के आउटलेट नाली में निस्पंदन संयंत्र बनाया गया है। बागानों में वर्षावन प्रबंधन नीति का पालन किया जा रहा है। सभी स्थलों पर एक केन्द्रीकृत अपशिष्ट संग्रहण प्रक्रिया अपनाई जाती है और एकत्रित कचरे का निपटान पीसीबी द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं को किया जाता है।
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	यदि यूनिट के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हाटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र. सं.	संचालन/ कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (वाई/एन) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है?
	चाय बागानों के आस-पास प्राकृतिक पारि-प्रणाली का कोई विनाश नहीं किया जा रहा है क्योंकि कुछ चाय बागान आरक्षित वन के निकट स्थित हैं। प्राकृतिक पारि-प्रणाली के संरक्षण और पुनरूद्धार के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता चलाई जा रही है। उद्यान क्षेत्र के भीतर और आसपास किसी भी शिकार की अनुमति नहीं है।		

12	चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर यूनिट द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:				
नाम और संक्षिप्त विवरण परियोजना की संख्या	ईआईए अधिसूचना सं.	दिनांक	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए (हां /	परिणामों में सूचित किया गया सार्वजनिक डोमेन (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
नहीं					

13	क्या यूनिट भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन नियम (वाई/एन)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें: हां, यूनिट भारत में लागू पर्यावरण कानून / विनियम / दिशानिर्देशों के अनुरूप है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम।
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चूंकि इस सिद्धांत के संबंध में नेतृत्व संकेतकों के तहत निर्धारित मामलों के संबंध में कोई और खुलासा करने योग्य विवरण नहीं है, इसलिए इसके संबंध में कोई अलग अनुभाग प्रदान नहीं किया गया है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1.	ए. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या - 6 बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) यूनिट का सदस्य / संबद्ध है।	
क्रमांक	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	एबीआईटीए - असम शाखा भारतीय चाय संघ	राज्य
2	आईटीए - इंडियन टी एसोसिएशन	राष्ट्रीय
3	टीआरए - चाय अनुसंधान संघ	राष्ट्रीय
4	एसीकेएस - असम चाह कर्मचारी संघ	राज्य
5	एसीएमएस - असम चाह मजदूर संघ	राज्य
6	चाय बोर्ड	राज्य



2	नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर यूनिट द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।		
	प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
			लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1	यूनिट द्वारा वकालत की गई सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:					
	क्रमांक	सार्वजनिक नीति	इस तरह की वकालत के लिए अपनाया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
						शून्य

सिद्धांत 8: व्यवसाय को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर यूनिट द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।						
	लागू नहीं।						
2	उन परियोजना(परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी यूनिट द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को निम्नलिखित प्रारूप में किया जा रहा है:						
	क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	नहीं। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की कुल संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में PAF को भुगतान की गई राशि (INR में)
							लागू नहीं
3	समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।						
	यूनिट के पास संचार के विभिन्न तरीके हैं जहां बड़े पैमाने पर समुदाय अपने प्रश्नों और शिकायतों को उठा सकता है। इन शिकायतों या चिंताओं को ईमेल पर या कंपनी के पते पर डाक द्वारा लिखित रूप में भेजा जा सकता है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम टीम/अधिकारी द्वारा उसकी उचित रूप से जांच की जाएगी और पीड़ित की संतुष्टि के लिए तुरंत समाधान किया जाएगा। चाय बागानों की अपनी शिकायत समितियां हैं, जहां कोई भी व्यक्ति और सदस्य शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।						
4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):						
		वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 23-24		
	एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे सोर्स किया जाता है	78			12.13		
	जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से सीधे सोर्स किया गया	40			12.13		

नेतृत्व संकेतक

1	सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):			
	पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण		की गई सुधारात्मक कार्रवाई	
	शून्य		ना	
2	सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षात्मक निर्देशों में आपकी यूनिट द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:			
	क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (INR में)
	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



3	ए. क्या आपके पास एक अधिमानी खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? हां/नहीं।				
	नहीं, एवाईसीएल की ऐसी कोई अधिमानी खरीद नीति नहीं है जिसमें किसी आपूर्तिकर्ता को वरीयता दी गई हो। सामग्री कभी-कभी स्थानीय रूप से प्राप्त की जाती है, जिसमें जीईएम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं।				
	बी. आप किन हाशिए वाले/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?				
	जैसा कि पहले कहा गया है कि सामग्रियों के कुछ आपूर्तिकर्ता एमएसएमई श्रेणियों से संबंधित हैं। इसलिए, एमएसएमई श्रेणियों से खरीद के प्रति भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है।				
	सी. यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?				
	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसएमई से माल की कुल खरीद 70.22% थी।				
4	पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी यूनिट (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:				
	क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हां/नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
	नहीं				
5	बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।				
	प्राधिकरण का नाम		मामले का संक्षिप्त विवरण		की गई सुधारात्मक कार्रवाई
	लागू नहीं				
6	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:				
	क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %	
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए आवश्यक संकेतक

1	उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्रों का वर्णन करें।	
	ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को जांच करने और उनका समाधान प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। ऐसी शिकायतों के कारणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है और ग्राहकों की शिकायत को कम करने के लिए एसओपी का सख्ती से पालन किया जाता है।	
2	उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी ले जाने वाले आपके व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं (टर्नओवर द्वारा) का%।	
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में	
	उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	100%
	सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
	पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	100%

3	निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:					
		वित्तीय वर्ष 23-24		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 22-23	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	वर्ष के दौरान प्राप्त		वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
	डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	विज्ञापन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	दूसरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	



4	सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:		
		संख्या	याद करने का कारण
	स्वैच्छिक याद करते हैं	शून्य	लागू नहीं
	जबरन याद करना	शून्य	लागू नहीं
5	क्या यूनिट के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।		
	हां, यूनिट के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक ढांचा/नीति है। बोर्ड ने कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन योजना अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जोखिमों के तत्वों की पहचान करना शामिल है जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं और विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को कवर करते हैं। संरचनाएं मौजूद हैं ताकि जोखिमों की स्वाभाविक निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। निदेशक मंडल ने जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतम प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को शामिल करते हुए एक जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की गई है जिसकी मानीटरिंग और समीक्षा इस समिति द्वारा की जाती है।		
6	विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।		
	आवश्यक सेवाओं के विज्ञापन और वितरण से संबंधित कोई मामला नहीं; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; या उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनरावृत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उठाई गई थी।		
7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:		
	ए. डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या		लागू नहीं
	बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत		लागू नहीं
	सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो,		लागू नहीं
	*नोट: प्रश्न 3 (सिद्धांत 9) में दिए गए उत्तर के अनुरूप इस खंड का उत्तर "लागू नहीं" है।		

नेतृत्व संकेतक

1	चैनल/प्लेटफॉर्म जहां यूनिट के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
	हमारे सभी उत्पादों का विवरण हमारी वेबसाइट पर "व्यवसाय" शीर्षक के तहत उपलब्ध है।
2	उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
	दलाल/डीलर मिलते हैं और हमारी वेबसाइट आदि पर उत्पाद प्रदर्शन के माध्यम से भी।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
14 अगस्त 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का दर्शन

एवाईसीएल का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं कंपनी के मामलों का पारदर्शी तरीके से नैतिक और कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं और सदस्यों, ग्राहकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, विक्रेताओं और बड़े पैमाने पर समाज जैसे सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में भी मदद करती हैं।

कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए व्यवसाय के नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्च मानक स्थापित किए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कंपनी के पास अन्य बातों के साथ-साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति ढांचा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों के लिए आचार संहिता।
- ◆ यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए कोड।
- ◆ अंदरूनी सूत्रों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता।
- ◆ जोखिम प्रबंधन नीति।
- ◆ व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता।
- ◆ विजिल मैकेनिज्म व्हिसिल ब्लोअर नीति।
- ◆ अधिकारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम।
- ◆ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति।
- ◆ संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति।
- ◆ सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति।
- ◆ घटनाओं और सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए भौतिकता पर नीति।
- ◆ दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति।
- ◆ लाभांश वितरण नीति।

2. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2023 को कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या 8 (आठ) थी, जिनमें से 3 (तीन) पूर्णकालिक निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (योजना) के पास निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार है; 2 (दो) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) थे और 3 (तीन) अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक थे।

बोर्ड में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल इस प्रकार है:

- ◆ पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो कार्यभार संभालने की तिथि से प्रारंभ होती है, या सेवा निवृत्ति की तिथि तक (वर्तमान में 60 वर्ष की आयु) या भारत सरकार के किसी अन्य आदेश तक, जो भी घटना पहले घटित होती है।
- ◆ अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशक, जो भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।
- ◆ अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

a) निदेशकों की श्रेणी, निदेशक पद, विभिन्न कंपनियों की समितियों में निदेशकों की अध्यक्षता/ सदस्यता और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद सहित बोर्ड की संरचना का विवरण और 31 मार्च, 2024 तक उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	पद	वर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या		सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहाँ निदेशक पद धारण किया	सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में		
श्री अनंत मोहन सिंह (डीआईएन: 03594804)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी	1	--	1	टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री राजिंदर सिंह मनकू (डीआईएन: 09706881)	निदेशक (योजना)	कार्यकारी	4	--	1	वेबफिल लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक



श्री संजय वर्मा (डीआईएन: 10373225)	निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	1	-	1	वेबफ़िल लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	गैर-कार्यकारी	3	--	--	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
						टुइड वॉटर आयुल कंपनी (आई) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन: 09222808)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	गैर-कार्यकारी	3	--	--	--	--
श्री ओम प्रकाश मित्तल (डीआईएन: 00512243)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	3	--	--	--	--
श्री सुंदर पाल सिंह (डीआईएन: 09438081)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	--	--	--	--	--
श्रीमती नमिता देवी (डीआईएन: 07436235)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	1	-	--	--	--

टिप्पणियाँ:

- अन्य कंपनियों में रखे गए निदेशकों की संख्या में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों के निदेशकों को शामिल नहीं किया गया है। केवल ऑडिट समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को विनियम 26 के अनुसार माना गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, यथासंशोधित।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, उनमें से कोई भी उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है। इसके अलावा, कोई भी स्वतंत्र निदेशक 7 (सात) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- इस कंपनी में निदेशक पद ऊपर बताई गई सूचीबद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त है।
- कोई भी निदेशक कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित नहीं है।
- रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले और पात्र होने पर पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में विवरण 75 वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

b) बोर्ड बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति और 75वीं वार्षिक आम बैठक में:

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें 12 अप्रैल 2023, 29 मई 2023, 7 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023, 27 सितंबर 2023, 14 नवंबर 2023 और 13 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थीं।

दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल कंपनियों अधिनियम, 2013 के तहत एमसीए सर्कुलर, सचिवीय मानकों और सेबी सर्कुलर के साथ निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:



निदेशकों का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		31 अगस्त, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित हुए	
कार्यकारी निदेशक:			
श्री संजय भट्टाचार्य	4	4	हाँ
श्री अनंत मोहन सिंह	1	1	नहीं
श्री के. मोहन	7	7	हाँ
श्री राजिंदर सिंह मनकू	7	7	हाँ
श्री संजय वर्मा	1	1	नहीं
गैर-कार्यकारी निदेशक:			
श्री विजय मित्तल	7	4	नहीं
श्री आदित्य कुमार घोष	7	7	हाँ
श्री ओम प्रकाश मित्तल	7	7	हाँ
श्री सुंदर पाल सिंह	7	7	हाँ
श्रीमती नमिता देवी	7	7	हाँ

टिप्पणियाँ:

- i. श्री अनंत मोहन सिंह को 26 दिसंबर, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- ii. श्री संजय वर्मा को 29 नवंबर, 2023 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
- iii. श्री संजय भट्टाचार्य 1 सितंबर, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए।
- iv. श्री के. मोहन 8 मार्च, 2024 से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए।

c) निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताएँ:

चूँकि AYCL भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, इसके बोर्ड के सभी निदेशक अर्थात् कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एवाईसीएल द्वारा संचालित व्यावसायिक क्षेत्र के संदर्भ में बोर्ड के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता की आवश्यकताएं, इन निदेशकों के चयन की सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं।

हालाँकि, सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने उत्पादन, योजना, संचालन, विपणन, प्रबंधन, प्रशासन, मानव संसाधन और वित्त को मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताओं के रूप में पहचाना है जो कंपनी के व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में उसके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

उपरोक्त सभी मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताएं वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हैं।

श्री अनंता मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मंकू, श्री विजय मित्तल और श्री आदित्य कुमार घोष उत्पादन, योजना, संचालन, मानव संसाधन, प्रबंधन, प्रशासन, विपणन आदि के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हैं। श्री संजय वर्मा और श्री ओम प्रकाश मित्तल वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता रखते हैं। श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी मानव संसाधन, संचालन आदि के क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं।

d) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-II के भाग-ए के साथ पठित विनियम 17(7) और सरकारी कंपनियों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुबंध IV के अनुसार, सभी वैधानिक और अन्य महत्वपूर्ण और सामग्री संबंधी जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी गई ताकि वह कंपनी के रणनीतिक पर्यवेक्षण और हितधारकों के ट्रस्टी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

e) अनुपालन:

एजेंडा तैयार करते समय, एजेंडा पर नोट्स, बैठक के मिनट, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी लागू कानून, उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, संशोधित, सचिवीय मानक (एसएस -1 और 2)) और अन्य प्रासंगिक कानूनों, जैसा लागू हो, का पालन किया गया है। कंपनी के पास संगठन के भीतर लागू कानूनों के अनुपालन की निगरानी करने और समय-समय पर बोर्ड को अपडेट प्रदान

करने के लिए एक प्रभावी ढांचा है। बोर्ड समय-समय पर लागू कानूनों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

f) परिचय कार्यक्रम:

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी होने का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास भी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। कंपनी के व्यवसाय और प्रदर्शन अपडेट, रणनीति और इसमें शामिल जोखिम आदि पर बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में समय-समय पर प्रस्तुतियाँ दी गईं ताकि उन्हें व्यवसाय मॉडल और कंपनी के निदेशकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अपडेट किया जा सके। स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर मांगे गए वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अन्य विशिष्ट दस्तावेज भी प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड द्वारा अपनाई गई सभी नीतियों और आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता से भी अवगत कराया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिंग –

http://www.andrewyule.com/pdf/investor-relations/Details_Familiarisation_Programmes.pdf पर भी उपलब्ध है।

- g) बोर्ड पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के साथ सूचित निर्णय लेती हैं। वर्तमान में, कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियाँ हैं:

3.1 लेखा परीक्षा समिति

i. संदर्भ की शर्तें

ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 में उल्लिखित शक्तियाँ और भूमिका शामिल हैं, जैसा कि उक्त विनियमों की अनुसूची II के भाग-सी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के साथ संशोधित है। समिति के अध्यक्ष शेरधरक प्रश्रों का उत्तर देने के लिए कंपनी की 75वीं वार्षिक आम बैठक में वस्तुतः उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी तिथियाँ थीं: 29 मई, 2023 (दो बैठकें); 7 अगस्त, 2023; 10 अगस्त, 2023; 14 अगस्त, 2023; 27 सितंबर, 2023; 14 नवंबर, 2023; 13 फरवरी, 2024 (दो बैठकें)।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 3 (तीन) थी, सभी स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री ओम प्रकाश मित्तल; श्री सुन्दर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	9
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
श्री सुन्दर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9

टिप्पणियाँ :

- ऑडिट समिति की संरचना संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है।
- ऑडिट समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(सी) में परिभाषित है, जैसा कि संशोधित है और उनके पास वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव है।
- निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।
- कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।
- लेखापरीक्षा समिति, जब भी उचित समझे, कंपनी के लेखापरीक्षकों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती है।



3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. संदर्भ की शर्तें

चूंकि यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति की शर्तें, प्रदर्शन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि को समय-समय पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष कंपनी की 75वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं: 10 अगस्त, 2023 और 13 फरवरी, 2024 को।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2024 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सदस्यों की कुल संख्या 3 (तीन) थी, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री सुंदर पाल सिंह; श्री आदित्य कुमार घोष और श्री ओम प्रकाश मित्तल सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2
श्री आदित्य कुमार घोष	गैर – कार्यकारी निदेशक	सदस्य	2
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2

टिप्पणियाँ :

- नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है।
- कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उत्तराधिकार की योजना बना

कंपनी ने कंपनी के दृष्टिकोण और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप, बोर्ड सदस्यों के अलावा अन्य प्रमुख पदों को भरने के लिए एक व्यवस्थित विकास योजना सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढांचा तैयार किया है। एमएचआई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

चूंकि यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है और किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित धारा 178 के प्रावधानों से छूट दी है।

पारिश्रमिक नीति

चूंकि यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने का शुल्क दिया जाता है। अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशकों को बोर्ड या किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनकी यूनियन के साथ हुए वेतन समझौता समझौते के अनुसार तय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ/पदोन्नति आदि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	फ़ायदे	पीएफ और अन्य फंड	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन स्टॉक विकल्प	कुल
1.	श्री अनंत मोहन सिंह	7.97	0.09	2.47	-	10.53
2.	श्री राजिंदर सिंह मनकू	27.96	11.58	3.33	-	42.87
3.	श्री संजय वर्मा	11.34	0.26	0.86	-	12.46
4.	श्री संजय भट्टाचार्य	14.40	27.97	1.58	-	43.95
5.	श्री के. मोहन	30.45	3.69	9.05	-	43.19

टिप्पणियाँ:

- श्री अनंता मोहन सिंह और श्री संजय वर्मा ने क्रमशः 26 दिसंबर, 2023 और 29 नवंबर, 2023 से कंपनी में कार्यभार संभाला है।
- श्री संजय भट्टाचार्य और श्री के. मोहन क्रमशः 1 सितंबर, 2023 और 8 मार्च, 2024 से निदेशक नहीं रहे।
- कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक को स्टॉक विकल्प (Stock Option) प्रदान नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	बैठने की फीस का भुगतान (लाख रूपये में)
1.	श्री विजय मित्तल	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामांकित व्यक्ति)	--
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामांकित व्यक्ति)	--
3.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	1.08
4.	श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	1.03
5.	श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	1.03

टिप्पणियाँ:

- श्री विजय मित्तल और श्री आदित्य कुमार घोष अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार नामांकित) थे, जिन्हें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। अतः उन्हें बैठक भत्ता नहीं दिया गया।
- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के बैठक भत्ते को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- उपरोक्त के अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों का अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। इसे संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के तहत आवश्यक प्रकटीकरण माना जा सकता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिंग -

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/TC_Appointment_Independent_Directors.pdf पर देखी जा सकती हैं।

3.3 हितधारक संबंध समिति

i. संदर्भ की शर्तें

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में मुख्य रूप से सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 20 के तहत लागू और निर्धारित मामलों को शामिल किया गया है, जैसा कि उक्त विनियमों के अनुसूची II के भाग D के खंड B में संशोधित रूप में पढ़ा गया है। समिति द्वारा ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट इश्यू आदि से संबंधित मामलों की देखरेख जारी रहती है, जिसे पहले बोर्ड निदेशकों की समिति के रूप में जाना जाता था। समिति के अध्यक्ष 75वीं वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

ii. बैठक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हितधारक संबंध समिति की पहली (एक) बैठक 14 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

iii. समिति की संरचना और भाग लेने वाली बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2024 को हितधारक संबंध समिति में सदस्यों की कुल संख्या 3 (तीन) थी, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्रीमती नमिता देवी, सदस्य के रूप में श्री के. मोहन, श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह।



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1

टिप्पणियाँ :

- स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की संरचना सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 20 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है, जैसा कि संशोधित रूप में उल्लेखित है।
 - श्री के. मोहन 8 मार्च, 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
 - श्रीमती सुचरिता दास, कंपनी सचिव के रूप में, कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।
- iv. वर्ष 2023-24 के दौरान, डुप्लिकेट शेयरों के हस्तांतरण/ संचरण/ निर्गम के निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए और संसाधित किए गए:

विवरण	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
शेयरों का हस्तांतरण	4	1703
डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना	5	2040

- v. वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन का विवरण:

विवरण	डीमेट	
	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
एनएसडीएल	15	5683
सीडीएसएल	15	4820
कुल	30	10503

- vi. वर्ष 2023-24 के दौरान सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) में शेयरधारकों की शिकायतों के संबंध में विवरण:

1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	शून्य
31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

i. संदर्भ की शर्तें

सीएसआर समिति का गठन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पर नीति के गठन/ समीक्षा, कंपनी द्वारा स्वीकृत सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें मंजूरी के संदर्भ में पूरा किया जा सके। सभी सीएसआर और सतत प्रस्ताव, यदि कोई हों, उन्हें बोर्ड में रखने से पहले समिति के समक्ष रखे गए थे और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड को इसकी सिफारिश करती है।

हालाँकि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, जो 22.01.2021 को लागू हुआ, किसी कंपनी के लिए सीएसआर समिति अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं थी, यदि सीएसआर राशि 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसे सभी मामलों में, सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के संदर्भ में, कंपनी की मौजूदा सीएसआर समिति को 12 अप्रैल, 2023 से भंग कर दिया गया था और सीएसआर समिति का कार्य, यदि कोई हो, उपर्युक्त प्रावधान के दायरे में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा, जब तक कि कंपनी के लिए सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य नहीं हो जाता:

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार की गई गणना के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनिवार्य सीएसआर खर्च के लिए पात्र नहीं थी।

कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेबलिक – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/CSR_and_Sustainability_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

3.5 निदेशक मंडल की समिति

i. संदर्भ की शर्तें

कंपनी के पास निदेशक मंडल की एक समिति है, जिसका गठन कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की सुचारू कार्यप्रणाली की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। ऐसी समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती हैं।

समिति को अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट सीमा तक उधार लेने की शक्ति, जिसमें टर्म लोन, कैश क्रेडिट, अग्रिम, जमा, बिल डिस्काउंटिंग आदि शामिल हैं।
- कंपनी की अचल संपत्तियों पर अधिकार सृजन करने की अनुमति देना, जिसमें टर्म लोन, ब्रिज लोन, कार्यशील पूंजी लोन आदि के लिए सुरक्षा दस्तावेजों का निष्पादन शामिल है, निर्दिष्ट सीमा तक।
- बैंकों के साथ खाते खोलने और उनका संचालन करने की शक्ति।
- चयनित साझेदारों के साथ कंसोर्टियम, गैर-शामिल संयुक्त उद्यम/रणनीतिक सहयोग का गठन।
- किसी भी दस्तावेज़ पर कंपनी की सामान्य सील लगाने की अनुमति देना।
- शेयर प्रमाणपत्र के हस्तांतरण/प्रसारण/डुप्लिकेट जारी करने आदि की स्वीकृति देना।
- किसी अन्य आपात स्थिति का सामना करने के लिए।

ii. बैठक

फंक्शनल डायरेक्टर्स की समिति की 18 (अठारह) बैठकें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं: 4 अप्रैल 2023, 19 अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023, 5 जून 2023, 11 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 19 जुलाई 2023, 27 सितंबर 2023, 9 अक्टूबर 2023, 10 अक्टूबर 2023, 16 अक्टूबर 2023, 9 नवंबर 2023, 23 नवंबर 2023, 29 दिसंबर 2023, 2 जनवरी 2024, 5 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024।

iii. संघटन

31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल की समिति की संरचना और वर्ष 2023-24 के दौरान उसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	दौरान 2023-24 में भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री संजय भट्टाचार्य	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	7
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	18
श्री अनंत मोहन सिंह	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री राजिंदर सिंह मनकू	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	18
श्री संजय वर्मा	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	5

नोट:

- श्री अनंता मोहन सिंह और श्री संजय वर्मा ने क्रमशः 13 फरवरी 2024 और 30 नवंबर 2023 से समिति में शामिल हुए।
- श्री संजय भट्टाचार्य और श्री के. मोहन ने क्रमशः 1 सितंबर 2023 और 8 मार्च 2024 से समिति के सदस्य के रूप में कार्य समाप्त कर दिया।

3.6. जोखिम प्रबंधन समिति

i. संदर्भ की शर्तें

निदेशक मंडल ने जोखिम आकलन और न्यूनकरण प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए "जोखिम प्रबंधन समिति" का गठन किया है। एक जोखिम प्रबंधन योजना, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल है, तैयार की गई है, जिसे इस समिति द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तें, अन्य बातों के साथ, सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियमन 21 के तहत लागू और निर्धारित मामलों को कवर करती हैं, जैसा कि उक्त विनियमों के अनुसूची-II के भाग-डी के साथ पढ़ा गया है।

ii. बैठकें

जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 18 सितंबर 2023 और 14 मार्च 2024 को आयोजित की गईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2024 को कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री अनंत मोहन सिंह	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री राजिंदर सिंह मनकू	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	2
श्री संजय वर्मा	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2

टिप्पणियाँ :

- श्री अनंता मोहन सिंह और श्री संजय वर्मा ने 13 फरवरी 2024 से समिति में शामिल हुए।
- श्री के. मोहन 13 फरवरी 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

3.7 वरिष्ठ प्रबंधन:

वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद से हुए बदलाव भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	श्री जी आर पुगलेंथी	कार्यकारी निदेशक (इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन)
2.	श्री बी. मुरलीधरन	महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग और ई-केओ)
3.	श्री शांतनु बोराल	उप महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला और सामग्री) के साथ चाय संचालन के अतिरिक्त प्रभार
4.	श्री देबजीत नाग	उप महाप्रबंधक (क्यूसी और विपणन), चाय प्रभाग
4.	श्री सोमनाथ नाथ मैत्रा	महाप्रबंधक (एफ एंड ए)
5.	श्री स्वरूप लाल मित्रा	उप महाप्रबंधक (पी एंड ए)
6.	श्रीमती सुचरिता दास	कंपनी सचिव
7.	श्री उदय कुमार पाण्डेय (*) [01.06.2023 से]	सहायक महाप्रबंधक (बिक्री), उत्तरी क्षेत्र
8.	श्री अशित मिथा (*) [31.05.2023 तक]	कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

[*] 31 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर श्री आशित मिथा, कार्यकारी निदेशक, एनआर की कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री उदय कुमार पांडे, सहायक महाप्रबंधक (बिक्री), एनआर ने दिल्ली कार्यालय की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल के लिए श्री मिथा से कार्यभार संभाला।

यहां बताए गए के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में कोई बदलाव नहीं हुआ।

3.8 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने आयोजित करने का निर्णय लिया था 10 अगस्त 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों में प्रबंधन और बोर्ड के बीच अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से पूरा करने के लिए सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, सामग्री और समयबद्धता पर चर्चा की जाएगी।

3.9 अन्य कार्यात्मक समितियाँ

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड समय-समय पर विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ कार्यात्मक समितियों का गठन करता है जैसा वह उचित समझे। ऐसी समितियों की बैठकें तब आयोजित की जाती हैं जब उद्देश्य से संबंधित मामले पर चर्चा की आवश्यकता होती है। ऐसी समितियों की बैठकें आयोजित करने की समय-सारणी को समिति के सदस्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है।

निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य भी शामिल हैं। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेबलिंग पर देखा जा सकता है –

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Code_of_Conduct.pdf |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने उन पर लागू कोड के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की एक घोषणा इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है।

5. सहायक कंपनियाँ

कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ थीं। 31 मार्च, 2024 तक यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।

बोर्ड की रिपोर्ट में उपर्युक्त सहायक कंपनियों के प्रदर्शन के संबंध में अलग से खुलासा किया गया है। इन असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों का विवरण तिमाही आधार पर कंपनी की बोर्ड बैठकों में रखा जाता था। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, समय-समय पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट की जाती हैं।

कंपनी की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी ने सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार की है, जिसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिंग –

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Policy_Material_Subsidiaries.pdf पर देखा जा सकता है।

6. सामान्य निकाय बैठकें

a) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	जगह
2022-23	31.08.2023	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से/अन्य श्रव्य-दृश्य साधन("OAVM")
2021-22	29.09.2022	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से/अन्य श्रव्य-दृश्य साधन("OAVM")
2020-21	30.09.2021	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से/अन्य श्रव्य-दृश्य साधन("OAVM")

b) संबंधित नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए।

c) पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकों में विशेष प्रस्ताव पारित किए गए थे: शून्य

d) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण: पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

e) डाक मतपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष में पारित प्रस्तावों का विवरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

f) कंपनी की 76वीं वार्षिक आम बैठक में डाक मतपत्र की आवश्यकता वाले किसी विशेष प्रस्ताव को आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है।



कंपनी आगामी एजीएम पर या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष समाधान आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

7. संचार के साधन

हितधारकों को सुसंगत, प्रासंगिक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी का समय पर संचार कंपनी के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन का मूल है।

कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और निदेशक मंडल की बैठक के समापन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) को प्रसारित किए जाते हैं जिसमें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाता है। कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्र (बंगाली) में भी निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित किए जाते हैं और नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर होस्ट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तिमाही/ अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और वित्तीय एक्सप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) और दैनिक जुगसंखा (बंगाली समाचार पत्र) में निदेशक मंडल की बैठक के समापन के 48 (आठवें) घंटों के भीतर वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित किए गए थे।

कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com में एक अलग अनुभाग "निवेशक संबंध" है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है। त्रैमासिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, नीतियां, निवेशकों के संपर्क विवरण, दावा न किए गए लाभांश/ शेयरों का विवरण और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित जानकारी के अलावा अन्य सभी कॉर्पोरेट संचार कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं। जब भी ऐसा होता है तो वेबसाइट आधिकारिक समाचार विज्ञापि भी प्रदर्शित करती है। संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के सामने कोई प्रस्तुति नहीं दी गई।

8. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

i. वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय और स्थान:

76वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ii. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक।

iii. बुक क्लोजर: 21 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित)।

iv. लाभांश भुगतान तिथि: 30 सितंबर, 2023 के भीतर

बीएसई लिमिटेड
पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड: 526173

शेयरों का व्यापार निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज पर भी व्यापार की अनुमति श्रेणी में किया गया:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

प्रतीक: ANDREWYU

[नोट: एनएसई ने अस्थायी रूप से एवाईसीएल के शेयरों के व्यापार को अपने प्लेटफार्म पर निलंबित कर दिया है। हालांकि, शेयरधारक अपने शेयरों का व्यापार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड के माध्यम से कर सकते हैं।]

कंपनी ने निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर आवश्यक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है।

v. बाजार मूल्य डेटा - अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान कारोबार किए गए शेयरों की संख्या के साथ बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में उच्च और निम्न (जैसा कि बीएसई लिमिटेड और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है):



महीना	शेयर की कीमत		बीएसई सेंसेक्स		कारोबार किए गए शेयरों की संख्या
	उच्च (रु.)	कम (रु.)	उच्च (रु.)	कम (रु.)	
अप्रैल, 2023	22.65	20.10	61,209.46	58,793.08	3931
मई, 2023	25.47	21.61	63,036.12	61,002.17	8725
जून, 2023	25.50	22.25	64,768.58	62,359.14	5533
जुलाई, 2023	26.79	22.90	67,619.17	64,836.16	8584
अगस्त, 2023	28.60	24.60	66,658.12	64,723.63	13015
सितम्बर, 2023	39.79	27.15	67,927.23	64,818.37	37696
अक्टूबर, 2023	40.60	29.40	66,592.16	63,092.98	27759
नवंबर, 2023	33.90	29.18	67,069.89	63,550.46	17120
दिसंबर, 2023	41.15	29.60	72,484.34	67,149.07	54795
जनवरी, 2024	57.55	37.20	73,427.59	70,001.60	103361
फरवरी, 2024	68.88	40.88	73,413.93	70,809.84	79274
मार्च, 2024	45.44	33.50	74,245.17	71,674.42	23031
अप्रैल, 2023	20.60	20.15	18089.15	17312.75	29.72
मई, 2023	22.50	22.00	18662.45	18042.4	71.25
जून, 2023	25.60	22.25	19201.70	18464.55	69.44
जुलाई, 2023	26.70	23.40	19991.85	19234.40	106.59
अगस्त, 2023	28.70	24.60	19795.60	19223.65	163.46
सितम्बर, 2023	39.80	27.10	20222.45	19255.70	735.79
अक्टूबर, 2023	40.70	30.55	19849.75	18837.85	355.08

vi. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट: भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों के लिए:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
 383, लेक गार्डन, पहली मंजिल,
 कोलकाता - 700 045
 फ़ोन: (033) 4072 - 4051/4052/4053
 फ़ैक्स: (033) 4072 - 4050
 ई-मेल: mcssta@rediffmail.com

vii. शेयर ट्रांसफर सिस्टम:

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जी एन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 को पढ़कर परिपत्र संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जी एन/2018/49 दिनांक 30 नवंबर, 2018 के साथ निर्देश दिया कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर, किसी भी शेयर के हस्तांतरण को तब तक प्रक्रिया नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर डिपॉजिटरी के साथ डिजिटल रूप में न हो। कंपनी ने समय-समय पर इस संबंध में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों को लिखा है। 2023-24 के दौरान भौतिक रूप में शेयरों का हस्तांतरण (सिर्फ ट्रांसमिशन को छोड़कर) जमा नहीं किया गया था।

viii. 31 मार्च, 2024 तक भौगोलिक विश्लेषण रिपोर्ट:

राज्य	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
दिल्ली	1632	4.17	452548466	92.55
हरयाणा	780	1.99	940306	0.19
पंजाब	453	1.16	377409	0.08
चंडीगढ़	98	0.25	55255	0.01
हिमाचल प्रदेश	105	0.27	39367	0.01



राज्य	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
जम्मू कश्मीर	92	0.23	34955	0.01
उत्तर प्रदेश	2164	5.53	1226997	0.25
राजस्थान	2068	5.28	2456215	0.50
गुजरात	6839	17.46	6781833	1.39
महाराष्ट्र	11975	30.58	15881920	3.25
मध्य प्रदेश	943	2.41	638403	0.13
छत्तीसगढ़	243	0.62	327299	0.07
आंध्र प्रदेश	1717	4.38	1331138	0.27
कर्नाटक	1931	4.93	2121739	0.43
तमिलनाडु	1646	4.20	908727	0.19
केरल	671	1.71	205123	0.04
पश्चिम बंगाल	4047	10.33	2147731	0.44
पोर्ट ब्लेयर	6	0.02	583	0.00
ओडिशा	333	0.85	102615	0.02
असम	201	0.51	128399	0.03
मेघालय	18	0.05	2558	0.00
मणिपुर	6	0.02	2330	0.00
त्रिपुरा	19	0.05	1443	0.00
बिहार	945	2.41	281820	0.06
अन्य	227	0.58	408347	0.08
कुल	39159	100.00	488950978	100.00

ix. डिपॉजिटरी जिनके साथ कंपनी ने समझौता किया है:

नाम	आईएसआईएन कोड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)	INE449C01025
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	INE449C01025

x. कॉर्पोरेट पहचान संख्या:

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा आवंटित कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) है: L63090WB1919GOI003229

xi. डिपॉजिटरी शुल्क का भुगतान:

कंपनी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान एनएसडीएल और सीडीएसएल को कर दिया गया है।

xii. 31 मार्च, 2024 तक डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या:

	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %
डीमैट फॉर्म:				
- एनएसडीएल में	466554425	95.42	13046	33.32
- सीडीएसएल में	22201500	4.54	24674	63.00
भौतिक रूप	195053	0.04	1439	3.68
कुल	488950978	100.00	39159	100.00



xiii. 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारिता का वितरण:

होलिंग्स का आकार		की संख्या शेयरों	शेयर पूंजी का प्रतिशत (%)	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का प्रतिशत (%)
से	को				
1	500	4246975	0.87	29454	75.22
501	1000	3780513	0.77	4392	11.21
1001	2000	3657044	0.75	2287	5.84
2001	5000	6288667	1.29	1830	4.67
5001	10000	5165265	1.06	661	1.69
10001	Above	465812514	95.26	535	1.37
कुल		488950978	100.00	39159	100.00

xiv. 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारिता पैटर्न:

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	होलिंग्स का प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	436374630	89.25
वित्तीय संस्थानों	10765126	2.20
राष्ट्रीयकृत बैंक	17849	0.00
म्यूचुअल फंड्स	350	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	4777	0.00
घरेलू कंपनियाँ	2459105	0.50
गैर-घरेलू कंपनियाँ	410	0.00
निवासी व्यक्ति	38701665	7.92
अनिवासी व्यक्ति (विदेशी राष्ट्रीय)	NIL	NIL
अनिवासी व्यक्ति (भारतीय)	627066	0.13
निदेशक और उनके रिश्तेदार	NIL	NIL
कुल	488950978	100.00

xv. 31 मार्च, 2024 तक शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची :

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	होलिंग
1.	भारत के राष्ट्रपति	436374630
2.	विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	10765076
3.	विकास मेहरा	2333366
4.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय	428145
5.	फिलिप सेमुएल	415000
6.	सिटाडेल सिक्योरिटीज इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	328633
7.	नरपत सिंह	295620
8.	पी एस भट्ट	240775
9.	सन कमोडिटीज एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड	195000
10.	शैलेन्द्र बसंतलाल घीया	189500



xvi. वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी):

तिमाही खत्म	का अनुमोदन / अंगीकरण	तब या पहले
पहली तिमाही - 30 जून, 2024	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 अगस्त 2024
दूसरी तिमाही - 30 सितंबर, 2024	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 नवंबर 2024
तीसरी तिमाही - 31 दिसंबर, 2024	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 फरवरी 2025
चौथी तिमाही - 31 मार्च, 2025	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	30 मई, 2025
अगली वार्षिक आम बैठक		30 सितंबर, 2025

नोट: उपरोक्त के अलावा, आवश्यकता पड़ने पर बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

xvii. बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया है।

xviii. कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

कंपनी कमोडिटी में काम नहीं कर रही है और विदेशी मुद्रा में सट्टा नहीं लगाती है, इसलिए कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और उसकी हेजिंग गतिविधियों से संबंधित किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

xix. दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) के प्रावधानों के अनुसार दूसरा संशोधन नियम, 2019, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सभी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के साथ पढ़ें, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लावारिस लाभांश राशि के साथ लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या लावारिस रहा है कंपनी द्वारा निर्धारित नियत तिथि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सदस्य/ दावेदार जिनके शेयर या दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ डीमैट खाते या फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसा भी मामला हो, वे पात्रता पत्र जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क करके शेयरों का दावा कर सकते हैं या धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर्म IEPF - 5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) में IEPF प्राधिकरण को आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ IEPF प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर तय किए गए अपेक्षित शुल्क के साथ।

निम्नलिखित वर्षों के लिए दावा न किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार IEPF में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे दावा न किए गए लाभांश का विवरण और संबंधित शेयरों के संबंध में विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं।

वित्तीय वर्ष	लाभांश की घोषणा की तिथि	कुल लाभांश (₹.)	दावा न किया गया लाभांश 31.03.2024 तक		आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि
			(₹.)	(%)	
2016-17	18 सितंबर 2017	4,88,95,097.80	125036.60	0.26	24 अक्टूबर 2024
2017-18	26 सितंबर 2018	1,95,58,039.12	44023.96	0.23	2 नवंबर, 2025
2022-23	31 अगस्त 2023	34,22,679.99	3593.46	0.10	6 अक्टूबर, 2030

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभांश और शेयरों को उक्त फंड में स्थानांतरित करने से पहले वे दावा करें।

xx. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश का प्रेषण:

कंपनी एनईसीएस (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस)/आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट)/एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से शेयरधारकों को लाभांश भेजने की सुविधा प्रदान करती है। शेयरधारक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का विकल्प नहीं चुना है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक विवरण प्रदान करना आवश्यक है। जिसमें उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) या कंपनी को एमआईसीआर (मैट्रिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) और आईएफएससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) शामिल हैं, जहां शेयर क्रमशः डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और फिजिकल फॉर्म में रखे जाते हैं।

xxi. संयंत्र स्थान:

कंपनी के संयंत्र स्थित हैं -

- (i) 16ए और बी, ब्लॉक "डी", कल्याणी, पश्चिम बंगाल,
 - (ii) 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता - 700 023, "(तब से बंद),"
 - (iii) पी-25, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कोलकाता - 700 088, (तब से बंद),
 - (iv) एम. जी. रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता - 700104 (तब से बंद), और
 - (v) 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरुंगुडी, चेन्नई - 600 096।
- कंपनी के चाय बागान पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं।

xxii. पत्राचार के लिए पता:

किसी अन्य मामले एवं अनसुलझे शिकायतों के लिए
कंपनी सचिव
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
"यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001
फ़ोन: (033) 2242 - 8210/8550; फ़ैक्स: (033) 2242 - 9770
ई-मेल: com.sec@andrewyule.com

xxiii. नामांकन सुविधा:

वे शेयरधारक जो शारीरिक रूप में शेयर रखते हैं और कंपनी के अपने शेयरों के संबंध में नामांकन करने/बदलने की इच्छा रखते हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमति दी गई है, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यह फॉर्म कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

xxiv. सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई हैं, साथ ही किसी भी संशोधन के साथ, उस इकाई के सभी ऋण साधनों के लिए या किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव के लिए, चाहे वह भारत में हो या विदेश में धन जुटाने के लिए हो:

क्र.सं.	जिसके लिए साधन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की	वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट रेटिंग	वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट रेटिंग
1.	फंड आधारित सुविधाएं	बीबी/नकारात्मक	बीबीबी/-नकारात्मक
2.	गैर-निधि-आधारित सुविधाएं	A4+	A3

9. अन्य खुलासे

- i. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ टकराव हो सकता है:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ, जो कंपनी के हितों के साथ टकराव में था।
- ii. संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति:** बोर्ड ने संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के निर्धारण के लिए एक संबंधित पार्टी लेनदेन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेब लिंक – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Materiality_Related_Party_Transactions.pdf पर देखा जा सकता है।
- iii. पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन, शेयर बाजारों या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड, सख्त आदेशों का विवरण:** पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कोई दंड/सख्त आदेश नहीं लगाए गए हैं, सिवाय इसके कि बीएसई ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वतंत्र निदेशकों/स्वतंत्र महिला निदेशक के पदों के खाली रहने के कारण कंपनी पर दंड लगाया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ऑडिटेड वित्तीय परिणामों को एक्सचेंज में जमा करने में एक दिन की देरी के लिए दंड लगाया गया। लगाए गए दंड का विवरण नीचे दिया गया है:

एक्सचेंज का नाम	लगाया गया जुर्माना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए	लगाया गया जुर्माना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए	लगाया गया जुर्माना वित्त वर्ष 2023-24 के लिए
बीएसई लिमिटेड.	रु. 21,53,500/-	रु. 5,900/-	रु. 14,69,100/-



एवाईसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से सूचित की जाती है। कंपनी ने मंत्रालय/एक्सचेंज के साथ जुर्मनि की माफी के लिए मामला उठाया था।

- iv. **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण:** समीक्षा के वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेबी (LODR), 2015 के नियम 17 से 27 में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जहां तक लागू होता है, सिवाय निदेशक मंडल की संरचना के, जिसमें 28 जनवरी, 2023 से बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण अनुपालन नहीं हो पाया और निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसा कि रिपोर्ट में समझाया गया है।
- v. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सेबी (LODR), 2015 के नियम 46 (2) के खंड (b) से (i) के तहत सूचीबद्ध सभी जानकारी 'निवेशक संबंध' पृष्ठ पर प्रसारित की है।
- vi. **लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश:** कंपनी DPE के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, सिवाय निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों के, क्योंकि 28 जनवरी, 2023 से बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रेडिग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए भी वही रेटिंग मिलने की उम्मीद है।
- vii. **सेबी (LODR) विनियम, 2015 के शेड्यूल III के भाग ए के पैरा ए के खंड 5ए के तहत खुलासा की गई जानकारी:** शुन्य
- viii. **विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति:** कंपनी के पास एक विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसके तहत निदेशकों और कर्मचारियों को निर्धारित तरीके से वास्तविक चिंता के किसी भी मामले का खुलासा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। किसी भी कार्मिक को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है। पॉलिसी का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेब लिंक - http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Vigil_Mechanism_Whistle_Blower_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।
- ix. **इनसाइडर ट्रेडिंग प्रथाओं की रोकथाम के लिए संहिता:** सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी ने अंदरूनी सूत्रों/नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता और अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता को अपनाया है। कंपनी की संवेदनशील जानकारी, सभी निदेशक, कर्मचारी और तीसरे पक्ष जैसे लेखा परीक्षक, सलाहकार आदि जिनकी कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच हो सकती है, इस कोड द्वारा शासित होते हैं। कोड के अनुसार परिणामों की घोषणा और किसी भी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने के दौरान ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है।
- x. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ कंपनी (खाता) नियम, 2014 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खातों के नोट्स में निर्धारित किया गया है।
- xi. कंपनी द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों और उसके अनुपालन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।
- xii. पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई सार्वजनिक मुद्दे, सही मुद्दे या अन्य सार्वजनिक पेशकश नहीं हुई हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।
- xiii. बोर्ड ने कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा की है और सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।
- xiv. 31 मार्च, 2024 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया गया है।
- xv. मेसर्स से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी (सी.पी. नं. 9131) यह पुष्टि करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्राधिकरण और प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- xvi. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जब बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार न की हो।
- xvii. एमएस। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की सहायक कंपनियों को कोई सेवा प्रदान नहीं की है। कंपनी और/या उसकी सहायक कंपनियों ने नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, की संस्थाओं से, यदि कोई हो, किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया है।

कंपनी और इसकी 2 (दो) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों जैसे की, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए चुकाई गई कुल फीस निम्नलिखित है:

(Rs. in lakh)

विवरण	एवाईसीएल द्वारा भुगतान की गई फीस	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई फीस	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई फीस	कुल
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	7,00,000	11,800	11,800	7,23,600
सीमित समीक्षा शुल्क	1,80,000	24,780	24,780	2,29,560
कुल	8,80,000	36,580	36,580	9,53,160

xviii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासा:

- 2023-24 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या: शून्य
- 2023-24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य
- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

xix. सत्यनिष्ठा समझौता: पारदर्शिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी के सभी डिवीजनों में 3 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य वाली सभी निविदाओं में आईपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को नामित किया गया है।, इसकी खरीद प्रक्रिया में ईमानदारी, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता। वर्ष के दौरान, आईईएम के साथ 3 बैठकें आयोजित की गईं। प्रबंधन और ठेकेदार/विक्रेता के बीच विवाद निवारण के लिए मध्यस्थता करने के लिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, जिसे आईईएम को भेजा गया था और वर्ष के भीतर विचार-विमर्श किया गया था।

xx. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की प्रकृति का खुलासा, जिसमें निदेशकों की रुचि है: विवरण वित्तीय विवरणों में प्रदान किए गए हैं।

xxi. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान SEBI LODR विनियम के नियम 32 (7A) के तहत वरीय आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

xxii. डीमैट सस्पेंस खाते/लावारिस सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण: लागू नहीं।

xxiii. अनुमत व्यापार श्रेणी के अंतर्गत एनएसई द्वारा अस्थायी व्यापार निलंबन: कंपनी के शेयरों का व्यापार 5 अगस्त, 2021 से एनएसई प्लेटफॉर्म पर अनुमत व्यापार श्रेणी के अंतर्गत हो रहा था। इसके बाद, कंपनी के संज्ञान में आया कि एनएसई ने नवंबर, 2023 से अपने प्लेटफॉर्म पर एवाईसीएल के शेयरों के व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि, शेयरधारक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड के माध्यम से अपने शेयरों का व्यापार कर सकते हैं।

xxiv. सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख सहित: लागू नहीं।

xxv. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30ए के अनुसार समझौतों का खुलासा: संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30ए के अनुसार ऐसे किसी समझौते का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

10. निवेशक सुरक्षा उपाय

शेयरों और संबंधित मामलों से निपटने के दौरान जोखिमों को कम करने/उनसे बचने के कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति में, कंपनी की अपने सदस्यों को निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

a) डीमैट खाता खोलें और अपने शेयरों को डीमैटरियालाइज़ करें

सदस्यों को अपनी भौतिक होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स में परिवर्तित करना चाहिए। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने से सदस्यों को शेयरों के तत्काल हस्तांतरण में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण पर कोई स्टॉप शुल्क देय नहीं है और जाली हस्तांतरण, नकली प्रमाणपत्र और खराब डिलीवरी जैसे भौतिक प्रमाणपत्रों से जुड़े जोखिमों से बचा जाता है।

b) अपने एकाधिक फोलियो को समेकित करें

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एकाधिक फोलियो के अंतर्गत रखी गई अपनी शेयरधारिता को समेकित करें। इससे शेयरों पर सभी कॉर्पोरेट लाभों की वन-स्टॉप ट्रेकिंग की सुविधा मिलती है और कई फोलियो की निगरानी के लिए आवश्यक समय और प्रयास कम हो जाएंगे।

c) सुरक्षा विवरण की गोपनीयता

फोलियो नंबर/डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी का खुलासा किसी भी अज्ञात व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित रिक्त स्थानांतरण विलेख, वितरण अनुदेश पत्रियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए।



d) पंजीकृत मध्यस्थों से निपटना

सदस्यों को एक पंजीकृत मध्यस्थ के माध्यम से लेनदेन करना चाहिए जो सेबी के नियामक अनुशासन के अधीन है, क्योंकि यह अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा, और यदि मध्यस्थ पेशेवर रूप से कार्य नहीं करता है, तो सदस्य सेबी के साथ मामला उठा सकते हैं।

e) प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करें

व्यापार के निष्पादन के 24 घंटे के भीतर ब्रोकर/सब-ब्रोकर से एक वैध अनुबंध नोट/पुष्टि ज्ञापन प्राप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुबंध नोट/पुष्टि ज्ञापन में ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, ट्रेड समय, मात्रा, कीमत और ब्रोकरेज शामिल हो।

f) अपना पता अपडेट करें

सभी संचार और कॉर्पोरेट कार्रवाइयां तुरंत प्राप्त करने के लिए, कृपया कंपनी या डीपी, जैसा भी मामला हो, के साथ अपना पता अपडेट करें।

g) धोखाधड़ी की रोकथाम

निष्क्रिय पड़े फोलियो से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन की संभावना है, जहां सदस्य या तो मर चुका है या विदेश चला गया है। इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सावधानी बरतें और जब भी आवश्यकता हो, पते में किसी भी बदलाव, विदेश में रहने या किसी सदस्य के निधन के बारे में कंपनी को सूचित करें।

h) जोतों की नियमित रूप से निगरानी करें

अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। संबंधित डीपी से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) डाक शुल्क का तरीका

शेयर प्रमाणपत्र और उच्च मूल्य वाले लाभांश वारंट/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट साधारण डाक से नहीं भेजे जाने चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि सदस्यों को ऐसे उपकरण पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजने चाहिए।

11. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग-ई के तहत दी गई विवेकाधीन आवश्यकताओं को नहीं अपनाया है।

12. सीईओ/ सीएफओ से प्रमाण पत्र

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के संदर्भ में कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र बोर्ड के समक्ष रखा गया है और इस रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है।

13. कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले मेसर्स एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों (सी. पी. नंबर 9131) का एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
14 अगस्त 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के तहत कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं, अनंत मोहन सिंह, एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसकी पुष्टि करता हूँ निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

कोलकाता,
14 अगस्त 2024

अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

हम, श्री अनंत मोहन सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री संजय वर्मा, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हैं कि -

- हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है:
 - इन बयानों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य बयान शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे बयान शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - ये विवरण अपने नोट्स के साथ मिलकर कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।
- हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है -
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है; और
 - महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में उन्हें जानकारी हो गई है और इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो, शामिल है।

दिनांक: 29 मई, 2024

एसडी/-
(संजय वर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एसडी/-
(अनंत मोहन सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड ई के अनुसार]

सदस्यों को,
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा सी और डी में संशोधित रूप में निर्धारित किया गया है। समय-समय पर ("सेबी एलओडीआर") और इसके अन्य लागू नियम और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी एलओडीआर और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी लागू शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

- (i) निदेशक मंडल की संरचना {विनियम 17(1)(बी)} - इस विनियमन के अनुसार यदि अध्यक्ष कार्यकारी है तो निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे लेकिन 31.03.2024 तक कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की कमी थी।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 14.08.2024

एस. दीपक एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
मालिक
एसीएस-25625, सीपी नंबर 9131
यूडीआईएन - A025625E000715820
पीआर संख्या: 1581/2021



निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाण पत्र

(सेबी के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i)
(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता, 2015) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड,
यूल हाउस,
8. डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता - 700001

हमने CIN: L63090WB1919GOI003229 और यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता – 700001 (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), में पंजीकृत कार्यालय वाले मेसर्स एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप-खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या ऐसा कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अनंत मोहन सिंह	03594804	26.12.2023
2.	श्री राजिंदर सिंह मनकू	09706881	18.08.2022
3.	श्री संजय वर्मा	10373225	29.11.2023
4.	श्री विजय मित्तल	09548096	28.03.2022
5.	श्री आदित्य कुमार घोष	09222808	01.07.2021
6.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	00512243	02.11.2021
7.	श्री सुंदर पाल सिंह	09438081	16.12.2021
8.	श्रीमती नमिता देवी	07436235	02.11.2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन के साथ दक्षता या प्रभावशीलता ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस. दीपक एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
मालिक

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.04.2024

एसीएस-25625, सीपी नंबर 9131
यूडीआईएन- A025625F000244195



**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्टैंडअलोन IND-AS वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट**

एकल वित्तीय परिणामों पर रिपोर्ट

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, कारो रिपोर्ट 2020 [धारा (i)(c)] के तहत कैग के पर्यवेक्षण का पालन करने के लिए पहले जारी की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के स्थान पर संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जा रही है।

राय

हमने एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल बैलेंस शीट, एकल लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), एकल इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, साथ ही एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनियों अधिनियम, 2013, के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और भारतीय लेखांकन मानकों ("Ind AS") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2024 को कंपनी की स्थिति, नुकसान, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "एकल वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां" अनुभाग में दिया गया है। हम ICAI द्वारा जारी नैतिकता संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की नैतिकता संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे ऑडिट मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले :

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- i. नोट नं. 59 में, ऋणकर्ताओं और लेनदारों से संतुलन पुष्टि प्रमाण पत्रों और पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण, हम आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- ii. नोट नं. 2.11.3 और नोट नं. 10 में, कंपनी के पास उम्र के आधार पर प्राप्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। कंपनी के 36 महीने से अधिक समय से बकाया ऋणकर्ता निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपये में)

कुल प्राप्य 31.03.2024 को स्थिति	प्राप्य 36 महीने से अधिक	उपलब्ध प्रावधान 31.03.2024 को स्थिति
11,244.70	1,466.33	1,250.77

- iii. नोट संख्या 58 में, तीन चाय बागानों, अर्थात् बानेरहाट, चुनाभुट्टी और हरितालगुरी-3 (न्यू डुआर्स के) के पट्टा समझौते लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के पट्टे के नवीनीकरण के लिए 177.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 177.66 लाख रुपये) की सलामी राशि मांगी गई है, जिसे कंपनी द्वारा "ऋणों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए दावे" के रूप में माना गया है। यह मामला तुरंत हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी के संचालन के तहत चाय बागानों के स्वामित्व पर विवाद उत्पन्न करता है।
- iv. नोट संख्या 15 में, कंपनी के पुराने लंबित अग्रिमों का उल्लेख किया गया है जो अभी तक समायोजित नहीं हुए हैं। "अन्य चालू संपत्तियों" के तहत विभिन्न खर्चों के शीर्षक के तहत कुल 3999.86 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए हैं, जिनके विरुद्ध केवल 366.67 लाख रुपये के संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान मौजूद हैं। इन मामलों में किसी भी प्रकार के नुकसान का आकलन और लेखांकन नहीं किया गया है।

- v. नोट संख्या 34 में, कंपनी द्वारा विभिन्न महीनों के लिए पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासन शुल्क के जमा करने में देरी का उल्लेख किया गया है। यदि कोई दंड/डिमेरेज है, तो उसे नहीं माना गया है और उसका लेखांकन नहीं किया गया है।
- vi. नोट संख्या 62 में, चाय विभाग में, चाय नर्सरी पर 187.92 लाख रुपये के खर्च को "अग्रिम (बागान)" के तहत शामिल किया गया है, जिसे विभिन्न वर्षों में दिया गया है, लेकिन इसे पूंजी और राजस्व में अलग-अलग नहीं किया गया है। राजस्व मद के गैर-विभाजन के लिए होने वाले नुकसान को नहीं माना गया है।

हमारे मत में इन मामलों के संदर्भ में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख ऑडिट मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट में, हमारे पेशेवर निर्णय में, सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमने एकल वित्तीय विवरणों के पूरे संदर्भ में और इस पर अपनी राय बनाने के दौरान संबोधित किया, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। नीचे वर्णित मामलों के लिए, हमने अपने ऑडिट में इन मामलों को कैसे संबोधित किया, इसका विवरण उस संदर्भ में प्रदान किया गया है।

हमने अपने रिपोर्ट में संवाद करने के लिए नीचे वर्णित मामलों को प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने अपने रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारियों के अनुभाग में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें इन मामलों से संबंधित मामले भी शामिल हैं। तदनुसार, हमारे ऑडिट में ऐसी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था, जिन्हें एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं के परिणाम, जिसमें नीचे बताए गए मामलों को संबोधित करने के लिए किए गए प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर दिए गए ऑडिट मत का आधार प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	प्रमुख ऑडिट मामले	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	<p>राजस्व की मान्यता</p> <p>सामान की बिक्री से प्राप्त राजस्व (जिसे आगे राजस्व के रूप में संदर्भित किया गया है) तब मान्यता प्राप्त होता है जब सामान के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं। सामान की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य विचार की निष्पक्ष मूल्य पर किया जाता है, जिसमें रिटर्न या भत्ते, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट शामिल नहीं होती।</p> <p>राजस्व मान्यता का समय कंपनी के रिपोर्टेड प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। राजस्व मान्यता को प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में और राजस्व की मान्यता से संबंधित ऊपर वर्णित जोखिम के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया था।</p>	<p>हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:</p> <ul style="list-style-type: none"> - कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का मूल्यांकन किया गया, जो आईएनडी एसएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) के अनुरूप है, और उनका परीक्षण किया गया। -सामान्य सूचना और प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया गया और राजस्व की मान्यता के संबंध में नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी के नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में राजस्व कट-ऑफ पर ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। नमूने के आधार पर, वर्ष के अंत के करीब और वर्ष के अंत के बाद दर्ज किए गए बिक्री लेनदेन के लिए समर्थनकारी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जहां उचित हो, चक्रीय रुझानों के साथ राजस्व की तुलना की गई, आगे की पूछताछ और परीक्षण किए गए। आईएनडी एसएस 115 के अनुसार वित्तीय विवरणों में राजस्व के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।



<p>2.</p>	<p>प्रावधान और संभावित देनदारियां कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर मामलों का सामना कर रही है, जिनका अंतिम परिणाम आसानी से अनुमानित नहीं किया जा सकता है और जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियों का कारण बन सकते हैं। प्रबंधन के द्वारा संभावित देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण, एकल आईएनडी एसएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 40 में प्रस्तुत किया गया है। विधिक मामलों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है। इसमें शामिल राशि और लेखांकन मानकों का अनुप्रयोग, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई राशि देनदारी के रूप में प्रदान की जानी चाहिए या संभावित देनदारी के रूप में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए, स्वभाविक रूप से विषयपरक है। इसके लिए निर्णय का उपयोग आवश्यक होता है ताकि प्रावधान का स्तर स्थापित किया जा सके, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधान और संभावित देनदारियां सही तरीके से प्रदान न की गई हों या उचित रूप से प्रकटीकरण न किया गया हो। अतः, इस मामले को एक महत्वपूर्ण ऑडिट मुद्दा माना गया है।</p>	<p>कानूनी मामलों और संभावित देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा लागू की गई पहचान प्रक्रिया पर कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से चर्चा की है। हमने कंपनी के कानूनी और वित्त टीम द्वारा प्रदान किए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ा। जहां लागू हो, हमने कंपनी द्वारा प्राप्त बाहरी कानूनी या नियामक सलाह को भी पढ़ा। हमने रिपोर्ट में नोट किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर कंपनी के कानूनी और वित्त टीम के साथ चर्चा की, ताकि किसी संभावित देनदारी के उत्पन्न होने की संभावना, आकार और लेखांकन के संबंध में कंपनी के आकलन को समझा जा सके। उपरोक्त के आधार पर, हमने दर्ज किए गए प्रावधानों की राशि की समीक्षा की और एकल आईएनडी एसएस वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का उपयोग किया।</p>
<p>3.</p>	<p>आईटी सिस्टम ऑडिट आईटी सिस्टम ऑडिट की अनुपस्थिति में, लेखा/ऑपरेशनल डेटा की सुरक्षा, आईटी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से डेटा की पुनर्प्राप्ति, और डेटा ट्रांसफर के महत्वपूर्ण स्तरों पर और समेकन के समय मैनुअल हस्तक्षेप से उच्च ऑडिट जोखिम उत्पन्न होता है।</p>	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: इस प्रक्रिया का उद्देश्य आईटी सिस्टम ऑडिट की अनुपस्थिति, लेखा/ऑपरेशनल डेटा में सुरक्षा कमजोरियों, और आईटी डिजास्टर के दौरान अपर्याप्त डेटा पुनर्प्राप्ति तंत्र से जुड़े ऑडिट जोखिमों को कम करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एसए 701 (स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख ऑडिट मामलों का संचार) के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और अखंडता को बढ़ाना है।</p>
<p>4.</p>	<p>पट्टा दस्तावेजों पर पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास कंपनी के पट्टा दस्तावेजों और शीर्षक दस्तावेजों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास न करने से ऑडिट जोखिम बढ़ जाता है।</p>	<p>इस प्रमुख ऑडिट मामले के जवाब में, हमने बढ़े हुए ऑडिट जोखिम को संबोधित करने और पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन: <ul style="list-style-type: none"> o पट्टा दस्तावेजों और शीर्षक दस्तावेजों के रखरखाव पर आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। o उन नियंत्रण कमियों या कमजोरियों की पहचान की जो बढ़े हुए ऑडिट जोखिम में योगदान कर रही थीं। 2. सार परीक्षण प्रक्रियाएँ: <ul style="list-style-type: none"> o पट्टा दस्तावेजों और शीर्षक दस्तावेजों के अस्तित्व, पूर्णता और सटीकता की पुष्टि करने के लिए सार परीक्षण किया। o सहायक दस्तावेजों, जैसे पट्टा समझौतों, संपत्ति के शीर्षकों और संबंधित पत्राचार की जांच की। o रिकॉर्ड किए गए पट्टा और शीर्षक जानकारी की बाहरी स्रोतों और कानूनी दस्तावेजों के साथ सुसंगतता की पुष्टि की।

		हमारा इरादा इस प्रमुख ऑडिट मामले को हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट में एसए 701 के अनुसार संप्रेषित करने का है। यह संचार हितधारकों को पट्टा दस्तावेजों और शीर्षक दस्तावेजों के रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण ऑडिट जोखिमों, हमारे ऑडिट दृष्टिकोण और वित्तीय विवरणों के निहितार्थ के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
5.	<p>कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन, गणकीय धारणाओं पर आधारित होता है, जिसमें दायित्व का मापन, योजना की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और संबंधित गणकीय लाभ या हानि की गणना शामिल है। सभी भविष्य के नकदी प्रवाहों को वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है ताकि दायित्व की गणना की जा सके। कंपनी के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं, जिनमें छूट दर, मुद्रास्फीति की दर, वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। कंपनी इन उपयुक्त धारणाओं को चुनने और दायित्वों की गणना करने में सहायता के लिए बाहरी गणकीय विशेषज्ञ को नियुक्त करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन का हिस्सा है और परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन धारणाओं पर आधारित होने के कारण इसमें अनुमान की उच्च डिग्री होती है। (अधिक जानकारी के लिए एकल वित्तीय विवरणों के नोट 39.2 को देखें।)</p>	<p>मुख्य ऑडिट प्रक्रियाएँ: हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> लागू की गई प्रमुख धारणाओं (छूट दर, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन, जो संबंधित मार्गदर्शन नोट के अनुसार हैं। कंपनी के गणकीय विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन किया। गणकीय धारणाओं की समीक्षा और अनुमोदन, बाहरी गणक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए डेटा के पुनर्मिलन पर नियंत्रण का परीक्षण किया। प्रबंधन के साथ परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न दायित्वों पर चर्चा की और व्यवसाय को समझने के लिए धारणाओं में किसी भी असंगति का आकलन किया। कंपनी के इंड एस 19 के अनुसार नोट्स में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता को सत्यापित किया। <p>ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने देखा कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए धारणाओं का समर्थन उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा किया गया था।</p>

एकल वित्तीय विवरण और उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है जिसमें निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट हमें इस रिपोर्ट की तारीख तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध होने की उम्मीद है।

हमारा वित्तीय विवरणों पर राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार की आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त जानकारी से या किसी अन्य प्रकार से भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी का निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, इकटिरी में बदलाव और नकदी प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लेखित है।



यह जिम्मेदारी कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और आवेदन, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने, और एकल वित्तीय विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव को भी शामिल करती है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चलती स्थिति की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, चलती चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और चलती चिंता आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा कंपनी को परिसमाप्त करने या परिचालन बंद करने का नहीं है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एकल वित्तीय विवरण कुल मिलाकर धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं या नहीं, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयानबाजी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो सकते हैं।

एसए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। धोखाधड़ी के कारण होने वाली भौतिक गलत बयानी का पता न चलने का जोखिम त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता कैसी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की यथोचितता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए 'गोइंग कंसर्न' के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करें कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चलती स्थिति को जारी रखने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को चलती स्थिति के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
- एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह आकलन करें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का उचित प्रस्तुति के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं।

महत्त्व वह सीमा है, जिस पर वित्तीय विवरणों में गलतियां, चाहे वे व्यक्तिगत हों या समग्र रूप से, इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि यह संभावना बन जाती है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक समझदार और जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम शासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ अन्य विषयों के साथ-साथ ऑडिट की नियोजित सीमा और समय, और ऑडिट के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों पर संवाद करते हैं।

हम उन व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और स्वतंत्रता पर असर डालने वाले सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में संवाद किया है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

शासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ संवाद किए गए मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संवाद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की संभावना सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी किया गया है, हम "अनुबंधक ए" में ऑडिट के तहत वर्ष के लिए लागू होने वाली सीमा तक आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) हमने ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
 - (b) हमारे विचार में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक लेखा पुस्तकों को ठीक से रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।
 - (c) इस रिपोर्ट द्वारा कवर की गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल हैं, ये सभी लेखा पुस्तकों के साथ संगत हैं।
 - (d) हमारे विचार में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट हैं।
 - (e) 31 मार्च, 2024 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, 31 मार्च, 2024 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;
 - (f) एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में, हमारे अलग से दिए गए रिपोर्ट "अनुबंधक बी" का संदर्भ लें।
 - (g) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(5) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों के संदर्भ में, हमारी रिपोर्ट "अनुबंधक सी" में दी गई है।
 - (h) नियम के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में

कंपनी (लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के 11, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किए गए हैं:

- i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है - एकल वित्तीय विवरणों के नोट 40 का संदर्भ लें;
- ii. कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध या डेरिवेटिव अनुबंध नहीं थे, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो सकती थी।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने के लिए आवश्यक राशि के हस्तांतरण में कोई देरी नहीं हुई है।
- iv. (a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में खुलासा किए गए मामलों के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("मध्यस्थ"), को कोई धनराशि अग्रिम नहीं दी गई, उधार नहीं दी गई या निवेश नहीं किया गया (चाहे वह उधार की गई धनराशि से हो या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत से हो), इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य सुविधा प्रदान करेगा;
- (b) प्रबंधन ने यह भी दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में खुलासा किए गए मामलों के अलावा, कंपनी को किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("फंडिंग पार्टियां"), कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि कंपनी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी जो फंडिंग पार्टियां द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए होंगे ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य सुविधा प्रदान करेगी; और



- (c) हमने उन ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जो हमने उचित और उपयुक्त समझी हैं, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-धारा (a) और (b) के तहत दी गई अभ्यावेदन में कोई सामग्री गलत बयान शामिल है।
- v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या वितरित नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी पर कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं होता है।
- vi. कंपनियों (खाते) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3(1) के उपबंध के अनुसार, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने, खाते की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने और यह सुनिश्चित करने की सुविधा वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में खाते की पुस्तकों को बनाए रखने का प्रावधान है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है, केवल कंपनी पर ही लागू होता है। 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से नकदी और बैंक लेनदेन के मामले में ऑडिट ट्रेल लागू किया गया है, सभी लेनदेन के लिए नहीं। इस प्रकार, कंपनी पर संशोधित नियम 11(g) के तहत कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है।

अन्य मामले

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 40,578.87 लाख रुपये की कुल आय और 54,328.50 लाख रुपये की कुल संपत्ति के रूप में एकल वित्तीय विवरण/जानकारी का ऑडिट नहीं किया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण/जानकारी और हमारी राय, जहाँ तक यह वित्तीय विवरण/जानकारी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से पिछले ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.07.2024

(सीए. एम.सी.कोडाली)

पार्टनर

सदस्यता संख्या -056514

(यूडीआईएन: 24056514BKAUIL1204)

स्वतंत्र स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-A:

कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैरा 8(1) में संदर्भित:

जांच के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त माना और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में
 - (a) (A) कंपनी उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है, जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के पूर्ण विवरण, जैसे मात्रात्मक विवरण और स्थिति, सम्मिलित हैं।
 - (B) कंपनी उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है, जिसमें अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण सम्मिलित है।
 - (b) कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी को अपने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की हर तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है। कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है।
 - (c) सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक दस्तावेज (उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते विधिवत रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) जो वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, निम्नलिखित तालिका में हैं:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	सकल मूल्य (लाख रुपये)	जिस्के नाम पर आयोजित है:	चाहे प्रवर्तक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हों	आयोजित अवधि- जहाँ उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो बताएं)
1. मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नंबर 6बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
2. मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नं.9बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
3. मणि टावर गेस्ट हाउस फ्लैट नंबर 11, कोलकाता -38	1217.40 वर्ग फुट	0.29	टाइटल डीड नहीं उपलब्ध	शून्य	1993 से	केवल विकास समझौता है
4. वुडलैंड्स सिंडिकेट, 8/7 अलीपुर रोड, फ्लैट नंबर 12, कोलकाता-700027	3260.40 वर्ग फुट	2.35	मेसर्स चितपोर-गोलाबारी कंपनी प्रा.लि. के नाम पर निष्पादित बिक्री विलेख।	शून्य	1921 से	डलहौजी होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर भुगतान किया गया कर।

नोट संख्या 58 में उल्लिखित अनुसार, तीन चाय बागानों, अर्थात् बनरहाट, चुनाभुट्टी और हरितालगुरी-3 (न्यू डूअर्स) के लिए पट्टे का समझौता लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन चाय बागानों के पट्टे के नवीनीकरण के लिए मांगी गई ₹177.66 लाख (पिछले वर्ष - ₹177.66 लाख) की राशि को कंपनी द्वारा "अदायगी के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे" के रूप में माना गया है।

- (d) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसमें उपयोग अधिकार संपत्तियाँ भी शामिल हैं) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (e) कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा तैयार माल, कच्चे माल और स्टोर्स व स्पेयर पार्ट्स की भौतिक सत्यापन उचित



अंतराल पर किया गया है, और हमारी राय में इस सत्यापन की सीमा और कवरेज उपयुक्त है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स के अनुसार, भौतिक स्टॉक और बुक स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं।

- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को बैंक और वित्तीय संस्थानों से कुल पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमाएँ स्वीकृत की गई हैं, जो वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर दी गई हैं। कंपनी द्वारा इन बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिपोर्ट्स या विवरण कंपनी की पुस्तकों के खाते से मेल खाते हैं।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्षों को असुरक्षित ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स को प्रदान की गई राशि:

सहायक कंपनी का नाम	1.4.2023 को अथशेष (₹. लाख में)	वर्ष के दौरान सकल राशि (₹) लाख में)	31.03.2024 को अंतिम शेष (₹) लाख में)	ब्याज दर
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	5.67	0.67	6.34	शून्य
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.22	0.63	4.85	शून्य

- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और सभी ऋणों और अग्रिमों की शर्तें और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
- (c) ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की समय-सारणी निर्धारित नहीं की गई है, और भुगतान या प्राप्ति नहीं की गई हैं क्योंकि ये ऋण 100% सहायक कंपनियों को सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए हैं।
- (d) ऊपर "बी" में दी गई वजह से, ये ऋण न तो अतिदेय हैं और न ही कंपनी ने मूलधन की वसूली के लिए कोई कदम उठाया है।
- (e) किसी भी मौजूदा ऋणों के अतिदेय राशि को निपटाने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।
- (f) कंपनी ने ऐसे ऋण या अग्रिम दिए हैं जो या तो मांग पर चुकाए जा सकते हैं या जिनके पुनर्भुगतान की शर्तें और अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पार्टी का नाम	कुल राशि (लाख रूपये) कुल दिये गये ऋण का प्रतिशत	प्रमोटर्स को दिए गए ऋण	संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण (लाख ₹.)	टिप्पणी
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	6.34 (57%)	—	6.34	सांविधिक आवश्यकता के अनुसार खर्चों को पूरा करने के लिए 100% सहायक कंपनी को प्रदान किए गए ऋण जैसे लेखा परीक्षा शुल्क, शुल्क भरना, इसलिए ऐसे ऋण की प्रकृति चुकौती अनुसूची या ब्याज दर में शामिल नहीं है ऊपर की तरह ही।
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.85 (43%)	—	4.85	

- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य किसी निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी दी है, और न ही कोई सुरक्षा प्रदान की है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) यहां लागू नहीं होते हैं।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही उसने कोई ऐसा राशि स्वीकार किया है जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(v) यहां लागू नहीं होते हैं।
- (vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड्स के रखरखाव की आवश्यकता निर्धारित की है, और हमारे विचार में कंपनी ने उन खातों और रिकॉर्ड्स को तैयार किया और बनाए रखा है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।
- (vii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों और रिकॉर्ड्स की जांच के आधार पर, कंपनी ने बिना विवाद वाले वैधानिक बकायों जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (GST), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT),



और अन्य वैधानिक बकायों को संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी बिना विवाद वाले बकाया राशि नहीं थी जो कि भुगतान की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक बकाया रही हो, सिवाय कुछ अपवादों के। इनमें 285.01 लाख रुपये की राशि ग्रेच्युटी और ब्याज सहित, जिसे यूल ग्रुप ग्रेच्युटी फण्ड (Trust) में जमा करना है, और 22.24 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि (Provident Fund) और ब्याज सहित शामिल है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कस्टम्स ड्यूटी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण बकाया नहीं हैं जिन्हें किसी विवाद के कारण संबंधित अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो। हालांकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित बकाया राशियों को, जो कि आयकर, बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) के अंतर्गत आते हैं, किसी विवाद के कारण संबंधित अधिकारियों के पास जमा नहीं किया है।

क्रमांक	कानून का नाम	देय राशि की प्रकृति	मांग राशि (लाखों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है		
1	आयकर अधिनियम, 1961	दण्ड	4.65	2004-05	सीआईटी (अपील)		
		आयकर	1873.94	2010-11	एनसीएलटी		
			32.52	2014-15	सीआईटी (अपील)		
			10.89	2022-23	सीआईटी (अपील)		
2	पश्चिम बंगाल बिक्री कर और वैट	पश्चिम बंगाल बिक्री कर और वैट	462.14	1979-80 1986-87 1988-89 2001-02 2004-05 2005-06 2006-07	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और संशोधन बोर्ड		
				366.79	1973-74 1987-88 1994-95 1997-98 1999-00 2000-01 2003-04	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण	
					908.04	1985-86 1987-88 1992-93 1996-97 1997-98 1999-00 2000-01 2003-04	कलकत्ता उच्च न्यायालय
						49.33	1980-81 1982-83 1983-84 1984-85



3	असम बिक्री कर और वैट	बिक्री कर और वैट	152.93	1996-97 to 1998-99	अपीलीय प्राधिकरण राजस्व बोर्ड
4	उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर और वैट	106.24	1999-2000	अपीलीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण, कटक
			5.64	2001-02	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी बेरहामपुर
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	513.56	1990-91 1992-93 1993-94 1996-97 1998-99	सेसटेट में अपील & केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
				2001 to 2003 2009-10 2013-14 to 2016-17	
			4,486.67		

- (viii) कंपनी को ऐसे किसी मामले का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए लेनदेन को वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (43 का 1961) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या घोषित किया गया हो।
- (ix) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक से ऋण लिया है और वित्तीय वर्ष के दौरान उसे चुकाने में कोई चूक नहीं की है।
 (b) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा वर्ष के दौरान जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
 (c) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए टर्म लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।
 (d) कंपनी ने अपने अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए नहीं किया है।
 (e) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स या संयुक्त उपक्रमों की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई फंड नहीं लिया है।
 (f) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों या एसोसिएट कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर कोई ऋण नहीं उठाया है। अतः, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(f) का यह खंड लागू नहीं होता।
- (x) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (जिसमें ऋण साधन भी शामिल हैं) के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है। अतः, आदेश के अनुच्छेद 3(x)(ए) का यह खंड लागू नहीं होता है।
 (b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्राथमिक आवंटन या निजी प्लेसमेंट द्वारा शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर्स (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) जारी नहीं किए हैं।
- (xi) (a) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, सिवाय निम्नलिखित मामलों के जहां कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उनके विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	केस नंबर/ एफआईआर नंबर	मामले का विवरण
1.	उपलब्ध नहीं है	22 अक्टूबर से 23 मार्च की अवधि के दौरान संविदा कर्मचारी, विदूत प्रभाग, चेन्नई द्वारा नकदी दुवनियोजन में कथित अनियमितताएं। इस मामले में 43,310/- रुपये की राशि शामिल है। इससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है।

- (b) ऑडिट के दौरान हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही हमारे ध्यान में ऐसा कुछ आया है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के तहत रिपोर्टिंग के लिए फार्म ADT-4 में दाखिल किए जाने की आवश्यकता हो, जैसा कि कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xii) का यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (xiii) सभी संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जहाँ लागू होते हैं और इनका विवरण वित्तीय विवरणों में दिया गया है, जैसा कि प्रासंगिक लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है।
- (xiv) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।
(b) सितंबर 2023 तक के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट्स पर विचार किया गया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xv) का यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (xvi) (a) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
(b) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या हाउसिंग वित्त गतिविधि नहीं की है।
(c) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xvi)(c) का यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
(c) कंपनी ने समूह में एक से अधिक CIC का गठन नहीं किया है।
- (xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (एफ.वाई. 2022-23) के दौरान 6622.79 लाख रुपये (0.00 रुपये) के नकदी घाटे का सामना किया है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xviii) का यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों के प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय देनदारियों के भुगतान की तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान के आधार पर, हम यह राय देते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है जिससे कंपनी अपनी देनदारियों को समय पर चुकाने में असमर्थ हो सकती है।
- (xx) बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार, अधिनियम की धारा 135(5) के तहत खर्च न की गई कोई भी राशि कंपनी के पास शेष नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xxi) आदेश के क्लॉज 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संदर्भ में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त क्लॉज के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.07.2024

(सीए. एम.सी.कोडाली)

पार्टनर

सदस्यता संख्या -056514

(यूडीआईएन: 24056514BKAUJL1204)



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक B

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 8(2)(एफ) में संदर्भित:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

- (1) हमने 31 मार्च, 2023 तक एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- (2) निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- (3) हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था, यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।
- (4) हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- (5) हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- (6) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए आईएनडी एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईएनडी एस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका आईएनडी एस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

- (7) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें राय की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है

मत

- (8) हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और नीचे दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन:
- प्रभागों, इकाइयों और उद्यानों से वित्तीय डेटा का प्रवाह प्रधान कार्यालय खातों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत नहीं है। इसमें लेखांकन के विभिन्न चरणों में मैनुअल हस्तक्षेप शामिल है।
 - आईटी सामान्य नियंत्रण और कर्तव्यों के पृथक्करण के दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान के लिए उचित विवरण के साथ उचित रखरखाव और रिकॉर्ड के सटीक प्रतिबिंब के बारे में उचित आश्वासन नहीं देती है।
 - आईटी आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - कंपनी ने अधिकांश मामलों में विविध देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।
 - चाय प्रभाग में खर्चों एवं देनदारियों को रिकार्ड करने एवं प्रावधान बनाने की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इसके आकार, विविधता और संचालन की जटिलता के संबंध में अपर्याप्त है, जैसा कि मार्गदर्शन नोट में कहा गया है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण। ये टिप्पणियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29.07.2024

(सीए. एम.सी.कोडाली)
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या -056514
 (यूडीआईएन: 24056514BKAUIL1204)



अनुलग्नक - सी: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी के निर्देश।

ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों में पूछे गए सवालों और जानकारी का जवाब हम नीचे दे रहे हैं:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्तमान में अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है और इस प्रकार, आवश्यक लेखांकन एकीकरण अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर लागू करके किया जा रहा है। कंपनी द्वारा अपनाई गई विधि डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का "अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों" के शीर्ष से संबंधित नोट संख्या 22 के तहत उचित रूप से हिसाब लगाया गया था।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.07.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
पार्टनर
सदस्यता संख्या -056514
(यूडीआईएन: 24056514BKAUIL1204)



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एम/एस एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार किया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन किया है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.07.2024

(सीए. एम.सी.कोडाली)
पार्टनर
सदस्यता संख्या -056514
(यूडीआईएन: 24056514BKAUJL1204)



सत्यमेव जयते

संख्या 247 / Co-ordn./ 01-15 (A Yule)/2024-25

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता-700 001
1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

दिनांक / Dated: 01 AUG 2024

सेवा में
The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
"Yule House"
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yule & Company Limited के वर्ष 2023-24 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2023-24 के लिए Andrew Yule & Company Limited की लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु: यथोपरि।

भवदीय

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

टेलिफोन / Telephone : (033) 2248-9674 / 2248-5600, ई-मेल / E-mail : pdamineskol@cag.gov.in



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE AND COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 30 July 2024 which supersedes their earlier Audit Report dated 29 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision(s) made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata

Date: 01 AUG 2024

(Bibhudutta Basantia)
Director General of Audit (Mines)
Kolkata



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 1 निगमित सूचना

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) को 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंध एजेंसी के रूप में काम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। प्रबंधन एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ, कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चाय उत्पादन और विनिर्माण व्यवसाय के साथ मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अनुसूची- "बी" सीपीएसई है। सरकार की 89.25% हिस्सेदारी के साथ एम/ओ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, डी/ओ भारी उद्योग, इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी जॉब आदि के विनिर्माण और बिक्री दोनों के व्यवसाय में एक राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इसकी दो (2) परिचालन इकाइयाँ हैं जिनमें से एक (1) कल्याणी पश्चिम बंगाल में है और एक (1) चेन्नई, तमिलनाडु में, और बारह (12) चाय बागान जिनमें से सात (7) असम में और चार (4) डुआर्स में और एक (1) दार्जिलिंग में स्थित हैं। कंपनी तीन में काम कर रही है मुख्य क्षेत्र अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 31.03.2024 तक उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 14204 है। इसके शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

29 मई, 2024 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

नोट 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन

वित्तीय विवरण लेखांकन के संचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं [कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों में प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] माप का आधार

वित्तीय विवरण उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर, लेखांकन और ऐतिहासिक लागत सम्मेलनों के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- [i] उद्भूत वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- [ii] परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा नोट 2.28 में की गई है।

[2.1.3] कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

[2.1.4] अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अप्रचलन, मांग, पूर्णता और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई कारकों पर आधारित है। हालांकि, संयंत्र और मशीनरी के मामले में, उपयोगी तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार जीवन को 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है। इसी प्रकार असम और डुआर्स गार्डन के वाहक पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है। तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। वित्तीय वर्ष 2013-24 तक परिवर्धन के लिए

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

संबंधित उद्योग में संयंत्र और मशीनरी की स्थितियों पर विचार करना। इसी प्रकार असम और डुअर्स गार्डन के बियरर पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य की वसूली योग्य राशि-प्रगति पर

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि और प्रगति पर पूंजीगत कार्य अनुमान और धारणाओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव से वसूली योग्य राशि की माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

[ग] सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

चिकित्सा लाभों को छोड़कर कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमाकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा लाभ वास्तविक आधार पर मापा जाता है।

[घ] प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन आईएनडी एस 37, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण ऐसा अनुमान बदल सकता है।

[ङ] सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश

निवेश लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश की किसी भी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को आईएनडी एस 108 द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को भारतीय रुपये (आईएनआर) में अनुवादित किया जाता है, जो लेनदेन की तारीखों पर आईएनआर और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके कार्यात्मक मुद्रा है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को आम तौर पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

[a] तकनीकी जानकारी सहित अचल संपत्तियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण को या तो लेखांकन वर्ष के अंत में विनिमय समता दर पर या अग्रिम रूप से बुक किए जाने पर निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे विनिमय दर अंतर के संबंध में आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋण, अचल संपत्तियों और मूल्यहास के लिए किए जाते हैं।

[b] सीआईएफ, एफओबी और सी एंड एफ अनुबंध दोनों के तहत सामग्रियों के किसी भी आयात के संबंध में, खरीद को बिल ऑफ एंट्री की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। उपरोक्त दर और जिस दर पर वास्तविक भुगतान किया जाता है या 31 मार्च को प्रचलित दर, जो भी पहले हो, के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[c] निर्यात/विदेशी बिक्री को लदान के बिल की तारीख पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, या तो आय की वसूली पर या वर्ष के अंत में विनिमय दर के फैसले पर उसके रूपांतरण पर, जो भी पहले हो, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[d] विदेशी मुद्रा में प्राप्य और देय राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में समता दर पर बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। ऐसी प्राप्य/देय राशि के निपटान पर या ऐसी प्राप्य/देय राशि की उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, जिस पर अवधि के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था या पिछली बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया था, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]**[2.4] राजस्व पहचान और अन्य आय**

राजस्व को 01.04.2018 से प्रभावी आईएनडी एस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तु की बिक्री

वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दे दिए जाते हैं। माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री से राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य, छूट और योजनाओं के आधार पर आधारित होता है, जिसका मूल्यांकन प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर किया जाता है। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री आम तौर पर क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

वर्ष के अंत के भीतर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाले गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध प्रेषण, तैयार माल-पारगमन के रूप में दिखाए जाते हैं।

अनुबंधों के विरुद्ध चाय की बिक्री का हिसाब डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर और चाय व्यापार के मानदंडों के अनुसार नीलामी केंद्रों में बिक्री के पूरा होने पर किया जाता है।

[2.4.2] किराये की आय

सहयोगी कंपनी और अन्य पक्षों को संपत्ति किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय का हिसाब-किताब समझौते की शर्तों के अनुसार आवधिक आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी वास्तविक अनुबंध शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। हालाँकि, बैंक के लिए वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को बैंकों द्वारा सूचित माना जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को 'अन्य आय' मद के तहत लाभ और हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को मापा जा सकता है विश्वसनीय रूप से।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

- बीमा और अन्य दावों का हिसाब स्वीकृत राशि के आधार पर किया जाता है।
- बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रिफंड का हिसाब प्राप्त मूल्यांकन/रिफंड आदेशों के आधार पर किया जाता है;
- पूर्ण/आनुपातिक भुगतान की देर से प्राप्ति के कारण बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से प्राप्त होने वाले ब्याज का हिसाब उस सीमा तक लगाया जाता है, जिस सीमा तक अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में ब्याज सुनिश्चित किया जा सकता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

- d) निर्यात/मानित निर्यात लाभ का हिसाब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण पूरा होने पर किया जाता है।
- e) कच्चे माल, उपकरण/पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए कंपनी द्वारा वसूले गए निर्धारित नुकसान को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आय कर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर के आधार पर अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है। यह कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर जहां उपयुक्त हो, प्रावधान स्थापित करता है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी को मान्यता दी जाती है और सुधार पर विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा दायर सुधार/अपील के कारण एनसीएलटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/बिक्री कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान पर समायोजन किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर पर, देयता पद्धति का उपयोग करके आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर का हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह व्यवसाय संयोजन के अलावा किसी लेनदेन में किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ/हानि और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं और जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास हो जाता है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है तो लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टा

कोई व्यवस्था पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण आईएनडी एस 116 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

एक पट्टेदार के रूप में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के तहत, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस -116) पट्टे 1.4.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गए हैं। आईएनडी एस 17 (पट्टे) की जगह। आईएनडी एस 116, लीज़ का प्रमुख परिवर्तन वर्तमान में ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत लीज़ के पट्टेदारों द्वारा लेखांकन उपचार में परिवर्तन है। पट्टा समझौतों ने परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और भविष्य के पट्टा भुगतान के लिए पट्टा दायित्व की मान्यता को जन्म दिया है। कंपनी के मानकों को केवल



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां निष्पादित पट्टा समझौते/ या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और 01.04.2019 को ऐसे पट्टे की शेष अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर :

असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर यह नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 की धारा 9 भूमि पट्टे, उपयोग का अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है।, उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, मामलों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि, आईएनडी एस 116 में परिवर्तन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के संघर्ष प्रभाव के साथ इस मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया है।

एक पट्टादाता के रूप में

परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां कंपनी पट्टेदार है, को लीज अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर आय में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल की जाती हैं।

[2.7] इन्वेंटरी के अलावा गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

[a] कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

[b] उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्भूत शेयर कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह का विवरण

[a] नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि, तीन महीने की मूल परिपक्वता के साथ अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं। या उससे कम खरीद की तारीख से जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों में उधार के तहत दिखाया गया है।

[b] नकदी प्रवाह का विवरण आईएनडी एस-7 "नकद प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है।

[2.10] इन्वेंट्री

[a] कच्चे माल (पैकिंग सामग्री सहित), कार्य-प्रगति, व्यापार और तैयार माल को कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित हिस्सा शामिल होता है, बाद वाले को

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

लगातार पालन किए जाने वाले ऐसे कार्यों में उपयोग किए गए वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। लागत भारत औसत पद्धति के आधार पर इन्वेंट्री की व्यक्तिगत वस्तुओं को सौंपी जाती है। खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और डिस्काउंट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत कम होती है।

- [b] तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम समय से पड़े धीमे और गैर-चलित स्टॉक के लिए बुक वैल्यू के 15% का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले ऐसे स्टॉक के लिए, बुक वैल्यू के 36.25% की दर से प्रावधान किया गया है। अप्रचलित दुकानों के लिए बुक वैल्यू के 100% पर प्रावधान किया गया है। वर्ष के अंत तक प्रगतिरत कार्य पर होने वाली सभी हानियों और ऐसे कार्यों पर होने वाले आगे के कार्य लागत के लिए अनुमानित हानि को ध्यान में रखा जाता है और विधिवत प्रावधान किया जाता है।
- [c] वर्ष के अंत में चल रही ठेका नौकरियों का मूल्यांकन करते समय, भविष्य में अनुमानित हानि पर केवल 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की नौकरियों के संबंध में विचार किया जाता है और/या वास्तविक प्रगति जिसमें तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।
- [d] स्वयं निर्मित स्टोर, स्पेयर, कच्चे माल आदि के अंतर-यूनिट हस्तांतरण, यदि वर्ष के अंत में स्टॉक में पड़े हैं, तो ट्रांसफरर यूनिट के अनुमानित कार्य/फैक्टरी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- [e] स्कैप के स्टॉक का मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, अनुमानित/वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालाँकि चाय की बर्बादी को महत्व नहीं दिया जाता है।
- [f] आयातित सामग्रियों की वास्तविक खपत के समय अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ निर्यात लाभों पर विचार किया जाता है। वर्ष के अंत में हाथ में आए अग्रिम लाइसेंसों का हिसाब नहीं रखा जाता है।
- [g] वर्ष के दौरान बेची जाने वाली इन्वेंट्री की लागत इन्वेंट्री की वृद्धि/कमी के माध्यम से पहचानी जाती है।

[2.11] सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियां

[2.11.1] वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित माप श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- * जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और
- * जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की अनुबंध संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएगी। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरणों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय पहचान की है।

कंपनी ऋण लिखतों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

[2.11.2] माप

इक्विटी उपकरण

कंपनी सहायक और अनुषंगी को छोड़कर सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापती है। सहायक कंपनियों और अनुषंगी में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

[2.11.3] वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी अग्रगामी आधार पर परिशोधन लागत और एफवीओसीआई ऋण उपकरणों पर ली गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 2.28 में बताया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

केवल व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी हानि के प्रावधान के रूप में मामले दर मामले के आधार पर प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित नुकसान को पहचानने का सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है।

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

*कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या

*वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहां इकाई ने परिसंपत्ति हस्तांतरित की है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहां इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] खरीदारी

[a] आने वाली वस्तुओं के संबंध में किए गए बीमा शुल्क जहां सामग्री सीधे संबंधित होती है, उन्हें व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में हिसाब में लिया जाता है; अन्यथा, ऐसा बीमा प्रीमियम लाभ और हानि के विवरण से वसूला जाता है।

[b] विदेश से खरीदे गए माल के मामले में, शिपमेंट को पारगमन में वस्तु माना जाता है:

[i] सीआईएफ और सीएंडएफ अनुबंध दोनों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तारीख से;

[ii] एफओबी अनुबंधों के मामले में, लदान बिल के अनुसार वास्तविक शिपमेंट की तारीख से।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

[a] गारंटी अवधि के दौरान मुफ्त प्रतिस्थापन के रूप में सामग्री/घटकों को जारी करना, जिसे अज्ञात होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रेषण पर ध्यान में रखा जाता है। लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन प्रदान किए जाते हैं।

[b] कंपनी उपरोक्त मद में पिछले तीन वर्षों के औसत खर्चों के आधार पर ग्राहकों को पहले ही बेचे गए सामानों की मरम्मत और सुधार के लिए देयता प्रदान करती है।

[c] परिसमाप्त क्षति के संबंध में देनदारियां उस सीमा तक प्रदान की जाती हैं, जिस पर कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा विवादित परिसमापन क्षति को आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। देनदारी/आकस्मिक देनदारी की राशि का अनुमान अनुबंधित शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की सीमा तक लगाया जाता है।

[d] कमीशन के संबंध में देयता बिक्री के अनुपात में प्रदान की जाती है।

[e] आयकर/कृषि आय-कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हिसाब कर अधिकारियों के मूल्यांकन आदेशों के आधार पर किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है या वास्तविक भुगतान किया गया है, जैसा भी मामला हो।

[f] भुगतान, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुपालन में फीस का हिसाब तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगाया जाता है।

[g] मान्यता प्राप्त राजस्व पर आनुपातिक प्रत्यक्ष लागत के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण किए गए समग्र/टर्नकी अनुबंधों के संबंध में अप्राप्त लाभ का प्रावधान किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

[h] टी एस्टेट्स के लिए दवा खरीद का शुल्क लगातार अभ्यास के अनुसार लिया जाता है।

[i] गारंटी कमीशन जारी/नवीनीकृत गारंटी के वर्ष में लिया जाता है।

[2.14] देनदारियों की बुकिंग/बट्टा

a) देनदारियां प्रदान करने के लिए, कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल है, लेकिन सभी ज्ञात देनदारियां, यदि वास्तविक हैं, तो यथासंभव बुक की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल)।

b) देनदारियां जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिनके पूरा होने की संभावना नहीं है, उन्हें सरकार के ऋण को छोड़कर बट्टा में रखा जाता है। केवल असाधारण वस्तुओं के मामले में, वित्तीय विवरणों में अलग से खुलासा किया जाता है।

[2.15] ऑफसेटिंग वित्तीय उपकरण

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

[a] अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्ष की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके।

[b] पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लागू लेखांकन मानक के अनुसार किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके लिए पर्याप्त लिखित आश्वासन मौजूद होने पर अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लगाया जाता है।

[c] फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुएं ऐतिहासिक लागत से मूल्यहास पर बताई गई हैं। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण से जुड़ा होता है।

[d] बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब लगाए गए किसी भी घटक की वहन राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि पर लगाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

[e] एक यूनिट/डिवीजन द्वारा दूसरी यूनिट/डिवीजन में उपयोग के लिए निर्मित मशीनरी का हिसाब ट्रांसफरर यूनिट की वर्क्स/फैक्ट्री लागत पर किया जाता है।

[f] यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है तो पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि हानि को उलट दिया जाता है।

[g] पुनरोपण के वर्ष से 3 साल के बाद बियरर प्लांट को कैपिटल डब्ल्यूआईपी से बियरर प्लांट के फिक्स्ड एसेट ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बियरर पौधे का औसत कुल जीवन असम और डुअर्स गार्डन के लिए 70 (सत्तर) वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मीम टी एस्टेट के लिए 100 (एक सौ) वर्ष माना गया है। वाहक पौधों की लागत में उखाड़ने की लागत, भूमि विकास, पुनर्वास, ग्वाटेमाला का रोपण, छायादार वृक्षों का रोपण, नर्सरी की लागत, जल निकासी, मैन्युअल खेती, उर्वरक, कृषि-रसायन, छंटाई और भरने आदि की लागत शामिल है। वाहक पौधों पर मूल्यहास मान्यता प्राप्त है ताकि सीधी रेखा विधि का उपयोग करके, उपयोगी जीवन पर इसकी लागत को लिखा जा सके। असम और डुअर्स उद्यान के लिए वाहक पौधों का अनुमानित उपयोगी जीवन 63 वर्ष निर्धारित किया गया है और दार्जिलिंग में मीम टी एस्टेट के लिए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे 91 वर्ष माना जाता है। युवा चाय की झाड़ियाँ और छायादार पेड़, जिसमें नए बीजों की खरीद और नर्सरी के रखरखाव पर होने वाली लागत शामिल है, पहले तीन वर्षों के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त हानि हानि से कम लागत पर किया जाता है। लागत में भूमि की तैयारी, नए रोपण और नई रोपित



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

झाड़ियों के परिपक्व होने तक रखरखाव की लागत शामिल है। तीन वर्ष पूरे होने के बाद परिपक्वता पर, इन लागतों को वाहक पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वाहक पौधों का मूल्यहास परिपक्वता पर शुरू होता है। भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वाहक पौधों का अवशिष्ट जीवन असम और डुअर्स गार्डन के संबंध में 4 वर्ष और दार्जिलिंग में मीम टी एस्टेट के लिए 6 वर्ष माना गया है।

[h] नामित तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिलने के बाद संपत्तियों को अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] आईएनडी एस-41 (जैविक संपत्ति) की प्रयोज्यता,

एवाईसीएल चाय प्रभाग विनिर्माण के लिए 7 दिनों में चाय की पत्तियां तोड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय को तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी हिस्सों में झाड़ियों पर चाय की पत्तियाँ अपरिपक्व हैं।

आईएनडी एस 41 के पैरा 10 में कहा गया है कि किसी जैविक संपत्ति को तभी पहचाना जाए जब, संपत्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय की पत्तियों के लिए कोई बाजार मौजूद नहीं है जो चाय की झाड़ियों पर रहती हैं और कटाई के लिए तैयार नहीं होती हैं (अभी तक कटाई नहीं हुई है)। जब तक हरी चाय की पत्तियां चाय की झाड़ियों पर मौजूद हैं और कटाई के चरण तक नहीं पहुंची हैं, तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और चाय के प्रसंस्करण के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि आईएनडी एस 41 के पैरा 8 में जोर दिया गया है, चाय की झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय की पत्तियों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी चाय की पत्तियों की कीमत का पता लगाना अव्यावहारिक होगा क्योंकि इसकी लागत की गणना के लिए कोई भी लागत मॉडल अनुमान और धारणा पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय की पत्तियों की कटाई नहीं की गई है और बढ़ती अवस्था में है, परिपक्व नहीं हुई है) को मान्यता नहीं देता है।

[2.18] पूंजीगत कार्य प्रगति पर

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों की खरीद कीमत शामिल होती है, जिसमें शुल्क और गैर-वापसीयोग्य कर और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तों के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं।

[2.19] अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बनाए रखने से जुड़ी लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जहां संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी जीवन से लेकर तीन वर्ष तक की सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

[2.20] व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। राशियाँ असुरक्षित हैं और आमतौर पर भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान की जाती हैं। व्यापार और अन्य देय को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

[2.21] उधार की लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती है जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जो कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से काट ली जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो उधार लेने की लागत तुलन पत्र से हटा दी जाती है। समाप्त हो चुकी या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें देनदारी पर हस्तांतरित किसी गैर-नकद परिसंपत्ति भी शामिल है, को लाभ और हानि खाते के विवरण में अन्य

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य उधार लागतें उसी अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

[2.22] प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और रिटर्न के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी दायित्व का निपटान करने के लिए और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां कई समान दायित्व हैं, निपटान में बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होने की संभावना समग्र रूप से दायित्वों के वर्ग पर विचार करके निर्धारित की जाती है। एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, भले ही दायित्वों की एक ही श्रेणी में शामिल किसी एक वस्तु के संबंध में बहिर्प्रवाह की संभावना छोटी हो।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर एक पूर्व-कर दर है जो पैसे के समय मूल्य और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियाँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, ऐसे दायित्व को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियाँ संभावित संपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

[2.23] कर्मचारी लाभ

[2.23.1] अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक लाभों सहित वेतन और वेतन के लिए देनदारियाँ, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त है। और देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जाने वाली अपेक्षित रकम पर मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर अर्जित अवकाश की देनदारियों का पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के रूप में परिभाषित लाभों के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध संतुलन और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है और इसे लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में। उन्हें इकिटी में बदलाव के विवरण और तुलन पत्र में बरकरार रखी गई कमाई में शामिल किया गया है।

यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

3 वर्षों के ब्लॉक के दौरान अप्राप्त चिकित्सा लाभों को वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.23.3] रोजगार उपरांत दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाएं संचालित करती है:

[a] परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

[b] परिभाषित योगदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि को भविष्य निधि का भुगतान करता है और योगदान के अलावा कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है और योगदान देय होने पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय

[2.25.1] प्रति शेयर मूल

आय प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है:

* कंपनी के मालिकों को होने वाला लाभ/हानि।

* वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से।

[2.25.2] प्रति शेयर मिश्रित आय

प्रति शेयर मिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करती है:

* संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों का आयकर के बाद प्रभाव, और

* अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

[2.26] वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं।

[a] वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में या किसी संपत्ति की वहन राशि में पहचाना जाता है यदि कोई अन्य मानक ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके उधार की अवधि में इस तरह के समावेश की अनुमति देता है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

[b] बाद में माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। यदि कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है, तो लाभ और हानि के विवरण में या परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

[c] मान्यता रद्द

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता के दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता में, लेनदेन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

हालांकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करते हैं।

सभी वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- * स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्दत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- * स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो अप्राप्य में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर पहचानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ उसे बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। उपरोक्त के प्रभावों को कम करने के लिए, इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएँ की जाती हैं। निम्नलिखित तालिका जोखिम के स्रोतों और इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है, इसकी व्याख्या करती है।

जोखिम	एक्सपोज़र आने का कारण	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, वित्तीय संपत्तियां परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	साख सीमा और साख पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	उधार की सुविधाएं
बाज़ार जोखिम - विदेशी एक्सचेंज	मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां भारतीय रुपये में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	मुद्रा की गति की निगरानी
बाज़ार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक उधार/ देनदारियाँ	...	ब्याज दर में गति का संचलन
बाज़ार जोखिम - प्रतिभूति कीमत	प्रतिभूतियों में निवेश	...	श्रेणी प्रबंधन

[a] साख जोखिम

साख जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर किए गए निवेश, बैंकों और वित्तपोषण संस्थानों के पास जमा के साथ-साथ ग्राहक और अन्य पक्षों के लिए साख जोखिम से उत्पन्न होता है।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/ संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय संपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह पार्टी-वार प्रदर्शन की निगरानी करता है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पार्टी के लिए क्रेडिट रेटिंग आवंटित की जाती है। इसके बाद उक्त पार्टी की सॉल्वेंसी के आधार पर प्रत्येक पार्टी को एक क्रेडिट सीमा सौंपी जाती है।

इकाई चालू आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में डिफॉल्ट की संभावना पर विचार करती है।

सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि यदि भुगतान देय होने में 60 दिन से अधिक का समय लगता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है।

संदिग्ध संपत्तियों के प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

रु (लाख में)	
विवरण	मात्रा
01.04.2023 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	852.71
2023-24 के दौरान शुल्क	398.06
31.03.2023 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	1250.77

[b] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण जोखिम तरलता प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की उपलब्धता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई ने निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं का उपयोग किया है:

रु (लाख में)		
विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	11010.38	9398.53
साख पत्र	1601.08	2070.37
बैंक गारंटी	1235.13	1717.96

निम्नलिखित तालिका अगले 12 (बारह) महीने के भीतर देय अनुबंधात्मक रियायती नकदी प्रवाह को दर्शाती है

31.03.2024 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)				
संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	5275.08	1570.49	886.20	7731.77
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8891.43	-	-	8891.43

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

31.03.2023 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	2 और 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियाँ	9325.40	99.18	968.85	10393.44
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	6325.49	-	-	6325.49

[C] बाज़ार का जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्त्य (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियाँ		
व्यापार देय (विदेश मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-

[2.29] पूंजी प्रबंध

[A] जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

[a] एक चालू संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करें।

[b] पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

[B] लाभांश

[1] वर्षांत समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त लाभांश:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अंतिम लाभांश	शून्य	34.22
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

[2] इंड एस के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई।

[2.30] संपत्ति को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति

रु (लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय पूंजी	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ *	4912.04	8151.75
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
इन्वेंटरी *	2758.41	4529.84

*इंजीनियरिंग प्रभाग को छोड़कर



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

रुपये लाख में

	नोट नं.	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	16192.69	14,181.75
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	3	8835.28	9,356.03
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	8.89	10.28
(घ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	4	343.31	261.72
(ii) अन्य	5	21.32	74.19
(ड) आयकर संपत्ति (शुद्ध)	6	1879.11	1,599.07
(च) अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ	7	342.06	442.06
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियाँ		27622.66	25,925.11
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	3430.29	5,316.00
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	9	0.35	0.35
(ii) व्यापार प्राप्त	10	9993.93	11,815.22
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	1025.84	1,289.95
(iv) अन्य बैंक शेष	12	2868.47	3,667.45
(v) ऋण	13	0.44	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	565.87	528.86
(ग) अन्य मौजूदा संपत्तियाँ	15	3999.86	5,785.07
(घ) निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	16	42.36	0.04
कुल मौजूदा संपत्तियाँ		21927.41	28,403.39
कुल संपत्ति		49550.08	54,328.50
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	2644.50	8,881.52
कुल इक्विटी		12,423.52	18,660.54
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	19	376.51	586.11
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	42.84	47.71
(ख) प्रावधान	21	3575.03	3,341.41
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ	22	679.02	702.78
(घ) आस्थगित कर देयता		1402.01	2159.30
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ		6,075.41	6,837.31
वर्तमान देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	23	11010.38	9,398.53
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	7731.77	10,393.44
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25	5507.64	4,005.08
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	26	4677.61	3,779.37
(ग) प्रावधान	27	2123.75	1,254.24
कुल वर्तमान दायित्व		31,051.15	28,830.65
कुल देनदारियाँ		37,126.57	35,667.96
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		49,550.08	54,328.50

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं. : 302081E

एम.सी.कोडाली

पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 मई 2024

यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03594804

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

रुपये लाख में

विवरण		वर्ष समाप्त हुआ		
		नोट संख्या	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
I	संचालन से राजस्व	28	30,985.40	37,403.60
II	अन्य आय	29	3,867.26	3,175.27
III	कुल आय (I + II)		34,852.66	40,578.87
IV	खर्च			
	(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	10,304.50	13,213.44
	(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	31	1,149.77	(720.20)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	21,621.54	18,113.05
	(घ) उत्पाद शुल्क			
	(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	695.31	644.74
	(च) वित्त लागत	34	1,549.73	999.45
	(छ) अन्य खर्चों	35	6,849.90	7,430.16
	कुल व्यय (IV)		42,170.76	39,680.64
V	असाधारण वस्तु और कर से पहले लाभ (III - IV)		(7,318.10)	898.23
VI	असाधारण वस्तुएं	36	-	-
VII	असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		(7,318.10)	898.23
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		-	540.00
	(2) धन कर			-
	(2) आस्थगित कर		(957.16)	240.76
	कुल कर व्यय		(957.16)	780.76
IX	निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(6,360.94)	117.47
X	बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	37	(61.15)	-
XI	बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	-
XII	कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।		(61.15)	-
XIII	अवधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)		(6,422.09)	117.47
	अन्य व्यापक आय			
	(1) निवेश का पुनर्मापन		123.25	0.29
	(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		295.91	(314.15)
	घटाव: वर्तमान कर		-	-
	कम: आस्थगित कर		199.87	(129.30)
XIV	अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		219.30	(184.56)
XV	"अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV)"		(6,202.79)	(67.09)
XVI	परिचालन जारी रखने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 प्रत्येक):			
	(1) बुनियादी/शेयर (INR में)		(1.30)	0.02
	(2) मिश्रित/शेयर (INR में)		(1.30)	0.02
XVII	बंद परिचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 लाख):			
	(1) बुनियादी/शेयर (INR में)		(0.01)	0.00
	(2) मिश्रित/शेयर (INR में)		(0.01)	0.00
XVIII	सतत और बंद संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बुनियादी/शेयर (INR में)		(1.31)	0.02
	(2) मिश्रित/शेयर (INR में)		(1.31)	0.02

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं. : 302081E

एम.सी.कोडाली

पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 मई 2024

यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03594804

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु



31 मार्च, 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

लाख रुपये में

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ	(7,318.10)	898.17
इनके लिए समायोजन:		
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	694.13	644.27
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	1.18	0.47
ब्याज व्यय	1,549.73	857.55
(लाभ)/स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि	(0.61)	(41.87)
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि	-	(14.29)
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	(673.72)	(101.28)
इन्वेंटरी की बिक्री पर लाभ - बंद परिचालन		
ब्याज आय	(349.32)	(135.19)
लाभांश आय	(2,257.75)	(1,934.61)
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है वापस लिखा गया	(0.92)	(92.37)
देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	(72.66)	(298.73)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.56
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	(5.52)	(15.82)
पूँजीगत सब्सिडी पर आस्थगित आय	(6.22)	(7.57)
विनिमय पर लाभ	(7.05)	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	443.61	404.17
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	113.33	147.72
बंद परिचालन से लाभ और हानि	61.39	
असाधारण वस्तुओं के लिए प्रावधान - स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान		
शेड्यूल बैंक के लिए प्रावधान		
स्टॉक/स्टोर अप्रचलन के लिए प्रावधान	0.65	27.62
समायोजन :		
आस्थगित कर में परिवर्तन	757.29	(111.46)
निवेश का पुनर्मापन	123.25	0.29
बीमांकिक लाभ और हानि	295.91	(314.15)
पी एंड एल के विरुद्ध समायोजन	(95.38)	
	571.32	(984.69)
वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों की मात्रा में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(6,746.78)	(86.47)
समायोजन के लिए		
वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	2,970.25	(4,338.63)
सूची	1,823.67	(378.88)
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	1,543.83	9,088.73
	6,337.75	4,371.22
संचालन से उत्पन्न नकदी	(409.03)	4,284.75
कर भुगतान	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	(409.03)	4,284.75
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(2,029.35)	(3,524.90)
पूँजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर है	519.57	(1,131.89)
अचल संपत्तियों की बिक्री		
निवेश की खरीद		

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

लाख रुपये में

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	
लाभांश प्राप्त हुआ	2,257.75	1,934.61
निवेश का निपटान	(76.07)	575.13
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(127.17)	268.98
प्राप्त ब्याज	349.32	135.19
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)	894.05	(1,742.88)
[ग] वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज का भुगतान किया	(1,549.73)	(857.55)
लाभांश दिया		
अल्पावधि उधार (चुकाया गया)/लिया गया और अन्य वित्तीय देनदारियां		
दीर्घकालिक उधार (चुकाया गया)/लिया गया	1.62	68.05
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]	(1,548.11)	(789.50)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क+ख+ग]	(1,063.09)	1,752.37
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)	** 4,957.40	3,205.01
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)	** 3,894.31	4,957.40
[1] उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट "अप्रत्यक्ष" के तहत तैयार किया गया है		
विधि" जैसा कि नकदी प्रवाह पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किया गया है		
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण		
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
बैंकों के पास शेष (नीचे नोट देखें)	1,020.46	1,280.75
हाथ में चेक		
मेरे पास नकदी है	5.38	9.19
हाथ में डाक टिकट और डाक टिकट		
पारगमन में प्रेषण		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक के पास मार्जिन मनी 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के बाद परिपक्व हो रही है		
जमा खाता मार्जिन	2,868.47	3,667.45
	3,894.31	4,957.40
[क] पिछले वर्ष के आकड़ों को जहां भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है		

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं. : 302081E

एम.सी.कोडाली

पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 मई 2024

यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

सुचरिता दास

कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा

निदेशक वित्त

डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 03594804

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु



इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

रुपये लाख में

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय के अन्य मद	
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	406.76	2,741.75	5,902.71	120.45	(290.14)	8,881.53
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
इस वर्ष का मुनाफा	-	-	(6,422.09)	123.25	96.04	(6,202.80)
पी/ एल में समायोजन	-	-	(34.23)	-	-	(34.23)
	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	406.76	2,741.75	(553.61)	243.70	(194.10)	2,644.50

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.नं. : 302081E
एम.सी.कोडाली
पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 मई 2024
यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03594804

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 3

रुपये लाख में

	भूमि	वाहक प्लॉट (नोट 2 देखें)	लीज होल्ड भूमि	निर्माण-बैठकों	सड़कें एवं पुलिया	यंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरेखण	विद्युत प्रतिष्ठान	ल इंस्टालेशन	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	बाड़	कंप्यूटर	कुल	पूँजी कार्य-प्रगति पर है (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.79	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.66	9,357.29	112.99
1 अप्रैल 2023 को अनुमानित लागत	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.67	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.54	9,357.29	112.99
परिवर्धन	-	2,492.89	-	199.78	-	47.08	-	-	-	3.33	5.92	-	-	19.58	2,768.58	2,026.91	0.13
निपटान	-	-	-	-	-	(31.28)	-	-	-	(2.36)	(1.31)	(4.23)	-	-	(39.17)	(2,547.66)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	6.85	-	-	-	-	-	-	-	-	6.85	-	-
पुनर्वर्गीकरण के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	(42.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.36)	-	-
31.03.2024 तक सकल वहन राशि समाप्त	175.38	12,787.40	9.16	5,183.40	95.74	7,018.00	40.64	1,320.67	957.16	232.47	189.79	1,059.87	283.59	352.16	29,705.44	8,836.3	113.12
1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास	-	777.69	3.69	2,812.30	87.01	5,488.97	24.79	997.42	678.86	205.76	159.82	939.78	270.36	298.82	12,745.27	-	102.72
1 अप्रैल 2023 हानि	-	-	-	5.78	-	62.97	15.85	-	-	0.01	-	-	-	-	84.61	1.25	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,551.94	40.63	997.42	678.86	205.78	159.82	939.78	270.36	298.82	12,829.89	1.25	102.72
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन	-	-	-	-	-	(14.41)	-	-	-	(1.05)	(0.93)	-	-	-	(16.40)	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	6.51	-	-	-	-	-	-	-	-	6.51	-	-
संशोधित आरंभिक संचित मूल्यहास 01-04-2023	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,544.04	40.63	997.42	678.86	204.72	158.88	939.78	270.36	298.82	12,820.01	1.25	102.72
प्रारंभिक संचितमूल्यहास	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,544.04	40.63	997.42	678.86	204.72	158.88	939.78	270.36	298.82	12,820.01	1.25	102.72
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क	-	235.34	0.77	86.52	1.08	249.92	-	40.73	31.69	3.30	4.33	30.37	-	9.78	693.82	-	1.52
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	2.94	-	-	-	-	-	(4.02)	-	-	(1.08)	-	-
31.03.2024 को संचित मूल्यहास बंद करना	-	1,013.03	4.46	2,904.60	88.09	5,796.90	40.63	1,038.15	710.55	208.02	163.22	966.13	270.36	308.60	13,512.76	1.25	104.23
31 मार्च 2024 तक निवल वहन राशि	175.38	11,774.37	4.70	2,278.80	7.64	1,221.10	0.00	282.52	246.61	24.45	26.57	93.74	13.22	43.56	16,192.73	8,835.26	8.88
31 मार्च 2023 तक निवल वहन राशि	175.38	9,516.82	5.47	2,165.55	8.73	1,485.77	0.01	323.36	278.30	25.73	25.36	124.32	13.22	33.76	14,181.76	9,356.02	10.28

पूँजी डब्ल्यूआईपी की अवधि

रुपये लाखों में

	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	1,946.31	4,117.72	2,596.64	24.67	8,685.34
संयंत्र और मशीनरी	54.77	47.15	20.80	-	122.72
इमारत	27.20	-	-	-	27.20
वाहन	-	-	-	-	-
कुल	2,028.28	4,164.87	2,617.44	24.67	8,835.26

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता परिचालन की पुनर्वर्गीकृत संपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या-61 में बताया गया है।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	5.00	5.00
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	5.00	5.00
एसोसिएट कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्धरित			
टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4,571,115	164.56	164.56
यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	300,000	27.88	27.88
		-	-
गैर उद्दत			
द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	10,305	0.52	0.52
कतरास झेरियाह कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से विकलांग)	34,028	6.69	6.69
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	57,550	11.79	11.79
वरीयता शेयर (अनउद्दत)			
6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर--वेबफिल लिमिटेड।		-	-
बांड (अनउद्दत)			
वेबफिल लिमिटेड शून्य रेतेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्दत)			
वेबफिल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	415,000	172.81	54.28
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)			
ग्लॉस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
गिलपुखरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
स्टेट्समेन लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	9,966	4.70	4.70
एबीसी चाय श्रमिक कल्याण सेवाएँ (पूरी तरह से अक्षम)			
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड	740	5.95	6.70
इंडिया पेअर पल्प			
इकाइयाँ (उद्दत)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड कैश प्लान	0	-	-
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	0	-	36.19
कम प्रावधान		(61.57)	(61.57)
कुल		343.31	261.72

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता शेष	16.81	16.81
ईएमडी	57.38	57.38
संदेह पूर्ण अग्रिम के लिए कम प्रावधान	(52.87)	
बैंक जमा एक वर्ष से अधिक	-	-
कुल	21.32	74.19



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
विवरण		
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर (एमएटी क्रेडिट पात्रता और कर प्रावधान शामिल हैं)	1,879.11	1,599.07
	-	-
कुल	1,879.11	1,599.07

नोट 7 अन्य गैर-चालू संपत्तियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुपर एनुएशन फंड के लिए परिसंपत्तियों की योजना	147.06	147.06
यूएनएसईसी. रिडेम नॉन कन्व. बांड परिपक्व हो गया है और भुनाया नहीं गया है	195.00	295.00
कुल	342.06	442.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कच्चा माल	899.57	1,119.22
कार्य प्रगति पर है	825.13	1,073.03
तैयार वस्तु	614.73	1,516.61
भण्डार एवं पुर्जे	824.58	1,305.63
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	10.73	5.15
कतरन	0.00	40.82
अर्द्ध - निर्मित सामान	251.91	251.91
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल सूची	3,430.29	5,316.00

नोट: चाय इन्वेंटरी के मामले में, 31.03.2024 तक केवल पूरी तरह से संसाधित चाय की वस्तु को तैयार वस्तु के अंतर्गत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान निवेश

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया जाता है		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में	0.35	0.35
6% सह-प्रतिदेय प्रीफ़ शेयर-वेबफ़िल	-	-
	-	-
कुल	0.35	0.35



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
व्यापार प्राप्तियां	11,244.70	12,667.93
	-	-
कम: संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए भत्ता	1,250.77	852.71
कुल प्राप्य	9,993.93	11,815.22

2023-2024 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	7,470.53	552.20	1,346.64	384.05	240.51	9,993.93
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है				24.95	1,225.82	1,250.77
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						-
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
कुल	7,470.53	552.20	1,346.64	409.00	1,466.33	11,244.70
बिल न किया गया बकाया						
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0			24.95	1225.818	1,250.77
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2022-2023 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	9,754.88	264.57	703.77	202.99	889.01	11,815.22
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		395.06		8.39	449.25	852.71
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
कुल	9,754.88	659.63	703.77	211.38	1,338.27	12,667.93
बिल न किया गया बकाया						
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	395.06	0	8.39	449.25	852.7
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) बैंकों के साथ शेष		
(1) बैंकों के पास अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,020.46	1,280.75
(ii) 3 महीने से कम जमा खाते में	-	-
(ii) 3 माह से अधिक जमा खाते में	-	-
(ख) चेक, ड्राफ्ट अधिकार में	-	-
(ग) अधिकार में डाक शुल्क और स्टाम्प	0.00	0.00
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) अधिकार में नकदी	5.38	9.19
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	1,025.84	1,289.95

नोट 12 अन्य बैंक शेष

Particulars	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जमा खाता-मार्जिन में	2,868.47	3,667.45
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	2,868.47	3,667.45

नोट 13 ऋण

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	-	-
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	0.44	0.44
संदिग्ध	120.41	120.41
	120.85	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
		0.44
कुल	0.44	0.44



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	-	-
जमा		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	-
अन्य अग्रिम नकद में वसूली योग्य		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
ऋण	-	-
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
नाबार्ड के पास जमा	-	-
ईएमडी/एसडी	426.72	469.57
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	52.87
	426.72	416.70
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	139.15	112.16
नाबार्ड जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राय	-	-
	-	-
कुल	565.87	528.86

नोट 15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ शेष	1,669.80	1,727.94
स्टाफ को अग्रिम	41.85	803.93
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	422.75	463.09
	-	-
अन्य अग्रिम नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य	-	-
अच्छा माना जाता है	1,865.47	2,790.11
संदिग्ध माना जाता है	366.67	366.67
	2,232.13	3,156.78
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	366.67	366.67
	1,865.47	2,790.11
अन्य प्राय	-	-
	-	-
कुल	3,999.86	5,785.07

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बिक्री के लिए रखे गए हैं या मालिकों को वितरण के लिए रखे गए हैं।

रुपये लाख में

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	इमारत	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विदूत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल रु	हूतान-जिबल संपत्ति	कुल	2023-24 लाख रुपये में	2022-23 लाख रुपये में
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,349.21	-	4,349.21	-	4,349.21	0.04	0.04
परिवर्धन										-				
निपटान/समायोजन				-				4,349.21		4,349.21	-	4,349.21	0.04	
पुनर्वाकृत संपत्ति	-	-	-	4,236,239.83	-	-	-	-	-	4,236,239.83	-	4,236,239.83	42.36	
31.03.2024 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	4,236,239.83	-	-	-	0.00	-	4,236,239.83	-	4,236,239.83	42.36	0.04

नोट 1: चालू वर्ष के दौरान बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को नोट संख्या 62 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पुनर्वाकृत किया गया है।

नोट 17: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अधिकृत:		-
सामान्य शेयर		-
55,00,00,000 रु. 2/- प्रत्येक	11,000.00	11,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त :		-
सामान्य शेयर		-
48,89,50,978 रु. 2/- प्रत्येक	9,779.02	9,779.02
कुल	9,779.02	9,779.02

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर हैं

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 2 रुपये अंकित मूल्य)	"कुल शेयरों का %"	अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है	-	-	-

2. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

	शेयर की संख्या	"राशि (रूपये लाख में)"
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	488,950,978	9,779.02
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
31.03.2024 को समापन शेष	488,950,978	9,779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक ही वर्ग यानी इक्विटी शेयर हैं।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
संपत्ति कोष		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य आरक्षित	-	-
	-	-
बांड मोचन रिजर्व		
(क) बांड मोचन आरक्षित	-	-
	-	-
पूंजीगत संपत्तियों के लिए केंद्र/राज्य सब्सिडी		
	-	-
	-	-
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2,741.75
	-	-
प्रतिधारित कमाई		
शुरूआती शेष	5,902.70	5,785.23
जोड़- लाभ	(6,422.09)	117.48
पी/एल के विरुद्ध समायोजन	(34.23)	-
	(553.61)	5,902.73
अन्य व्यापक आय		
शुरूआती शेष	(169.69)	8.18
जोड़- लाभ	219.30	(184.56)
ओसीआई के विरुद्ध समायोजन	-	6.70
अन्य व्यापक आय	49.60	(169.69)
कुल	2,644.50	8,881.52

नोट 19 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	-
पंजाब नेशनल बैंक से	235.00	586.11
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	141.51	-
डब्ल्यूबी बिक्री कर ऋण	-	-
इलाहाबाद बैंक से कार ऋण	-	-
	-	-
कुल गैर-चालू उधार	376.51	586.11

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	14.04	18.91
कुल	42.84	47.71

नोट 21 प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,572.24	2,306.95
छुट्टी	876.04	909.35
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति एवं पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	108.23	106.59
बिक्री कर के लिए (सी-फॉर्म)	5.25	5.25
अन्य के लिए	6.77	6.77
कुल	3,575.03	3,341.41

नोट 22 अन्य गैर चालू देनदारियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्रोपण सब्सिडी) से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व	34.86	663.85
स्वच्छ मिशन के लिए सरकारी सब्सिडी	4.50	-
"पूँजीगत संपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	639.66	38.93
कुल	679.02	702.78



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 23 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	2,180.84	1,503.92
पंजाब नेशनल बैंक	3,692.10	3,028.03
इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)	873.63	858.65
बैंक ऑफ बड़ौदा	-	(4.47)
आईसीआईसीआई बैंक	2,899.85	2,899.85
करूर वैश्य बैंक	873.50	1,112.56
अन्य	490.46	
कुल उधार	11,010.38	9,398.53

नोट 24 व्यापार एवं अन्य देय

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	2,542.78	2,076.07
ii) अन्य	5,188.99	8,317.37
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कुल	7,731.77	10,393.44

31.03.2024 को लेनदारों की अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,444.06	45.76	30.92	22.04	2,542.78
ii. अन्य	2,831.02	1,472.73	21.08	864.16	5,188.99
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	5,275.08	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77
बिल न किया गया बकाया	0	0	0	0	0
कुल	5,275.08	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

31.03.2023 तक लेनदारों की उम्र बढ़ना

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,076.07	-	-	-	2,076.07
ii. अन्य	7,249.33	-	99.18	968.85	8,317.37
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	9,325.41	-	99.18	968.85	10,393.44
बिल न किया गया बकाया					
कुल	9,325.41	-	99.18	968.85	10,393.44

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
सुरक्षित सावधि ऋण		
बैंक ऑफ बड़ौदा से		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	4.86	4.49
अर्जित ब्याज और उधार पर देय		
अनुसूचित बैंकों से		
अन्य से	0.80	0.40
गार्डन में जमा करें	-	-
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	273.51	324.08
अन्य	5,228.46	3,676.11
कुल	5,507.64	4,005.08

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	
अन्य	1,293.82	1,458.95
वैधानिक प्राधिकारियों को देय	3,383.80	2,320.41
कुल	4,677.61	3,779.37



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य सामग्री के लिए	901.99	842.49
कैपिटल डब्ल्यूआईपी के लिए	-	-
आय कर के लिए	-	-
बकाया वेतन के लिए	12.90	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी हेतु	616.49	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण हेतु	61.28	-
अवकाश नकदीकरण के लिए	162.40	116.53
वारंटी के लिए	8.14	4.54
मेडिकल के लिए	177.68	173.03
अन्य	49.46	49.34
वेबफ़िल बॉन्ड के लिए	65.12	-
विद्वत शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस वसूली योग्य के लिए	1.02	1.02
वसूली योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	2,123.74	1,254.24

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
उत्पादों की बिक्री	30,126.39	37,085.07
कम: व्यापार और अन्य छूट	-	-
कम: बिक्री पर जीएसटी	-	-
उत्पादों की बिक्री	30,126.39	37,085.07
	-	-
सेवाओं की बिक्री	402.13	119.15
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	44.65	-
- चाय बोर्ड सब्सिडी	226.52	7.48
-चाय अपशिष्ट बिक्री	56.20	-
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	-	-
अब दायित्व की आवश्यकता नहीं है	14.70	71.07
स्क्रैप की बिक्री	114.81	120.84
रॉयल्टी	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
चाय की बिक्री	-	-
निरंतर परिचालन से कुल राजस्व	30,985.40	37,403.60

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
ब्याज आय (सकल)	250.52	135.19
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	5.52	15.82
किराया(सकल)	488.91	468.50
लाभांश आय	-	-
-एसोसिएट कंपनी से	2,148.42	1,931.80
-अन्य से	109.33	2.81
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	14.29
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.61	41.87
रॉयल्टी	-	-
स्क्रेप की बिक्री	-	12.76
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को बढ़ा में रखने की आवश्यकता नहीं है	57.96	227.66
अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	0.92	92.37
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	-	-
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	673.72	101.28
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
विनिमय पर लाभ	7.05	-
वाईएसएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
पूँजीगत सन्धिडी पर विलंबित आय	6.22	7.57
विविध रसीदें सामान्य खर्च	8.42	-
अन्य	109.67	123.36
कुल	3,867.26	3,175.27

नोट 30 - कच्चे माल और उपभोग किए गए घटक की लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
सामग्री, घटक, पैकिंग सामग्री और ढीले उपकरण	10,304.50	13,213.44
कुल	10,304.50	13,213.44

नोट 31 - तैयार माल और कार्य-प्रगति की इन्वेंटरी में परिवर्तन

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
इन्वेंटरी करीब		
तैयार माल	614.73	1955.96
विप	1077.12	886.26
कुल	1691.85	2,842.21
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
तैयार माल	1516.61	689.67
विप	1325.02	1432.34
कुल	2,841.63	2122.01
इन्वेंटरी में बदलाव	1149.78	(720.20)



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
वेतन और मजदूरी	17,004.14	14,365.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	3,009.90	2,325.75
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,635.30	1,456.59
कम: पूंजीगत कार्यों, मरम्मत कार्यों आदि पर व्यय।	27.79	34.43
कुल	21,621.54	18,113.05

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	694.13	644.27
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	1.18	0.47
कुल	695.31	644.74

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	1,188.43	769.75
- सरकारी विभागों को	-	2.80
- बॉन्डधारकों के लिए		
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	245.79	85.00
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	115.52	141.90
कुल	1,549.73	999.45

नोट 35 - अन्य व्यय

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	-	-
बिजली और ईंधन	2,595.23	2,919.21
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	490.21	188.60
किराया (निवल)	129.11	95.94
मरम्मत और रखरखाव:		
- इमारतें	147.61	219.38
- संयंत्र और मशीनरी	191.53	146.25
- अन्य	40.64	47.70
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	219.99	247.13
अनुसंधान एवं विकास व्यय	79.01	37.96
बीमा	50.76	52.20
दरें और कर	38.58	28.84
उत्पाद शुल्क / जीएसटी	3.76	-
चाय पर उपकर	-	-
हरी पत्ती उपकर	-	-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
टेलीफोन एवं डाक शुल्क	25.00	16.80
ब्रोकरेज का कमीशन	155.47	182.59
बैंक शुल्क	16.41	6.72
बिक्री का खर्च:		
- विक्रय एजेंट का कमीशन	-	-
-डिलीवरी और माल ढुलाई	749.02	690.11
-अन्य	12.15	5.40
परिसमाप्त हर्जाना और जुर्माना आदि।	-	62.83
सुधार/प्रतिस्थापन	3.60	2.23
अशोध ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	0.84
विविध शेष बट्टे खाते में डाल दिये गये	-	-
विज्ञापन	21.12	18.55
सेवानिवृत्ति निधि के लिए अतिरिक्त योजना परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
प्रावधान करना:		
-संदिग्ध ऋण	443.61	404.17
-संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	113.33	147.72
-निवेश के मूल्य में कमी	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य खाता पीएफ	-	-
-वसूली योग्य विदत्त शुल्क		
- एनएससी		
-स्टॉक/भंडार अप्रचलन	61.39	27.62
- एलडी	-	365.06
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- केओपीटी किराया	-	-
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी	-	-
- शेड्यूल बैंक	0.65	3.23
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक:		
-लेखा परीक्षक के रूप में	8.80	17.59
-कर लेखा परीक्षण के लिए	-	-
-अन्य सेवाओं के लिए	10.66	9.45
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	1.58	0.87
-कराधान मामले के लिए	-	-
अंतर डिवीज़न खर्च चाय	-	-
जीडी- सामान्य व्यय	-	-
सुरक्षा सेवा शुल्क	126.17	206.58
बांड पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	65.12	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर हानि	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.66	0.56
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	2.94	152.00
विविध व्यय	1,045.80	1,126.01
कुल	6,849.90	7,430.16



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 36 - असाधारण वस्तुएँ

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
वीआरएस ए/सी वेतन	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट 37 - बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
I) संचालन से राजस्व		
II) अन्य आय		
III) कुल आय (I+II)		
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत		
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर		
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय		
(घ) उत्पाद शुल्क		
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन		
(च) वित्त लागत		
(छ) अन्य व्यय	61.15	-
IV) कुल व्यय	61.15	-
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	(61.15)	-



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 38 प्रति शेयर आय

रु. (लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्रति इक्विटी शेयर आय		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ उपलब्ध है	(6620.73)	117.47
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल कमाई	(1.31)	0.02
(ख) मिश्रित		
(i) मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर	Nil	Nil
(ii) प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय (रुपये)	(1.31)	0.02

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

- [a] **छुट्टी का दायित्व:** कंपनी कुछ नियमों के अधीन छुट्टी के नकदीकरण या वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टियां जमा करने के हकदार हैं। बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। योजना वित्तविहीन है, 31 मार्च, 2024 को अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की राशि 1038.43 लाख रुपये (1025.88 लाख रुपये) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में प्रस्तुत की गई है।
- [b] **चिकित्सा लाभ:** घरेलू उपचार के लिए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ तीन साल के ब्लॉक के लिए है और यदि संबंधित कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठाता है तो उसके बाद वार्षिक रूप से समाप्त हो जाएगा। चिकित्सा लाभ की ऐसी घोषित मात्रा के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के बजाय वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि पात्र राशि अगले ब्लॉक के दौरान तय रहेगी। 31 मार्च, 2023 तक देनदारी की कुल राशि 177.68 लाख रुपये (173.03 लाख रुपये) को खातों में लिया गया है।

[39.2] रोजगार के बाद की बाध्यता- परिभाषित लाभ योजनाएं:

[a] **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में योगदान करना है। योजना वित्त पोषित है।

[b] **पेंशन फंड:-** कंपनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन फंड है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हालांकि, 31.03.23 तक इस फंड का कोई पात्र सदस्य नहीं है, वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य शून्य है।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7329.70	1025.88	0.00	6622.56	1013.49	0.00
वर्तमान सेवा लागत	407.01	168.65	0.00	368.02	120.97	0.00
ब्याज व्यय	521.35	76.90	0.00	468.36	75.56	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्च्यूरियल (लाभ) / हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	(249.53)	0.00	0.00	259.83	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	7.60	0.00	0.00	71.22	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(254.09)	(240.59)	0.00	(389.07)	(255.36)	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	7754.45	1038.44	0.00	7329.70	1025.88	0.00

रूपए लाख में

(ख) उचित मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के शुरुआत और समापन शेष का मिलान						
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5022.75	0.00	147.07	5095.68	0.00	147.07
ब्याज आय	367.16	0.00	0.00	370.46	0.00	0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	46.38	0.00	0.00	(54.32)	0.00	0.00
योगदान	0.00	240.59	0.00	0.00	255.36	0.00
लाभ का भुगतान	(254.09)	(240.59)	0.00	(389.07)	(255.36)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपए लाख में

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7754.45	1,038.44	0.00	7329.70	1,025.88	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियां	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2572.24)	(1038.44)	147.07	(2306.95)	(1025.88)	147.07

रुपए लाख में

	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	(295.91)	0.00	0.00	314.15	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	407.01	168.65	0.00	368.02	120.97	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	154.19	76.90	0.00	97.91	75.56	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00	7.60	0.00	0.00	71.22	0.00
कुल खर्च की पहचान	561.20	253.15	0.00	465.92	267.75	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	7.09%	7.09%		7.31%	7.31%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.09%	N.A.		7.31%	N.A.	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

रुपए लाख में

(छ) गोपनीयता विश्लेषण								
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव			
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(144.19)	(135.79)	0.50% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	298.92	281.95
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	149.42	140.67	0.50% की कमी	रुपये की कमी	(284.35)	(266.24)
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपय लाख में

(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01

[39.3] रोजगार पश्चात दायित्व:

परिभाषित अंशदान योजना:- कंपनी ने अंशदान योजना अर्थात पीएफ और ईएसआई को परिभाषित किया है। परिभाषित अंशदान योजना की अवधि के दौरान पहचाने गए व्यय इस प्रकार हैं:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
पीएफ में योगदान	3009.30	2325.26
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.15	0.49

नोट 40 आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(क) आकस्मिक देनदारियाँ		
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	552.94	496.20
विवादित उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	513.56	513.59
विवादित बिक्री कर/वैट	2051.11	2059.16
विवादित आयकर	1922.00	1911.11
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1094.95	1717.96
सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए बैंक को दी गई अन्य गारंटी।	-	-
अप्रयुक्त साख पत्र	1601.08	2070.37
(ग) प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.08	74.95

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

रु. (लाख में)

SI.No.	Particulars	मात्रा	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	बकाया मूल राशि एवं ब्याज यथावत		
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	2098.98	2076.07
	ii) मूल राशि 45 दिनों से अधिक	443.87	-
	iii) उस पर ब्याज का मुकदमा	-	-
2	नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि		
3	देय और देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)।		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि।	17.50	
5	आगे के ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है।		

नोट 42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:-वर्ष के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई

नोट 43 संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों की सूची

सहायक

यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

एसोसिएट्स

टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री अनंत मोहन सिंह	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (26/12/2023 से)
श्री संजय भट्टाचार्य	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31/08/2023 को सेवानिवृत्त)
श्री के. मोहन	-	निदेशक (कार्मिक) (07/03/2024 को सेवानिवृत्त)
श्री आर एस मनकू	-	निदेशक (योजना)
श्री संजय वर्मा	-	Director (Finance) (w.e.f 29/11/2023)
श्रीमती सुचरिता दास	-	कंपनी सचिव

ख. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

संबंधित पार्टि का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
माल की खरीदी		0.04	0.04	-	-	-
माल की बिक्री		38.72	38.72	-	65.44	65.44
लाभांश प्राप्त हुआ		2148.42	2,148.42	-	1931.8	1931.8
किराया प्राप्त हुआ		445.14	445.14	-	354	354
व्यय की प्रतिपूर्ति		206.85	206.85	-	-	-
व्यय की वसूली	1.30		1.30	1.00	-	1.00



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

संबंधित पार्टी का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
निदेशक शुल्क प्राप्त हुआ		7.75	7.75	-	-	-
ब्याज खर्च		15.25	15.25	-	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11.18		11.18	9.88	-	9.88
व्यापार प्राप्तियां			0.00	-	-	-
व्यापार देनदारियां			0.00	-	-	-
अग्रिम प्राप्त हुआ		550.00	550.00	-	295	295
अग्रिम वापसी		529.92	529.92	-	295	295
अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ			0.00	-	29.88	29.88
अन्य अल्पकालिक देनदारियाँ		55	55.00	-	5.04	5.04
31 मार्च तक देय राशि,	11.18		11.18	9.88	-	9.88
31 मार्च को देय राशि,		55.00	55.00	-	-	-

नोट 43.1 कंपनी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

रु (लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2023-24	2022-23
श्री संजय भट्टाचार्य	43.95	39.59
श्री अनंत मोहन सिंह	10.53	-
श्री के मोहन	43.19	44.01
श्री राजिंदर सिंह मनकू	42.87	21.17
श्री संजय वर्मा	12.46	-
श्रीमती सुचरिता दास	20.15	19.12

नोट 43.2

निदेशक की फीस से संबंधित खुलासा

रु.(लाख में)

स्वतंत्र निदेशक	2023-24	2022-23
ओम प्रकाश मित्तल	1.08	0.76
सुंदरपाल सिंह	1.03	0.6
नमिता देवी	1.03	0.72
अनिल कुमार गोयल	-	0.54
अनिल कुमार वर्मा	-	0.54
विश्वनाथ गिरिराज	-	0.41

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 44

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण 89.50 लाख रूपये (पिछले वर्ष 80.60 लाख रूपये) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परीक्षण शुल्क	50.76	37.96
टीआरए की सदस्यता	38.74	42.64
कुल	89.50	80.60

नोट 45 आयकर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	-	540.00
पूर्व अवधि के वर्तमान कर के लिए समायोजन		
कुल वर्तमान कर व्यय	-	540.00
आस्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	(268.64)	1,671.58
(कमी)/आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि	(688.52)	(1,430.82)
कुल आस्थगित कर व्यय	(957.16)	240.76
कुल आयकर व्यय	(957.16)	780.76

नोट 45.1

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का सामंजस्य कई गुना हो गया।

(रुपये लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
	कुल	कुल
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	-7318.10	898.23
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	0.00	249.89
इसका प्रभाव:		
स्थगित कर गति	-957.16	240.76
अस्वीकृत व्यय	7096.24	4625.15
अन्य	-7096.24	-4375.26
आयकर व्यय पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया	-957.16	780.76
आयकर की प्रभावी दर पर	13.08	86.92
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई	-957.16	780.76



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 46 आस्थगित कर व्यय

आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2022-23				2021-22			
	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि
स्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई पर मूल्यहास, मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति	3,121.13	(520.11)		2,601.02	4,689.46	(1,568.33)		3,121.13
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00			0.00	0.00	-		0.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	5.50		31.46	36.96	(2.70)		8.21	5.50
संयुक्त उद्यमों में निवेश अन्य								
कुल स्थगित कर दायित्व	3,126.64	(520.11)	31.46	2,637.99	4,686.76	(1,568.33)	8.21	3,126.64
स्थगित कर परिसंपत्तियां:								
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	525.90	581.30	(168.42)	938.78	48.88	339.51	137.51	525.90
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अन्य	-			-	-			-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	447.14	(144.24)		302.90	2,595.73	(2,148.59)		447.14
कुल स्थगित कर दायित्व	973.04	437.06	(168.42)	1,241.69	2,644.62	(1,809.08)	137.51	973.04
विलय के कारण एचसीपीएल की विलंबित कर देयता बढ़ी	2,153.55	(957.16)	199.87	1,396.26	2,042.09	240.76	(129.30)	2,153.55
स्थगित कर देयता संतुलन और विलय	5.75			5.75	5.75			5.75
	2,159.30	(957.16)	199.87	1,402.01	2,047.84	240.77	(129.30)	2,159.30

नोट 47.1

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों और उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो।

नोट 47.2

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान असम और पश्चिम बंगाल कृषि आयकर के संबंध में कोई देयता नहीं है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा उठाए गए नुकसान को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के संबंध में कोई देयता नहीं है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा माफ कर दिया गया है।

नोट 48(क) बिक्री और कच्चे माल की खपत

रु (लाख में)

(i) बिक्री		
वस्तु की श्रेणी	16326.79	21366.18
काली एवं पैकेट चाय	8022.46	10256.56
ट्रान्सफॉर्मर	5776.76	2248.41
औद्योगिक फैन	337.51	119.15
सेवा की बिक्री	65.00	3213.92
अन्य	30528.52	37204.22
कुल (उत्पादों की बिक्री)	37204.22	33435.99

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

(ii) कच्चे माल की खपत और भंडार की खपत		
सामान	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
इस्पात	565.92	917.94
ताँबा	1368.14	391.02
हरी पत्ती	1017.66	835.41
तेल, रसायन आदि	491.92	368.82
अन्य	9769.80	6975.99
कुल	13213.44	9489.18

रु (लाख में)

(ख) आयातित और स्वदेशी कच्चे माल और उपभोग किए गए भंडार का मूल्य				
(i) कच्चा माल	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	कीमत	%	कीमत	%
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	10231.11	100.00	13041.74	100.00
	10231.11	100.00	13041.74	100.00
(ii) भंडार				
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	73.39	100.00	171.70	100.00
	73.39	100.00	171.70	100.00

रु (लाख में)

(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
	31.03.2024 तक	31.03.23 तक
कच्चे माल और घटक	-	-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:	-	-
विदेशी खर्च	0.00	0.00
(ङ) विदेशी मुद्रा में कमाई		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	536.35	2865.39

नोट 49 खंड रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खंड-वार पुनर्मूल्यांकन, परिणाम, संपत्ति और देनदारियां

रु (लाख में)

विवरण	एकल	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[1] खंड राजस्व [प्रत्येक खंड से शुद्ध बिक्री/आय]		
[a] चाय	16,663.00	21,371.92
[b] विदूत-कोलकाता	-	52.14
[c] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	8,078.33	10,342.13
[d] अभियांत्रिकी	6,179.43	5,571.97
[e] आवंटित नहीं की गई	64.62	65.44
कुल	30,985.38	37,403.60
कम: अंतर खंड राजस्व	-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय	30,985.38	37,403.60



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

विवरण	एकल	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[2] खंड परिणाम		
[प्रत्येक खंड से कर और ब्याज से पहले लाभ(+)/हानि(-)]		
[a] चाय	(8,752.31)	(323.13)
[b] विदूत-कोलकाता	(124.62)	(57.27)
[c] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	605.10	493.75
[d] अभियांत्रिकी	1,252.03	872.52
कुल	(7,019.80)	985.87
कम:		
[i] ब्याज	1,549.73	999.45
[ii] अन्य अनुचित व्यय निवल से अप्राप्य आय	(1,251.44)	(911.81)
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	(7,318.10)	898.23
असाधारण आइटम विदूत-कोलकाता	-	-
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	(7,318.10)	898.23
विदूत-कोलकाता के बंद परिचालन से लाभ/(हानि)।	(61.15)	-
कर देने से पूर्व लाभ	(7,379.26)	898.23
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	(957.16)	780.76
कर के बाद लाभ	(6,422.09)	117.47
खंड संपत्ति		
चाय	28,438.63	30,347.54
विदूत-कोलकाता	2,430.06	2,501.96
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	6,938.21	11,178.62
अभियांत्रिकी	7,450.75	6,382.85
अनावंटित कॉर्पोरेट	4,292.43	3,917.52
कुल	49,550.08	54,328.50
खंड देनदारियाँ		
चाय	22,898.54	18,166.27
विदूत-कोलकाता	2,461.38	2,486.74
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	4,340.53	8,172.09
अभियांत्रिकी	3,672.38	3,060.11
अनावंटित कॉर्पोरेट	3,753.73	3,782.75
कुल	37,126.56	35,667.96
नियोजित खंड पूंजी (खंड संपत्ति-खंड देनदारियां)		
चाय	5,540.09	12,181.27
विदूत-कोलकाता	(31.32)	15.22
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	2,597.68	3,006.53
अभियांत्रिकी	3,778.37	3,322.74
अनावंटित कॉर्पोरेट	538.70	134.77
कुल	12,423.52	18,660.54

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2023 तक शेयरधारिता का %
1	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	एवाईसीएल के साथ विलय
2	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
3	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%

नोट 51

स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसआरएस) के अनुसार यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम पर शामिल दो 100% सहायक कंपनियों को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन की संपत्तियों और देनदारियों का लंबित हस्तांतरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त डिवीजनों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज किए गए कंपनी द्वारा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के नाम पर किए गए भुगतान को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। यूल इंजीनियरिंग और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव है।

नोट 52

अन्य प्राप्ति में बिजली शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 85.96 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीकरण योजना, 2001 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 दिनांक 25 फरवरी, 2014 के तहत प्राप्य माना गया है। बंगाल विद्वत् नियम, 1935 के प्रावधानों के तहत बिजली शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि 31 मार्च, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए माफ कर दी जाएगी। हालांकि अत्यधिक सावधानी के तौर पर इसे खातों में प्रदान किया गया है।

नोट 53

मैसर्स वेबफिल लिमिटेड के 295.00 लाख रुपये (पीवाई 295.00 लाख रुपये) (मूल मूल्य 305 लाख रुपये और शून्य के 6% संचयी भुनाने योग्य तरजीही शेयर) के शून्य रेटेड असुरक्षित भुनाने योग्य बॉन्ड (पीवाई 153.30 लाख रुपये) (मूल मूल्य 204.40 लाख रुपये) के संबंध में अधिस्थगन अवधि क्रमशः 21/12/2021 और 01/04/2021 को समाप्त हो गई है। 161.68 लाख रुपये के संचयी तरजीही शेयरों पर लाभांश का हिसाब रखा जाएगा, जब भी उन्हें प्राप्त किया जाएगा, हालांकि, मैसर्स वेबफिल लिमिटेड ने एक चुकौती अनुसूची प्रस्तुत की है, जिसे एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	किश्तें ए/सी वरीयता शेयर	किश्तें ए/सी बांड
2022-23	160 लाख रुपये (*)	————
2023-24	100-120 लाख रुपये (**)	————
2024-25	शेष राशि (***)	140-160 लाख रुपये (***)
2025-26	————	शेष राशि

(*) अप्रैल 2022 में प्राप्त हुआ।

(**) अप्रैल-23 में वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में 110 लाख रुपये (टीडीएस सहित) प्राप्त होने के बाद से इसका प्रभाव तब दिया जा रहा है जब वे प्राप्त होते हैं।

(***) मार्च-24 में 100 लाख रुपये और अप्रैल-24 में 30 लाख रुपये मिले

नोट 54

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के 04/06/2021 के आदेश के बाद 100% सहायक कंपनी, मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों का एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया है।

पूर्ववर्ती हुगली प्रिंटिंग कंपनी की संपत्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक किराए, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसे व्यय को 04/06/2022 से कॉर्पोरेट डिवीजन के तहत दर्ज किया गया है।

नोट 55

कंपनी स्ट्रैप के रूप में घोषित करने और अंततः उसे बिक्री के लिए रखने से पहले एक स्ट्रैप समिति द्वारा व्यक्तिगत वर्तमान या गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के निरीक्षण की प्रथा का पालन करती है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व कंपनी के लिए समग्र रूप से माना जाता है, इकाई/डिवीजन के अनुसार नहीं।

नोट 57

कंपनी उक्त फंड के ट्रस्टियों से दावे की वास्तविक प्राप्ति पर छूट प्राप्त ट्रस्ट फंड में भविष्य निधि योगदान के संबंध में निवेश हानि और समग्र हानि, यदि कोई हो, का हिसाब रखती है।

नोट 58

केपिटल डब्ल्यूआईपी में आईएनडी-एस के अनुपालन में युवा चाय पौधों के पोषण और संबंधित खर्चों में 8741.85 लाख रुपये (2022-23 में 9288.08 लाख रुपये) शामिल हैं।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 59

डुआर्स में तीन चाय बागानों के भूमि पट्टे के नवीकरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 177.66 लाख रुपये की सलामी मांगी है, जिसे एवाईसीएल द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता में उच्च सरकारी प्राधिकरणों के साथ झूट के लिए लिया गया है। एवाईसीएल को कंपनी के पक्ष में इस मुद्दे के निपटान की आशा है, जो सलामी के भुगतान के बिना एवाईसीएल के एक अन्य गार्डन के लिए पट्टे के नवीकरण से भी संकेत है।

चूंकि यह मामला सरकार और अर्ध सरकारी-प्राधिकरणों/स्वायत्त निकाय (जैसा भी लागू हो) से संबंधित है और यद्यपि मांगों की माफी के लिए कंपनी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है, एवाईसीएल ने एक प्रसिद्ध कानूनी सॉलिसिटर फर्म से कानूनी राय प्राप्त की है, जिसके आधार पर नोट संख्या 40 में उल्लिखित कंपनी के खिलाफ दावों में 177.66 लाख रुपये की कुल राशि शामिल है।

नोट 60

कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालांकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़ों को बनाए रखा है, जिनमें देनदारों/लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।

नोट 61

"नोट अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" (नोट 13) के तहत "वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष राशि" में पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली पुनः निधि के लिए 42.97 लाख रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में। इस संबंध में एक दावा पहले ही केंद्रीय भविष्य निधि (पीएफ) अधिकारियों के पास दायर किया जा चुका है, जिन्होंने बदले में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के साथ इसे उठाया है। यह सरकारी विभाग की ओर से देय है, तथापि, प्रचुर सावधानी के तौर पर उपरोक्त राशि खातों में उपलब्ध करा दी गई है।

नोट 62

जैसा कि निदेशक मंडल ने दिनांक 12/11/2022 और 05/01/2023 को अपनी बैठकों में अनुमोदित किया था, इलेक्ट्रिकल कोलकाता संचालन की तीन इकाइयों के विद्वत प्रतिष्ठानों सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, भूमि और भवन के संबंध में, कंपनी को अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और वैकल्पिक उपयोग के लिए भी विचार कर रही है और इसलिए उक्त संपत्ति को संपत्ति के तहत वर्गीकृत किया गया है। संयंत्र उपकरण। प्लांट और मशीनरी के संबंध में चूंकि कंपनी निपटान के लिए नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया में है, इसलिए INDAS 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्ति को पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया था।

लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और नोट 35 "अन्य व्यय" में 2.94 लाख रुपये की संपत्ति के उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा INDAS 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, उन संपत्तियों के संचालन/रखरखाव की लागत को INDAS के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार बंद किए गए परिचालन में प्रस्तुत किया गया है।

नोट 63

चाय नर्सरी और छाया नर्सरी के लिए किया गया व्यय रु. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में होने वाली नई खेती और पुरानी खेती गतिविधियों से संबंधित राशि को अलग करना संभव नहीं है, 31.03.2024 तक उद्यान अग्रिम के तहत क्रमशः 187.92 लाख का हिसाब लगाया गया है। इसका पता केवल 18 महीने की समाप्ति पर ही लगाया जा सकता है।

नोट 64

राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के पार्सल को भौतिक रूप से सौंपे जाने तक अग्रिम खाते भूमि मुआवजे के तहत 287.58 लाख रुपये की राशि रखी गई है।

नोट 65

कंपनी ने निम्नलिखित तरीकों से 01/04/2019 से प्रभावी आईएनडी एएस -116 को अपनाया है: (क)मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते और/या अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और नीचे (बी) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, ऐसे पट्टे की शेष अवधि 01/04/2019 तक है। (ख) असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने, भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर, नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 पट्टेदार को अधिकार का अधिकार प्रदान करती है। अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, उपकरणों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एएस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए।

नोट 66

कंपनी ने 31.03.2024 तक बैंक उधारों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिनके लिए उक्त उधार स्वीकृत किए गए हैं और लिए गए हैं।

नोट 67

कंपनी ने अंतिम कंपनी/वित्तपोषण कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी/प्रतिभूति प्रदान की है।

नोट 68

बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को छोड़कर चूंकि कोई ऋण देने वाला बैंक नहीं है, ऐसे बयान का सवाल ही नहीं उठता।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 69 अन्य विनियामक जानकारी

- (i) ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो कंपनी के नाम पर न हो।
- (ii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- (iii) कंपनी का बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।
- (iv) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान
- (vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिष्टो करेसी या वर्चुअल करेसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है
- (vii) वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है

नोट 70

तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

- [a] ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
- [b] इन खातों के आंकड़ों को निकटतम लाखों रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।
- [c] पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं. : 302081E

एम.सी.कोडाली

पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 मई 2024

यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03594804



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित आईएनडी-एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

राय

- हमने एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे 'होल्टिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसके सहायक कंपनियों (होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी को सामूहिक रूप से 'ग्रुप' कहा जाता है) के साथ मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। इनमें समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है), समेकित इक्विटी में बदलाव का विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (आगे 'समेकित वित्तीय विवरणों' के रूप में संदर्भित)।
- हमारे विचार में और हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप ग्रुप की समेकित स्थिति को सही और निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, और इसका समेकित कुल व्यापक आय (जिसमें हानि और अन्य व्यापक आय शामिल है), इसका समेकित इक्विटी में परिवर्तन और इसका समेकित नकदी प्रवाह दिखाते हैं।

राय के आधार

- हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों के मानकों (SAs) के अनुसार अपनी ऑडिट की। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारे रिपोर्ट के 'संवर्गीय वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां' खंड में किया गया है। हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के तहत संवर्गीय वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और नीचे के अन्य मामलों के खंड के पैरा 16 में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारे राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मामले पर जोर

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- नोट संख्या 59 में, ऋणियों और लेनदारों से बैलेंस पुष्टि प्रमाणपत्रों और पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण, हम आवश्यक प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- नोट संख्या 2.11.3 और नोट संख्या 10 में, कंपनी के पास आयु के आधार पर प्राप्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। कंपनी के 36 महीने से अधिक समय तक बकाया ऋणी निम्नलिखित हैं:

(रु लाख में)

कुल प्राप्य 31.03.2024 की स्थिति	प्राप्य 36 महीने से अधिक	उपलब्ध प्रावधान 31.03.2024 की स्थिति
11,244.70	1,466.33	1,250.77

- नोट संख्या 58: तीन चाय बागानों, अर्थात् बनरहाट, चुनाभुट्टी और हरितालगुड़ी-3 (न्यू डूअर्स के) के लीज़ समझौते को लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के लीज़ के नवीनीकरण के लिए 177.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 177.66 लाख रुपये) की मांग की गई राशि को कंपनी द्वारा "ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त दावे नहीं" के रूप में माना गया है। यह मामला तुरंत हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी की चाय बागानों संचालन के तहत स्वामित्व पर विवाद पैदा करता है।
- नोट संख्या 15: कंपनी के पास पुराने लंबित अग्रिम राशि हैं जो समायोजित नहीं की गई हैं। "अन्य वर्तमान संपत्तियों" के अंतर्गत 3988.68 लाख रुपये की कुल राशि विभिन्न खर्चों के तहत अग्रिम के रूप में दी गई है, जिसके खिलाफ संदेहास्पद अग्रिम राशि के लिए केवल 366.67 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। उपरोक्त के लिए होने वाले नुकसान का आकलन और लेखांकन नहीं किया गया है।
- नोट संख्या 34: कंपनी के लिए विभिन्न महीनों के लिए पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासन शुल्क के जमा करने में देरी हुई। कोई भी जुर्माना/दंड यदि है, तो उसे विचार में नहीं लिया गया और लेखांकन नहीं किया गया है।
- नोट संख्या 62: चाय विभाग में, विभिन्न वर्षों में दी गई एडवांस राशि (बागान) के तहत 187.92 लाख रुपये की चाय नर्सरी पर खर्च की गई राशि को पूंजी और राजस्व में विभाजित नहीं किया गया है। राजस्व मद के गैर-विभाजन के लिए नुकसान पर विचार नहीं किया गया है।

- vii. सहायक कंपनी यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को एमसीए द्वारा अधिसूचित आईएनडी एएस-1 के अनुसार "गोइंग कंसर्न" के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित वर्ष में और हाल के वर्षों में कोई संचालन गतिविधियां नहीं थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे 'वित्तीय विवरणों के नोट्स' में प्रकट नहीं किया गया था, जो भारतीय लेखा मानक-1 से एक विचलन का गठन करता है, जिसे एमसीए द्वारा अधिसूचित किया गया है। एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड से असुरक्षित उधार के लिए भुगतान की शर्तों और देय ब्याज से संबंधित कोई समझौता उपलब्ध नहीं था।

हमारी राय उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

मुख्य ऑडिट मामले

मुख्य ऑडिट मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संवर्गीय वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमने संवर्गीय वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित किया, और इसके आधार पर हमारी राय बनाई। इन मामलों के लिए हम एक अलग राय नहीं प्रदान करते हैं। नीचे वर्णित मामलों के लिए, हमारे ऑडिट ने इन मामलों को कैसे संबोधित किया, इसका विवरण प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	मुख्य ऑडिट मामले	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	<p>राजस्व की मान्यता</p> <p>माल की बिक्री से होने वाला राजस्व (जिसे यहां के बाद 'राजस्व' कहा जाता है) तब मान्यता प्राप्त होता है जब माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और इनाम खरीदार को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। माल की बिक्री से होने वाले राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य विचार की निष्पक्ष मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें रिटर्न या भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट को घटाकर मापा जाता है। राजस्व मान्यता का समय कंपनी के रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है। राजस्व मान्यता को एक प्रमुख ऑडिट मामला और सामग्री गलत विवरण का एक महत्वपूर्ण जोखिम माना गया, क्योंकि राजस्व की मान्यता से संबंधित उक्त जोखिम था।</p>	<p>हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: आईएनडी एएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) के अनुरूप कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का आकलन और परीक्षण किया। सामान्य सूचना और प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया और राजस्व की मान्यता पर नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी के नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। वर्ष के अंत में राजस्व कट-ऑफ पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। वर्ष के अंत के करीब और वर्ष के अंत के बाद दर्ज की गई बिक्री लेनदेन के लिए नमूने के आधार पर सहायक दस्तावेजों का परीक्षण किया। जहां उचित हो, चक्रीय रुझानों के साथ राजस्व की तुलना की, आगे की जांच और परीक्षण किए। आईएनडी एएस 115 में निर्दिष्ट राजस्व के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का आकलन किया।</p>



<p>2.</p>	<p>प्रावधान और संभावित देनदारियाँ कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है, जिनका अंतिम परिणाम आसानी से भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है और जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियों का कारण बन सकते हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित देनदारियों के संबंध में खुलासे को संयोजित आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के नोट नं. 40 में प्रस्तुत किया गया है। विधिक कार्यवाहियों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसमें शामिल राशि और लेखांकन मानकों का उपयोग कर यह निर्धारित करना कि कोई देनदारी प्रदान की जानी चाहिए या संभावित देनदारी के रूप में खुलासा किया जाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होते हैं। इसके लिए प्रावधान के स्तर को निर्धारित करने में निर्णय का उपयोग करना पड़ता है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधान और संभावित देनदारियाँ ठीक से प्रदान नहीं की जा सकतीं या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं की जा सकतीं। इसलिए, इस मामले को एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला माना जाता है।</p>	<p>कानूनी मामलों और संभावित देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने प्रबंधन द्वारा इन प्रावधानों की पहचान के लिए लागू की गई प्रक्रिया पर कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विचार-विमर्श किया। हमने कंपनी/इकाई की कानूनी और वित्तीय टीम द्वारा प्रदान किए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ा। जहां लागू हो, हमने कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह को भी पढ़ा। हमने कंपनी/इकाई की कानूनी और वित्तीय टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की, ताकि कंपनी द्वारा संभावित देनदारी की संभावना, परिमाण और लेखांकन का आकलन किया जा सके। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने रिकॉर्ड किए गए प्रावधानों की राशि की समीक्षा की और संयोजित आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में खुलासों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का उपयोग किया।</p>
<p>3.</p>	<p>आईटी सिस्टम ऑडिट आईटी सिस्टम ऑडिट की अनुपस्थिति में, लेखा/संचालन डेटा की सुरक्षा, आईटी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से डेटा की पुनर्प्राप्ति, और डेटा ट्रांसफर के महत्वपूर्ण स्तरों पर मैनुअल हस्तक्षेप और समेकन के समय उच्च ऑडिट जोखिम उत्पन्न होता है।</p>	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: इस प्रक्रिया का उद्देश्य आईटी सिस्टम ऑडिट की अनुपस्थिति, लेखा/संचालन डेटा में सुरक्षा कमजोरियों, और आईटी आपदाओं के दौरान डेटा पुनर्प्राप्ति तंत्र की कमी से जुड़े ऑडिट जोखिमों को कम करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एसए 701 (स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में प्रमुख ऑडिट मामलों के संचार) के अनुपालन को सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और अखंडता को बढ़ाना है।</p>

<p>4.</p>	<p>लीज़ डीड्स पर पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास कंपनी की लीज़ डीड्स और टाइटल डीड्स के रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रण के अभ्यास की अनुपस्थिति से ऑडिट जोखिम बढ़ जाता है।</p>	<p>इस प्रमुख ऑडिट मामले के जवाब में, हमने बढ़ते ऑडिट जोखिम को दूर करने और पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाईं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन: <ul style="list-style-type: none"> o लीज़ डीड्स और टाइटल डीड्स के रखरखाव पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। o उन नियंत्रण कमियों या कमजोरियों की पहचान की जो बढ़ते ऑडिट जोखिम में योगदान कर रही थीं। 2. वस्तुपरक प्रक्रियाएँ: <ul style="list-style-type: none"> o लीज़ डीड्स और टाइटल डीड्स की मौजूदगी, पूर्णता और सटीकता की पुष्टि के लिए वस्तुपरक परीक्षण किया। o सहायक दस्तावेजों जैसे लीज़ समझौते, संपत्ति शीर्षक, और संबंधित पत्राचार का परीक्षण किया। o रिकॉर्ड की गई लीज़ और टाइटल जानकारी की बाहरी स्रोतों और कानूनी दस्तावेजों के साथ संगति की पुष्टि की। <p>हम एसए 701 के अनुसार अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इस प्रमुख ऑडिट मामले को संप्रेषित करने का इरादा रखते हैं। यह संप्रेषण हितधारकों को लीज़ डीड्स और टाइटल डीड्स के रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण ऑडिट जोखिमों, हमारे ऑडिट दृष्टिकोण, और वित्तीय विवरणों के लिए इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।</p>
<p>5.</p>	<p>कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का मूल्यांकन परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन में गणचिकित्सीय (एक्चुरियल) धारणाओं पर आधारित होता है, जिसमें दायित्व को मापना, योजनाबद्ध संपत्तियों का मूल्यांकन करना और संबंधित गणचिकित्सीय लाभ या हानि की गणना करना शामिल है। दायित्व का आकलन करने के लिए भविष्य की सभी नकदी प्रवाहों को वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। कंपनी के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण अनुमान जैसे की छूट दरें, मुद्रास्फीति दरें, वेतन वृद्धि और मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। कंपनी उपयुक्त धारणाओं के चयन और दायित्वों की गणना में सहायता के लिए बाहरी गणचिकित्सीय विशेषज्ञों को नियुक्त करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम आकलन का हिस्सा होता है और परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन उच्च स्तर के अनुमान पर निर्भर होता है क्योंकि यह धारणाओं पर आधारित होता है। (संबंधित जानकारी के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स 39.2 को देखें।)</p>	<p>मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ: हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • लागू मार्गदर्शन नोट के अनुसार महत्वपूर्ण धारणाओं (छूट दरें, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया गया। • कंपनी के गणचिकित्सीय विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता, और अखंडता का आकलन किया गया। • गणचिकित्सीय धारणाओं की समीक्षा और अनुमोदन, बाहरी गणचिकित्सीय विशेषज्ञ को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए डेटा के साथ मेल खाने वाले नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। • प्रबंधन के साथ परिभाषित लाभ योजना के कारण होने वाले दायित्व के बारे में चर्चा की गई और व्यवसाय को समझने के लिए धारणाओं में किसी भी असंगति का आकलन किया गया। • नोट्स में आईएनडी एस 19 के अनुसार कंपनी के खुलासे की पर्याप्तता की जांच की गई। <p>लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा किए गए धारणाएं उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं।</p>

संविधानिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी



कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें संविधानिक वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट सहित निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की तिथि तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इसके बाद हमें उपलब्ध कराई जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

संविधानिक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी संविधानिक वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक रूप से गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

संविधानिक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन की जिम्मेदारियां

- होल्टिंग कंपनी के निदेशक मंडल इन संविधानिक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी आवश्यकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है, जो समूह और इसके सहयोगी की एकीकृत वित्तीय स्थिति, एकीकृत वित्तीय प्रदर्शन, एकीकृत नकदी प्रवाह और इकट्टी में परिवर्तन का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह जिम्मेदारी उन कंपनियों के निदेशक मंडल की है जो समूह और उसके सहयोगी में शामिल हैं। यह निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव, समूह और उसके सहयोगी की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और आवेदन, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता के लिए प्रासंगिक हैं, और जो संविधानिक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग किए गए हैं, जो उपरोक्त अनुसार होल्टिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए हैं।
- संविधानिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में, समूह और उसके सहयोगी की जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए समूह और उसके सहयोगी की संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं, लागू होने पर जारी रहने से संबंधित मामलों का खुलासा करना और जारी रहने के आधार पर लेखांकन का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह को समाप्त करने या संचालन को समाप्त करने का नहीं होता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता है।
- समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

- हमारे उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण एकीकृत वित्तीय विवरण सामग्री त्रुटियों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। पर्याप्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा सामग्री त्रुटि का पता लगाएगी। त्रुटियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, वे उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है जो इन एकीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाते हैं।
- एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:
 - सामग्री त्रुटियों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन: एकीकृत वित्तीय विवरणों में, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, सामग्री त्रुटि के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों का जवाब देने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री त्रुटि का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना: लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर भी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि होल्टिंग कंपनी के पास एकीकृत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता है या नहीं।

- लेखांकन नीतियों और आकलन का मूल्यांकन: प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमान और संबंधित प्रकटीकरणों की उचितता का मूल्यांकन करते हैं।
 - "वर्तमान चिंता" के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष: प्रबंधन द्वारा "वर्तमान चिंता" के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है या नहीं जो समूह और उसके सहयोगी की "वर्तमान चिंता" के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बाध्य होते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ समूह और उसके सहयोगी को "वर्तमान चिंता" के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
 - वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन: एकीकृत वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि एकीकृत वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।
 - पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना: समूह और उसके सहयोगी के भीतर की संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं ताकि एकीकृत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके। हम उन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं जो एकीकृत वित्तीय विवरणों में शामिल हैं और जिनके स्वतंत्र लेखा परीक्षक हम हैं। उन अन्य संस्थाओं के लिए जो एकीकृत वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहते हैं।
6. हम होल्लिंग कंपनी और अन्य संस्थाओं के लिए जो एकीकृत वित्तीय विवरणों में शामिल हैं और जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, उन लोगों के साथ लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय, और लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जो हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानी है।
 7. हम उन लोगों को यह भी जानकारी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा करते हैं।
 8. जिन मामलों के बारे में हमने संवाद किया है, उनमें से हम उन मामलों को चुनते हैं जो वर्तमान वर्ष के एकीकृत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले बनते हैं। हम इन मामलों को अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वर्णित करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है, या जब अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संचारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

9. जैसा कि कंपनियों (लेखक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("CARO 2020") के पैरा 3(xxii) द्वारा आवश्यक है, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के तहत जारी किया गया है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इन एकीकृत वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के एकीकृत वित्तीय विवरणों के संबंध में जारी किए गए उनके CARO 2020 रिपोर्ट में किसी भी योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों को शामिल नहीं किया गया है।
10. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम, जहां तक लागू होता है, रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a. हमने उपरोक्त एकीकृत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सबसे अच्छे हैं।
 - b. हमारी राय में, उपरोक्त एकीकृत वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों रखी गई हैं, जैसा कि इन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है।
 - c. इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत एकीकृत बैलेंस शीट, एकीकृत लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), एकीकृत इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और एकीकृत नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों और रिकॉर्डों से मेल खाते हैं जो एकीकृत वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से रखे गए हैं।
 - d. हमारी राय में, उपरोक्त एकीकृत वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट है।
 - e. होल्लिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे होल्लिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दर्ज किया गया और भारत में शामिल इसकी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, होल्लिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2024 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।



- f. समूह के एकीकृत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट Annexure A में दी गई है।
- g. कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- i. एकीकृत वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक लंबित मुकदमों का समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हो, का खुलासा किया गया है। एकीकृत वित्तीय विवरणों के नोट 37(ए) का संदर्भ लें।
- ii. समूह और इसके एसोसिएट को 31 मार्च, 2024 तक किसी भी लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत कोई प्रावधान मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसे दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण संभावित हानि नहीं थी। समूह और इसके एसोसिएट के पास 31 मार्च, 2024 तक कोई भी डेरिवेटिव अनुबंध नहीं था।
- iii. होल्डिंग कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली राशि में कोई देरी नहीं हुई है। होल्डिंग कंपनी के एसोसिएट, जो भारत में शामिल हैं, के पास 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली कोई भी राशि नहीं थी।
- iv. (a) होल्डिंग कंपनी और इसके एसोसिएट, जो कि भारत में शामिल कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसे एसोसिएट के अन्य लेखा परीक्षकों को क्रमशः यह प्रतिनिधित्व दिया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार और जैसा कि एकीकृत वित्तीय विवरणों में नोटों में बताया गया है, होल्डिंग कंपनी या ऐसे एसोसिएट द्वारा या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति/इकाई (इंटरमीडियरी) को उधार, निवेश, या अग्रिम (चाहे वह उधार की गई राशि, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से हो) नहीं दी गई है, जिसमें यह समझ हो, चाहे वह लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि इंटरमीडियरी सीधे या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों में निवेश करेगा जिन्हें किसी भी प्रकार से होल्डिंग कंपनी या ऐसे एसोसिएट द्वारा या उनकी ओर से पहचाना गया हो (अल्टीमेट बेनिफिशियरी), या अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगा।
- (b) होल्डिंग कंपनी और इसके एसोसिएट, जो कि भारत में शामिल कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसे एसोसिएट के अन्य लेखा परीक्षकों को क्रमशः यह प्रतिनिधित्व दिया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार और जैसा कि एकीकृत वित्तीय विवरणों में नोटों में बताया गया है, होल्डिंग कंपनी या ऐसे एसोसिएट को किसी भी व्यक्ति/इकाई से, जिसमें विदेशी इकाइयाँ भी शामिल हैं ("फंडिंग पार्टियाँ"), कोई भी राशि (जो कि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें यह समझ हो, चाहे वह लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी या ऐसे एसोसिएट द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में निवेश किया जाएगा, जिन्हें किसी भी प्रकार से फंडिंग पार्टी द्वारा या उनकी ओर से पहचाना गया हो ("अल्टीमेट बेनिफिशियरी"), या अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान की जाएगी।
- (c) हमारे द्वारा और उन परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित मानी गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, और उन प्रक्रियाओं के आधार पर जो एसोसिएट के ऑडिटर्स द्वारा की गई थीं, जो कि भारत में शामिल कंपनी है और जिसके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, हमारे या अन्य ऑडिटर्स के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसने हमें या अन्य ऑडिटर्स को यह विश्वास दिलाया हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत किए गए प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है।
- v. होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया।
- vi. जैसा कि कंपनियों (खाते) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3(1) के उपबंध में उल्लेखित है, जो प्रत्येक लेन-देन का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने, पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एडिट लॉग बनाने के साथ-साथ उस तारीख को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है जब ऐसे परिवर्तन किए गए थे और यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान समूह कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होता है। वर्तमान में, ऑडिट ट्रेल केवल नकद और बैंक लेन-देन के मामले में लागू किया गया है, न कि सभी लेन-देन के लिए। इसलिए, कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (g) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू होती है।
11. होल्डिंग कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमोदनों के अनुसार किया है। अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधान केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग भारत में शामिल होल्डिंग कंपनी के एसोसिएट पर लागू नहीं होती है।



अन्य मामले:

12. हमने समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल 2 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 को कुल संपत्ति ₹5,786 और शुद्ध संपत्ति ₹(13,94,499) को दर्शाते हैं। वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने पर कुल राजस्व ₹1,800 और कुल व्यापक आय (लाभ / हानि और अन्य व्यापक आय सहित) ₹(1,29,460) और वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने पर नकदी प्रवाह (शुद्ध) ₹0 रहे, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में माना गया है। समेकित वित्तीय परिणामों में समूह का शुद्ध संपत्ति में हिस्सा ₹(13,94,499) 31 मार्च, 2024 तक और समूह का कुल व्यापक आय में हिस्सा ₹(1,29,460) वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने पर शामिल है, जो एक एसोसिएट से संबंधित है, जिसके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का ऑडिट हमने नहीं किया है। ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट हमें अन्य लेखा परीक्षकों / प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई हैं और समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और एसोसिएट के संबंध में राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और पैराग्राफ 10 में वर्णित हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।
उपरोक्त मामले के संबंध में, अन्य लेखा परीक्षकों के कार्य और रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर हमारे निर्भरता के संदर्भ में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
13. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित वार्षिक वित्तीय परिणाम विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। ये परिणाम समूह और इसके एसोसिएट के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं और इन्हें उनके साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिन पर हमने 29 जुलाई, 2024 की तारीख वाली अपनी रिपोर्ट में बिना किसी संशोधन के ऑडिट राय जारी की है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.05.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
पार्टनर
सदस्यता संख्या -056514
(यूडीआईएन: 24056514BKAUGV5722)

परिशिष्ट A स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

सदस्यों के लिए एक ही तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 19(f) में संदर्भित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत।

राय

1. एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे 'होल्टिंग कंपनी' कहा गया है) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन में, हमने होल्टिंग कंपनी और इसके एसोसिएट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो भारत में निगमित एक कंपनी है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए

2. होल्टिंग कंपनी और उसके एसोसिएट के संबंधित निदेशक मंडल, जिन्हें अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में रिपोर्टिंग करना आवश्यक है, जो कि भारत में निगमित कंपनी है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("ICAI") द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में उल्लिखित है। इन जिम्मेदारियों में व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों का सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी होल्टिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो हमारे ऑडिट पर आधारित है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमारे ऑडिट का संचालन किया। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह मांग करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट का योजना बनाएं और उसे लागू करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।
4. हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी संचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझने, सामग्री कमजोरियों के जोखिम का आकलन करने, और आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए हमारे ऑडिट में प्रक्रियाओं का चयन शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि का जोखिम आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।
5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य होल्टिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे ऑडिट राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

6. एक कंपनी के आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए आर्थिक विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हो। एक कंपनी के आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो कि उचित विस्तार में, कंपनी के लेनदेन और संपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी के प्राप्ति और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किया जा रहा है; और (3) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाया जा सके, जो कि आर्थिक विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

7. आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन से बचने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भविष्य के

समयावधियों के लिए आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन की संभावनाएं इस जोखिम के अधीन हैं कि आर्थिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री में गिरावट हो सकती है।

राय

8. हमारे विचार में, होलिंग कंपनी और इसके एसोसिएट, जो कि भारत में निगमित एक कंपनी है, के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, आर्थिक विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के रूप में आर्थिक विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जैसा कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए।

अन्य मामला

9. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट का आधार उन ऑडिटर्स की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है, जो ऐसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर आधारित है, जो भारत में निगमित है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.05.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
पार्टनर
सदस्यता संख्या -056514
(यूडीआईएन: 24056514BKAUGV5722)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक B**हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 8(2)(एफ) में संदर्भित:****कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।**

- (1) हमने 31 मार्च, 2024 तक एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- (2) निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- (3) हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था, यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।
- (4) हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- (5) हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- (6) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए आईएनडी एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईएनडी एस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका आईएनडी एस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

- (7) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें राय की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है

मत

- (8) हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और नीचे दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन:

a)	प्रभागों, इकाइयों और उद्यानों से वित्तीय डेटा का प्रवाह प्रधान कार्यालय खातों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत नहीं है। इसमें लेखांकन के विभिन्न चरणों में मैनुअल हस्तक्षेप शामिल है।
b)	आईटी सामान्य नियंत्रण और कर्तव्यों के पृथक्करण के दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान के लिए उचित विवरण के साथ उचित रखरखाव और रिकॉर्ड के सटीक प्रतिबिंब के बारे में उचित आश्वासन नहीं देती है।
c)	आईटी आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को परिभाषित नहीं किया गया है।
d)	कंपनी ने अधिकांश मामलों में विविध देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।
e)	चाय प्रभाग में खर्चों एवं देनदारियों को रिकार्ड करने एवं प्रावधान बनाने की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इसके आकार, विविधता और संचालन की जटिलता के संबंध में अपर्याप्त है, जैसा कि मार्गदर्शन नोट में कहा गया है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण। ये टिप्पणियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29.07.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या -056514
 (यूडीआईएन: 24056514BKAUGV5722)



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 9(जी) में संदर्भित:

वर्ष 2023-24 के लिए लागू एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी के निर्देशों पर हमारा उत्तर।

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्तमान में अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है और इस प्रकार, आवश्यक लेखांकन एकीकरण अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर लागू करके किया जा रहा है। कंपनी द्वारा अपनाई गई विधि डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का "अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों" के शीर्ष से संबंधित नोट संख्या 22 के तहत उचित रूप से हिसाब लगाया गया था।

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	एक्सेल वर्कशीट के माध्यम से खातों का रखरखाव किया गया है। वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा की जांच की गई है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं है।



यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंप्यूटर में एक्सेल शीट के माध्यम से खातों का रखरखाव किया गया है। वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा की जांच की गई है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए कोई निधि प्राप्त अथवा प्राप्य नहीं है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29.05.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या -056514
 (यूडीआईएन: 24056514BKAUGV5722)



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एम/एस एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार किया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन किया है।

एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 302081ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.07.2024

(सी.ए. एम.सी.कोडाली)
पार्टनर
सदस्यता संख्या -056514
(यूडीआईएन: 24056514BKAUGV5722)



सत्यमेव जयते

संख्या 249 / No-ordn./01-15(A Yule-CFS)/2024-25

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001
1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

दिनांक / Dated 01 AUG 2024

सेवा में
The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
"Yule House"
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yule & Company Limited के वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर भारत के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2023-24 के लिए Andrew Yule & Company Limited की समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर भारत के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे ।

अनु: यथोपरि।

भवदीय

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

टेलिफोन / Telephone : (033) 2248-9674 / 2248-5600, ई-मेल / E-mail : pdamineskol@cag.gov.in



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE & COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024


The preparation of consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Limited but did not conduct supplementary audit of financial statements of its subsidiary companies Yule Engineering Limited and Yule Electrical Limited for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to its associate company Tide Water Oil Co. (India) Limited being private entities for appointment of their Statutory Auditors and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 01 AUG 2024


(Bibhudutta Basantia)
Director General of Audit (Mines)
Kolkata

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 1 निगमित सूचना

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) को 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंध एजेंसी के रूप में काम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। प्रबंधन एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ, कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चाय उत्पादन और विनिर्माण व्यवसाय के साथ मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अनुसूची- "बी" सीपीएसई है। सरकार की 89.25% हिस्सेदारी के साथ एम/ओ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, डी/ओ भारी उद्योग, इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी जॉब आदि के विनिर्माण और बिक्री दोनों के व्यवसाय में एक राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इसकी दो (2) परिचालन इकाइयाँ हैं जिनमें से एक (1) कल्याणी पश्चिम बंगाल में है और एक (1) चेन्नई, तमिलनाडु में, और बारह (12) चाय बागान जिनमें से सात (7) असम में और चार (4) डुआर्स में और एक (1) दार्जिलिंग में स्थित हैं। वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दो (2) परिचालन इकाइयों को 25/11/2021 को बंद कर दिया गया है। कंपनी तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय में काम कर रही है। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 100% सहायक कंपनी मेसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड में से एक का राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी 04 के निर्णय के अनुसार कंपनी में विलय हो गया है। /06/2021. कंपनी तीन में काम कर रही है मुख्य क्षेत्र अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 31.03.2024 तक उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 14204 है। इसके शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

29 मई, 2024 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

नोट 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन

वित्तीय विवरण लेखांकन के संचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं (कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों में प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] माप का आधार

वित्तीय विवरण उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर, लेखांकन और ऐतिहासिक लागत सम्मेलनों के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- [i] उद्भूत वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- [iii] परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा नोट 2.28 में की गई है।

[2.1.3] कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

[2.1.4] अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अप्रचलन,



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

मांग, पूर्णता और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई कारकों पर आधारित है। हालांकि, संयंत्र और मशीनरी के मामले में, उपयोगी तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार जीवन को 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है। इसी प्रकार असम और डुअर्स गार्डन के वाहक पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है। तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसी प्रकार असम और डुअर्स गार्डन के बियरर पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य की वसूली योग्य राशि-प्रगति पर

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि और प्रगति पर पूंजीगत कार्य अनुमान और धारणाओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव से वसूली योग्य राशि की माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

[ग] सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

चिकित्सा लाभों को छोड़कर कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा लाभ वास्तविक आधार पर मापा जाता है।

[घ] प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन आईएनडी एस 37, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण ऐसा अनुमान बदल सकता है।

[ङ] सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश

निवेश लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश की किसी भी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को आईएनडी एस 108 द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को भारतीय रुपये (आईएनआर) में अनुवादित किया जाता है, जो लेनदेन की तारीखों पर आईएनआर और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके कार्यात्मक मुद्रा है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को आम तौर पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

[a] तकनीकी जानकारी सहित अचल संपत्तियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण को या तो लेखांकन वर्ष के अंत में विनिमय समता दर पर या अग्रिम रूप से बुक किए जाने पर निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे विनिमय दर अंतर के संबंध में आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋण, अचल संपत्तियों और मूल्यहास के लिए किए जाते हैं।

[b] सीआईएफ, एफओबी और सी एंड एफ अनुबंध दोनों के तहत सामग्रियों के किसी भी आयात के संबंध में, खरीद को बिल ऑफ एंट्री की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। उपरोक्त दर और जिस दर पर वास्तविक भुगतान किया जाता है या 31 मार्च को प्रचलित दर, जो भी पहले हो, के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[c] निर्यात/विदेशी बिक्री को लदान के बिल की तारीख पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, या तो आय की वसूली पर या वर्ष के अंत में विनिमय दर के फैसले पर उसके रूपांतरण पर, जो भी पहले हो, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[d] विदेशी मुद्रा में प्राप्य और देय राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में समता दर पर बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। ऐसी प्राप्य/

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

देय राशि के निपटान पर या ऐसी प्राप्य/देय राशि की उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, जिस पर अवधि के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था या पिछली बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया था, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

[2.4] राजस्व पहचान और अन्य आय

राजस्व को 01.04.2018 से प्रभावी आईएनडी एस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तु की बिक्री

वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दे दिए जाते हैं। माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री से राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य, छूट और योजनाओं के आधार पर आधारित होता है, जिसका मूल्यांकन प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर किया जाता है। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री आम तौर पर क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

वर्ष के अंत के भीतर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाले गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध प्रेषण, तैयार माल-पारगमन के रूप में दिखाए जाते हैं।

अनुबंधों के विरुद्ध चाय की बिक्री का हिसाब डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर और चाय व्यापार के मानदंडों के अनुसार नीलामी केंद्रों में बिक्री के पूरा होने पर किया जाता है।

[2.4.2] किराये की आय

सहयोगी कंपनी और अन्य पक्षों को संपत्ति किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय का हिसाब-किताब समझौते की शर्तों के अनुसार आवधिक आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी वास्तविक अनुबंध शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। हालांकि, बैंक के लिए वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को बैंकों द्वारा सूचित माना जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को 'अन्य आय' मद के तहत लाभ और हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को मापा जा सकता है विश्वसनीय रूप से।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

- बीमा और अन्य दावों का हिसाब स्वीकृत राशि के आधार पर किया जाता है।
- बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रिफंड का हिसाब प्राप्त मूल्यांकन/रिफंड आदेशों के आधार पर किया जाता है;
- पूर्ण/आनुपातिक भुगतान की देर से प्राप्ति के कारण बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से प्राप्त होने वाले ब्याज का हिसाब उस सीमा तक लगाया जाता है, जिस सीमा तक अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में ब्याज सुनिश्चित किया जा सकता है।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

- d) निर्यात/मानित निर्यात लाभ का हिसाब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण पूरा होने पर किया जाता है।
- e) कच्चे माल, उपकरण/पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए कंपनी द्वारा वसूले गए निर्धारित नुकसान को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आय कर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर के आधार पर अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है। यह कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर जहां उपयुक्त हो, प्रावधान स्थापित करता है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी को मान्यता दी जाती है और सुधार पर विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा दायर सुधार/अपील के कारण एनसीएलटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/बिक्री कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान पर समायोजन किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर पर, देयता पद्धति का उपयोग करके आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर का हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह व्यवसाय संयोजन के अलावा किसी लेनदेन में किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ/हानि और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं और जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास हो जाता है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है तो लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष उसी करायान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टा

कोई व्यवस्था पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण आईएनडी एएस 116 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

एक पट्टेदार के रूप में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के तहत, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एएस -116) पट्टे 1.4.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गए हैं। आईएनडी एएस 17 (पट्टे) की जगह। आईएनडी एएस 116, लीज़ का प्रमुख परिवर्तन वर्तमान में ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत लीज़ के पट्टेदारों द्वारा लेखांकन उपचार में परिवर्तन है। पट्टा समझौतों ने परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और भविष्य के पट्टा भुगतान के लिए पट्टा दायित्व की मान्यता को जन्म दिया है। कंपनी के मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां निष्पादित पट्टा समझौते/ या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और 01.04.2019 को ऐसे पट्टे की शेष अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर :

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर यह नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 की धारा 9 भूमि पट्टे, उपयोग का अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है। उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, मामलों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एएस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए। हालाँकि, आईएनडी एएस 116 में परिवर्तन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ इस मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया है।

एक पट्टादाता के रूप में

परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां कंपनी पट्टेदार है, को लीज अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर आय में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल की जाती हैं।

[2.7] इन्वेंटरी के अलावा गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

[a] कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

[b] उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्दत शेयर कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह का विवरण

[a] नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि, तीन महीने की मूल परिपक्वता के साथ अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं। या उससे कम खरीद की तारीख से जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों में उधार के तहत दिखाया गया है।

[b] नकदी प्रवाह का विवरण आईएनडी एएस-7 "नकद प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है।

[2.10] इन्वेंट्री

[a] कच्चे माल (पैकिंग सामग्री सहित), कार्य-प्रगति, व्यापार और तैयार माल को कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित हिस्सा शामिल होता है, बाद वाले को लगातार पालन किए जाने वाले ऐसे कार्यों में उपयोग किए गए वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। लागत भारित औसत पद्धति के आधार पर इन्वेंट्री की व्यक्तिगत वस्तुओं को सौंपी जाती है। खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और डिस्काउंट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत कम होती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

- [b] तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम समय से पड़े धीमे और गैर-चलित स्टॉक के लिए बुक वैल्यू के 15% का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले ऐसे स्टॉक के लिए, बुक वैल्यू के 36.25% की दर से प्रावधान किया गया है। अप्रचलित दुकानों के लिए बुक वैल्यू के 100% पर प्रावधान किया गया है। वर्ष के अंत तक प्रगतिरत कार्य पर होने वाली सभी हानियों और ऐसे कार्यों पर होने वाले आगे के कार्य लागत के लिए अनुमानित हानि को ध्यान में रखा जाता है और विधिवत प्रावधान किया जाता है।
- [c] वर्ष के अंत में चल रही ठेका नौकरियों का मूल्यांकन करते समय, भविष्य में अनुमानित हानि पर केवल 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की नौकरियों के संबंध में विचार किया जाता है और/या वास्तविक प्रगति जिसमें तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।
- [d] स्वयं निर्मित स्टोर, स्पेयर, कच्चे माल आदि के अंतर-यूनिट हस्तांतरण, यदि वर्ष के अंत में स्टॉक में पड़े हैं, तो ट्रांसफरर यूनिट के अनुमानित कार्य/फैक्टरी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- [e] स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, अनुमानित/वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालाँकि चाय की बर्बादी को महत्व नहीं दिया जाता है।
- [f] आयातित सामग्रियों की वास्तविक खपत के समय अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ निर्यात लाभों पर विचार किया जाता है। वर्ष के अंत में हाथ में आए अग्रिम लाइसेंसों का हिसाब नहीं रखा जाता है।
- [g] वर्ष के दौरान बेची जाने वाली इन्वेंटरी की लागत इन्वेंट्री की वृद्धि/कमी के माध्यम से पहचानी जाती है।

[2.11.1] सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियां**[2.11.1.1] वर्गीकरण**

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित माप श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- * जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और
- * जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की अनुबंध संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएगी। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरणों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय पहचान की है।

कंपनी ऋण लिखतों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

[2.11.2] माप**इक्विटी उपकरण**

कंपनी सहायक और अनुषंगी को छोड़कर सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापती है। सहायक कंपनियों और अनुषंगी में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

[2.11.3] वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी अग्रगामी आधार पर परिशोधन लागत और एफवीओसीआई ऋण उपकरणों पर ली गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 2.28 में बताया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी हानि के प्रावधान के रूप में मामले दर मामले के आधार पर प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित नुकसान को पहचानने का सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

*कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या

*वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहां इकाई ने परिसंपत्ति हस्तांतरित की है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहां इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] खरीदारी

[a] आने वाली वस्तुओं के संबंध में किए गए बीमा शुल्क जहां सामग्री सीधे संबंधित होती है, उन्हें व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में हिसाब में लिया जाता है; अन्यथा, ऐसा बीमा प्रीमियम लाभ और हानि के विवरण से वसूला जाता है।

[b] विदेश से खरीदे गए माल के मामले में, शिपमेंट को पारगमन में वस्तु माना जाता है:

[i] सीआईएफ और सीएंडएफ अनुबंध दोनों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तारीख से;

[ii] एफओबी अनुबंधों के मामले में, लदान बिल के अनुसार वास्तविक शिपमेंट की तारीख से।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

[a] गारंटी अवधि के दौरान मुफ्त प्रतिस्थापन के रूप में सामग्री/घटकों को जारी करना, जिसे अज्ञात होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रेषण पर ध्यान में रखा जाता है। लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन प्रदान किए जाते हैं।

[b] कंपनी उपरोक्त मद में पिछले तीन वर्षों के औसत खर्चों के आधार पर ग्राहकों को पहले ही बेचे गए सामानों की मरम्मत और सुधार के लिए देयता प्रदान करती है।

[c] परिसमाप्त क्षति के संबंध में देनदारियां उस सीमा तक प्रदान की जाती हैं, जिस पर कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा विवादित परिसमाप्त क्षति को आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। देनदारी/आकस्मिक देनदारी की राशि का अनुमान अनुबंधित शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की सीमा तक लगाया जाता है।

[d] कमीशन के संबंध में देयता बिक्री के अनुपात में प्रदान की जाती है।

[e] आयकर/कृषि आय-कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हिसाब कर अधिकारियों के मूल्यांकन आदेशों के आधार पर किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है या वास्तविक भुगतान किया गया है, जैसा भी मामला हो।

[f] भुगतान, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुपालन में फ्रीस का हिसाब तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगाया जाता है।

[g] मान्यता प्राप्त राजस्व पर आनुपातिक प्रत्यक्ष लागत के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण किए गए समग्र/टर्नकी अनुबंधों के संबंध में अप्राप्त लाभ का प्रावधान किया जाता है।

[h] टी एस्टेट्स के लिए दवा खरीद का शुल्क लगातार अभ्यास के अनुसार लिया जाता है।

[i] गारंटी कमीशन जारी/नवीनीकृत गारंटी के वर्ष में लिया जाता है।

[2.14] देनदारियों की बुकिंग/बट्टा

a) देनदारियां प्रदान करने के लिए, कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल है, लेकिन सभी ज्ञात देनदारियां, यदि वास्तविक हैं, तो यथासंभव बुक की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल)।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

b) देनदारियां जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिनके पूरा होने की संभावना नहीं है, उन्हें सरकार के ऋण को छोड़कर बट्टा में रखा जाता है। केवल असाधारण वस्तुओं के मामले में, वित्तीय विवरणों में अलग से खुलासा किया जाता है।

[2.15] ऑफसेटिंग वित्तीय उपकरण

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

[a] अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्ष की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके।

[b] पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लागू लेखांकन मानक के अनुसार किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके लिए पर्याप्त लिखित आश्वासन मौजूद होने पर अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लगाया जाता है।

[c] फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुएं ऐतिहासिक लागत से मूल्यहास पर बताई गई हैं। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण से जुड़ा होता है।

[d] बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब लगाए गए किसी भी घटक की वहन राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि पर लगाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

[e] एक यूनिट/डिवीजन द्वारा दूसरी यूनिट/डिवीजन में उपयोग के लिए निर्मित मशीनरी का हिसाब ट्रांसफरर यूनिट की वर्क्स/फैक्ट्री लागत पर किया जाता है।

[f] यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है तो पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि हानि को उलट दिया जाता है।

[g] बियरर प्लांट को पुनर्रोपण के वर्ष से 3 वर्ष के बाद कैपिटल डब्ल्यूआईपी से बियरर प्लांट के फिक्स्ड एसेट ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बियरर प्लांट का औसत कुल जीवन असम और डूअर्स गार्डन के लिए 70 (सत्तर) वर्ष और 100 (एक) माना गया है। दार्जिलिंग स्थित मीम टी एस्टेट के लिए सौ) वर्ष।

[h] नामित तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिलने के बाद संपत्तियों को अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] आईएनडी एस-41 (जैविक संपत्ति) की प्रयोज्यता,

एवाईसीएल चाय प्रभाग विनिर्माण के लिए 7 दिनों में चाय की पत्तियां तोड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय को तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी हिस्सों में झाड़ियों पर चाय की पत्तियाँ अपरिपक्व हैं।

आईएनडी एस 41 के पैरा 10 में कहा गया है कि किसी जैविक संपत्ति को तभी पहचाना जाए जब, संपत्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय की पत्तियों के लिए कोई बाजार मौजूद नहीं है जो चाय की झाड़ियों पर रहती हैं और कटाई के लिए तैयार नहीं होती हैं (अभी तक कटाई नहीं हुई है)। जब तक हरी चाय की पत्तियां चाय की झाड़ियों पर मौजूद हैं और कटाई के चरण तक नहीं पहुंची हैं, तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और चाय के प्रसंस्करण के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि आईएनडी एस 41 के पैरा 8 में जोर दिया गया है, चाय की झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय की पत्तियों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी चाय की पत्तियों की कीमत का पता लगाना अव्यावहारिक होगा क्योंकि इसकी लागत की

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

गणना के लिए कोई भी लागत मॉडल अनुमान और धारणा पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय की पत्तियों की कटाई नहीं की गई है और बढ़ती अवस्था में है, परिपक्व नहीं हुई है) को मान्यता नहीं देता है।

[2.18] पूंजीगत कार्य प्रगति पर

निर्माणधीन परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों की खरीद कीमत शामिल होती है, जिसमें शुल्क और गैर-वापसीयोग्य कर और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तों के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं।

[2.19] अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बनाए रखने से जुड़ी लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जहां संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी जीवन से लेकर तीन वर्ष तक की सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

[2.20] व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। राशियाँ असुरक्षित हैं और आमतौर पर भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान की जाती हैं। व्यापार और अन्य देय को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

[2.21] उधार की लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती है जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जो कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से काट ली जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो उधार लेने की लागत तुलन पत्र से हटा दी जाती है। समाप्त हो चुकी या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें देनदारी पर हस्तांतरित किसी गैर-नकद परिसंपत्ति भी शामिल है, को लाभ और हानि खाते के विवरण में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य उधार लागतें उसी अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

[2.22] प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और रिटर्न के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी दायित्व का निपटान करने के लिए और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां कई समान दायित्व हैं, निपटान में बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होने की संभावना समग्र रूप से दायित्वों के वर्ग पर विचार करके निर्धारित की जाती है। एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, भले ही दायित्वों की एक ही श्रेणी में शामिल किसी एक वस्तु के संबंध में बहिर्प्रवाह की संभावना छोटी हो।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर एक पूर्व-कर दर है जो पैसे के समय मूल्य और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, ऐसे दायित्व को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

[2.23] कर्मचारी लाभ**[2.23.1] अल्पकालिक दायित्व**

गैर-मौद्रिक लाभों सहित वेतन और वेतन के लिए देनदारियां, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त है। और देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जाने वाली अपेक्षित रकम पर मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर अर्जित अवकाश की देनदारियों का पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के रूप में परिभाषित लाभों के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिकों द्वारा की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध संतुलन और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है और इसे लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में बदलाव के विवरण और तुलन पत्र में बरकरार रखी गई कमाई में शामिल किया गया है।

यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

3 वर्षों के ब्लॉक के दौरान अप्राप्त चिकित्सा लाभों को वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.23.3] रोजगार उपरांत दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाएं संचालित करती है:

[a] परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

[b] परिभाषित योगदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि को भविष्य निधि का भुगतान करता है और योगदान के अलावा कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है और योगदान देय होने पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

[c] एकमुश्त चिकित्सा लाभ वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय**[2.25.1] प्रति शेयर मूल**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

आय प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है:

* कंपनी के मालिकों को होने वाला लाभ/हानि।

* वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से।

[2.25.2] प्रति शेयर मिश्रित आय

प्रति शेयर मिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करती है:

* संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों का आयकर के बाद प्रभाव, और

* अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

[2.26] वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं।

[a] वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में या किसी संपत्ति की वहन राशि में पहचाना जाता है यदि कोई अन्य मानक ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके उधार की अवधि में इस तरह के समावेश की अनुमति देता है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

[b] बाद में माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। यदि कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है, तो लाभ और हानि के विवरण में या परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

[c] मान्यता रद्द

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता के दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता में, लेनदेन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

हालांकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

सभी वित्तीय संपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- * स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्दत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- * स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो अप्राप्य में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर पहचानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ उसे बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। उपरोक्त के प्रभावों को कम करने के लिए, इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएँ की जाती हैं। निम्नलिखित तालिका जोखिम के स्रोतों और इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है, इसकी व्याख्या करती है।

जोखिम	एक्सपोज़र आने का कारण	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, वित्तीय संपत्तियाँ परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	साख सीमा और साख पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	उधार की सुविधाएँ
बाज़ार जोखिम – विदेशी एक्सचेंज	मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ भारतीय रुपये में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	मुद्रा की गति की निगरानी
बाज़ार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक उधार/ देनदारियाँ	...	ब्याज दर में गति का संचलन
बाज़ार जोखिम – प्रतिभूति कीमत	प्रतिभूतियों में निवेश	...	श्रेणी प्रबंधन

[a] साख जोखिम

साख जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर किए गए निवेश, बैंकों और वित्तपोषण संस्थानों के पास जमा के साथ-साथ ग्राहक और अन्य पक्षों के लिए साख जोखिम से उत्पन्न होता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/ संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय संपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह पार्टी-वार प्रदर्शन की निगरानी करता है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पार्टी के लिए क्रेडिट रेटिंग आवंटित की जाती है। इसके बाद उक्त पार्टी की सॉल्वेंसी के आधार पर प्रत्येक पार्टी को एक क्रेडिट सीमा सौंपी जाती है।

इकाई चालू आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है।

सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि यदि भुगतान देय होने में 60 दिन से अधिक का समय लगता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है।

संदिग्ध संपत्तियों के प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

विवरण	मात्रा
01.04.2022 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	5425.71
2022-23 के दौरान शुल्क	125.92
2022-23 के दौरान बढ़ा	5468.00
31.03.2023 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	83.63
2023-24 के दौरान शुल्क	769.08
31.03.2024 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	852.71

[b] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण जोखिम तरलता प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की उपलब्धता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई ने निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं का उपयोग किया है:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	11010.38	8872.08
साख पत्र	1601.08	2070.37
बैंक गारंटी	1235.13	1717.96

निम्नलिखित तालिका अगले 12 (बारह) महीने के भीतर देय अनुबंधात्मक रियायती नकदी प्रवाह को दर्शाती है

31.03.2024 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	9325.40	99.18	968.85	10393.44
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	6325.73	-	-	6325.73

31.03.2023 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	2 और 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	4595.62	407.72	935.01	5938.35
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	5707.09	-	-	5707.09



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

[C] बाज़ार का जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्त्य (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियों		
व्यापार देय (विदेश मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-

[2.29] [2.29] पूंजी प्रबंध

[A] जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

- [a] एक चालू संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करें।
- [b] पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

[B] लाभांश

[1] वर्षांत समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त लाभांश: **रु (लाख में)**

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अंतिम लाभांश	शून्य	-
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

[[2] इंड एस के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई।

[2.30] संपत्ति को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति		
वित्तीय पूंजी	-	-
व्यापार प्राप्तियां	4912.04	8151.75
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
इन्वेंटरी	2758.41	4529.84

31 मार्च 2024 तक समेकित तुलन पत्र

रुपये लाख में

	नोट नं.	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	16192.69	14,181.75
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	3	8835.28	9,356.03
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	8.89	10.28
(घ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	4	21865.34	20,107.82
(ii) अन्य	5	21.32	74.19
(ङ) आयकर संपत्ति (शुद्ध)	6	1879.11	1,599.07
(च) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	7	342.06	442.06
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां		49144.69	45,771.20
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	3430.29	5,316.00
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	9	0.35	0.35
(ii) व्यापार प्राप्य	10	9993.93	11,815.22
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	1025.89	1,290.01
(iv) अन्य बैंक शेष	12	2868.47	3,667.45
(v) ऋण	13	0.44	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	565.87	528.86
(ग) अन्य मौजूदा संपत्तियां	15	3988.68	5,775.18
(घ) निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	16	42.36	0.04
कुल मौजूदा संपत्तियां		21916.29	28,393.56
कुल संपत्ति		71060.98	74,164.76
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	24152.58	28,714.96
कुल इक्विटी		33,931.60	38,493.98
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	19	376.51	586.11
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	42.84	47.71
(ख) प्रावधान	21	3575.03	3,341.41
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	22	679.02	702.78
(घ) आस्थगित कर देयता		1402.01	2159.30
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ		6,075.41	6,837.31
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	23	11012.75	9,400.90
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	7731.77	10,393.44
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25	5507.87	4,005.31
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	26	4677.61	3,779.37
(ग) प्रावधान	27	2123.97	1,254.45
कुल वर्तमान दायित्व		31,053.97	28,833.47
कुल देनदारियाँ		37,129.39	35,670.78
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		71,060.98	74,164.76

एस्के एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं. : 302081E
 एम.सी.कोडाली
 पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
 स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29 मई 2024
 यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

एंड्रयू यूएल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 03594804



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

रुपये लाख में

विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्त हुआ	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
I संचालन से राजस्व	28	30,985.40	37,403.60
II अन्य आय	29	3,867.28	3,175.27
III कुल आय (I + II)		34,852.68	40,578.87
IV खर्च			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	10,304.50	13,213.44
(ख) तैयार वस्तु की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	31	1,149.77	(720.20)
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	21,621.54	18,113.05
(घ) उत्पाद शुल्क			
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	695.31	644.74
(च) वित्त लागत	34	1,549.73	999.45
(छ) अन्य खर्च	35	6,851.21	7,431.16
कुल व्यय (IV)		42,172.07	39,681.64
V असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III - IV)		(7,319.39)	897.23
VI असाधारण वस्तुएं	36	-	-
VII असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		(7,319.39)	897.23
VIII कर व्यय			
(1) वर्तमान कर		-	540.00
(2) धन कर			-
(2) आस्थगित कर		(957.16)	240.76
कुल कर व्यय		(957.16)	780.76
IX निरंतर संचालन से अर्वाधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(6,362.23)	116.47
X बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	37	(61.15)	-
XI बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	-
XII कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।		(61.15)	-
XIII अर्वाधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)		(6,423.38)	116.47
XIV लाभ का समूह हिस्सा/(हानि)		1,675.94	1,148.00
XV अर्वाधि के लिए कुल लाभ (XIII+XIV)		(4,747.44)	1,264.47
अन्य व्यापक आय			
(1) निवेश का पुनर्मापन		123.25	0.29
(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		295.91	(314.15)
घटाएँ: वर्तमान कर		-	-
कम: आस्थगित कर		199.87	(129.30)
XIV अर्वाधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		219.30	(184.56)
XV "अर्वाधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV)"		(4,528.15)	1,079.90
XVI परिचालन जारी रखने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		(0.96)	0.26
(2) मिश्रित		(0.96)	0.26
XVII बंद परिचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		(0.01)	0.00
(2) मिश्रित		(0.01)	0.00
XVIII सतत और बंद संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		(0.97)	0.26
(2) मिश्रित		(0.97)	0.26

एसके एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं. : 302081E
 एम.सी.कोडाली
 पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
 स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29 मई 2024
 यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 03594804

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

रुपये लाख में

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ	(7,319.39)	897.23
इनके लिए समायोजन:		
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	694.13	644.27
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	1.18	0.47
ब्याज व्यय	1,188.43	857.55
बंद परिचालन से लाभ		
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि		(14.29)
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	673.72	(101.28)
ब्याज आय	(349.32)	(135.19)
लाभांश आय	(2,257.75)	(1,934.62)
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है वापस लिखा गया	0.94	(92.37)
देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	72.66	(298.73)
(लाभ)/स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.66	(41.87)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.56
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	5.52	(15.82)
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	2.94	
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.61	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	443.61	404.17
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	113.33	147.72
वसूली योग्य विदूत शुल्क का प्रावधान		
शेड्यूल बैंक के लिए प्रावधान	0.65	
स्टॉक/स्टोर अप्रचलन के लिए प्रावधान	61.39	27.62
पूँजीगत सब्सिडी पर आस्थगित आय	6.22	(7.57)
एसोसिएट्स के लाभ में समूह हिस्सेदारी में वृद्धि	1,675.94	1,148.00
आस्थगित कर में परिवर्तन		(111.46)
निवेश का पुनर्मापन	123.25	0.29
बीमांकिक लाभ और हानि का समायोजन	295.91	(314.15)
बंद किए गए कार्यों से लाभ	(61.15)	
पी एंड एल के विरुद्ध समायोजन	(34.23)	
	2,658.64	163.30
वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों की मात्रा में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(4,660.75)	1,060.53
इनके लिए समायोजन		
वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	3,127.16	(4,337.63)
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां	(42.32)	
सूची	1,824.32	(378.88)
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	2,032.93	9,088.74
	6,942.09	4,372.23
संचालन से उत्पन्न नकदी	2,281.34	5,432.76
कर भुगतान	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	2,281.34	5,432.76
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
अचल संपत्तियों की खरीद	(3,381.61)	(3,524.90)
पूँजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर है	519.57	(1,131.89)



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

रुपये लाख में

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(180.04)	268.98
निवेश की खरीद		(572.88)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	52.87	
लाभांश प्राप्त हुआ	2,257.75	1,934.62
निवेश की बिक्री	(1,763.04)	135.19
निवेश का पुनर्मापन		
एचपीसीएल में ऋण का समायोजन		
निवेश का निपटान		
प्राप्त ब्याज	349.32	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)	(2,145.18)	(2,890.88)
[ग] वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
[सी] वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	(1,188.43)	(857.55)
अन्य वर्तमान देनदारियां	198.77	
अल्पावधि उधार (चुकाया गया)/लिया गया और अन्य वित्तीय देनदारियां	(209.60)	
दीर्घकालिक उधार (चुकाया गया)/लिया गया		68.06
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]	(1,199.26)	(789.49)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क+ख+ग]	(1,063.10)	1,752.39
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)	** 4,957.46	3,205.07
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)	** 3,894.36	4,957.46
[1] उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट "अप्रत्यक्ष" के तहत तैयार किया गया है		
विधि" जैसा कि नकदी प्रवाह पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किया गया है		
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण		
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
Balance with Banks (Refer Note below)	1,020.51	1,280.82
हाथ में चेक		
मेरे पास नकदी है	5.38	9.19
हाथ में डाक टिकट और डाक टिकट		
पारगमन में प्रेषण		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक के पास मार्जिन मनी 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के बाद परिपक्व हो रही है		
जमा खाता मार्जिन	2,868.47	3,667.45
	3,894.36	4,957.46
[क] इसमें भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा संलग्न 16.84 लाख शामिल हैं **		
[ख] पिछले वर्ष के आकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है		

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं. : 302081E
 एम.सी.कोडाली
 पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
 स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29 मई 2024
 यूडीआईएन : 24056514BKAU-
 GV5722

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 03594804

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु



इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

रुपये लाख में

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य की अन्य वस्तुएँ व्यापक आमदनी	
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	406.76	2,741.75	25,801.04	(670.01)	435.43	28,714.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-			
स्थानांतरण			-			
इस वर्ष का मुनाफा			(4,747.45)	123.25	96.04	(4,528.16)
पी/एल में समायोजन			(34.23)	-		(34.23)
						-
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)				0		-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			-	0	-	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	406.76	2,741.75	21,019.36	(546.76)	531.47	24,152.58

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं. : 302081E
 एम.सी.कोडाली
 पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
 स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29 मई 2024
 यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 03594804

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]
(स्टैंडअलोन एफ.एस. (नोट 3) के अनुसार लटका हुआ है)

नोट 3

रुपये लाख में

	भूमि	वाहक प्लॉट (नोट 2 देखें)	लीज होल्ड भूमि	निर्माण-बैठकों	सड़कें एवं पुलिया	यंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरोध	विद्वत् प्रतिष्ठान	ल इंस्टालेशन	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	बाड़	कंप्यूटर	कुल	पूजा कार्य-प्रगति पर है (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.79	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.66	9,357.29	112.99
1 अप्रैल 2023 को अनुमानित लागत	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.67	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.54	9,357.29	112.99
परिवर्धन	-	2,492.89	-	199.78	-	47.08	-	-	-	3.33	5.92	-	-	19.58	2,768.58	2,026.91	0.13
निपटान	-	-	-	-	-	(31.28)	-	-	-	(2.36)	(1.31)	(4.23)	-	-	(39.17)	(2,547.66)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	6.85	-	-	-	-	-	-	-	-	6.85	-	-
पुनर्वर्गीकरण के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	(42.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.36)	-	-
31.03.2024 तक सकल वहन राशि समाप्त	175.38	12,787.40	9.16	5,183.40	95.74	7,018.00	40.64	1,320.67	957.16	232.47	189.79	1,059.87	283.59	352.16	29,705.44	8,836.3	113.12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास	-	777.69	3.69	2,812.30	87.01	5,488.97	24.79	997.42	678.86	205.76	159.82	939.78	270.36	298.82	12,745.27	-	102.72
1 अप्रैल 2023 हानि	-	-	-	5.78	-	62.97	15.85	-	-	0.01	-	-	-	-	84.61	1.25	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,551.94	40.63	997.42	678.86	205.78	159.82	939.78	270.36	298.82	12,829.89	1.25	102.72
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन	-	-	-	-	-	(14.41)	-	-	-	(1.05)	(0.93)	-	-	-	(16.40)	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	6.51	-	-	-	-	-	-	-	-	6.51	-	-
संशोधित आरंभिक संचित मूल्यहास 01-04-2023	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,544.04	40.63	997.42	678.86	204.72	158.88	939.78	270.36	298.82	12,820.01	1.25	102.72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रारंभिक संचितमूल्यहास	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,544.04	40.63	997.42	678.86	204.72	158.88	939.78	270.36	298.82	12,820.01	1.25	102.72
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क	-	235.34	0.77	86.52	1.08	249.92	-	40.73	31.69	3.30	4.33	30.37	-	9.78	693.82	-	1.52
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	2.94	-	-	-	-	-	(4.02)	-	-	(1.08)	-	-
31.03.2024 को संचित मूल्यहास बंद करना	-	1,013.03	4.46	2,904.60	88.09	5,796.90	40.63	1,038.15	710.55	208.02	163.22	966.13	270.36	308.60	13,512.76	1.25	104.23
31 मार्च 2024 तक निवल वहन राशि	175.38	11,774.37	4.70	2,278.80	7.64	1,221.10	0.00	282.52	246.61	24.45	26.57	93.74	13.22	43.56	16,192.73	8,835.26	8.88
31 मार्च 2023 तक निवल वहन राशि	175.38	9,516.82	5.47	2,165.55	8.73	1,485.77	0.01	323.36	278.30	25.73	25.36	124.32	13.22	33.76	14,181.76	9,356.02	10.28

पूजा डब्लूआईपी की अवधि

रुपये लाखों में

	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	1,946.31	4,117.72	2,596.64	24.67	8,685.34
संयंत्र और मशीनरी	54.77	47.15	20.80	-	122.72
इमारत	27.20	-	-	-	27.20
वाहन	-	-	-	-	-
कुल	2,028.28	4,164.87	2,617.44	24.67	8,835.26

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता परिचालन की पुनर्वर्गीकृत संपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या-61 में बताया गया है।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	-	-
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	-	-
सहयोगी कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्धरित			
टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4,571,115	164.56	164.56
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		21,540.51	19,864.57
"यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	300,000	27.88	27.88
गैर उद्दत			
"द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	10,305	0.52	0.52
कतरास झेरियाह कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	34,028	6.69	6.69
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		(6.69)	(6.69)
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	57,550	11.79	11.79
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		(11.79)	(11.79)
वरीयता शेयर (अनउद्दत)			
6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर--वेबफिल लिमिटेड।		-	-
बांड (अनउद्दत)			
वेबफिल लिमिटेड शून्य रेटेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्दत)			
वेबफिल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	415,000	172.81	54.28
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
"फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"			
ग्लोस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
"गिलपुकरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
"द स्टेट्समैन लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	9,966	4.70	4.70
"एबीसी चाय श्रमिक कल्याण सेवाएँ (पूर्णतः अक्षम)"			
"बुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड"	740	5.95	6.70
इंडिया पेअर पल्प			
इकाइयाँ (उद्दत)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड केश प्लान	0	-	-
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	0	-	36.19
कम प्रावधान		(51.57)	(51.57)
कुल		20,107.82	19,505.39

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता शेष	16.81	16.81
ईएमडी	57.38	57.38
संदेह पूर्ण अग्रिम के लिए कम प्रावधान	(52.87)	
बैंक जमा एक वर्ष से अधिक	-	-
कुल	21.32	74.19



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)	रुपये लाख में	
	विवरण	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर (एमएटी क्रेडिट पात्रता और कर प्रावधान शामिल हैं)	1,879.11	1,599.07
	-	-
कुल	1,879.11	1,599.07

नोट 7 अन्य गैर-चालू संपत्तियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुपर एनुएशन फंड के लिए परिसंपत्तियों की योजना	147.06	147.06
यूएनएसईसी. रिडेम नॉन कन्व. बांड परिपक्व हो गया है और भुनाया नहीं गया है	195.00	295.00
कुल	342.06	442.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कच्चा माल	899.57	1,119.22
कार्य प्रगति पर है	825.13	1,073.03
तैयार वस्तु	614.73	1,516.61
भण्डार एवं पुर्जे	824.58	1,305.63
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	10.73	5.15
कतरन	0.00	40.82
अर्द्ध - निर्मित सामान	251.91	251.91
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल सूची	3,430.29	5,316.00

नोट: चाय इन्वेंटरी के मामले में, 31.03.2024 तक केवल पूरी तरह से संसाधित चाय की वस्तु को तैयार वस्तु के अंतर्गत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान निवेश

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया जाता है		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में	0.35	0.35
6% सह-प्रतिदेय प्रीफ़ शेयर-वेबफ़िल	-	-
	-	-
कुल	0.35	0.35

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
व्यापार प्राप्तियां	11,244.70	12,667.93
	-	-
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	1,250.77	852.71
कुल प्राप्य	9,993.93	11,815.22

2023-2024 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	7,470.53	552.20	1,346.64	384.05	240.51	9,993.93
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है				24.95	1,225.82	1,250.77
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						-
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
कुल	7,470.53	552.20	1,346.64	409.00	1,466.33	11,244.70
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0			24.95	1225.818	1,250.77
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2022-2023 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	9,754.88	264.57	703.77	202.99	889.01	11,815.22
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		395.06		8.39	449.25	852.71
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
कुल	9,754.88	659.63	703.77	211.38	1,338.27	12,667.93
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	395.06	0	8.39	449.25	852.7
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) बैंकों के साथ शेष		
(1) बैंकों के पास अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,020.51	1,280.81
(ii) 3 महीने से कम जमा खाते में	-	-
(ii) 3 माह से अधिक जमा खाते में	-	-
(ख) चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
(ग) हाथ में डाक शुल्क और स्टाम्प	0.00	0.00
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) अधिकार में नकदी	5.38	9.19
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	1,025.89	1,290.01

नोट 12 अन्य बैंक शेष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जमा खाता-मार्जिन में	2,868.47	3,667.45
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	2,868.47	3,667.45

नोट 13 ऋण

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	TOTAL	
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	0.44	0.44
संदिग्ध	120.41	120.41
	120.85	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
कुल	0.44	0.44

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	-	-
जमा		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	-
अन्य अग्रिम नकद में वसूली योग्य		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
ऋण	-	-
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
नाबार्ड के पास जमा	-	-
ईएमडी/एसडी	426.72	469.57
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	52.87
	426.72	416.70
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	139.15	112.16
नाबार्ड जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
कुल	565.87	528.86

नोट 15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ शेष	1,669.80	1,727.94
स्टाफ को अग्रिम	41.85	803.93
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	422.75	463.09
	-	-
अन्य अग्रिम नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य	-	-
अच्छा माना जाता है	1,854.28	2,780.22
संदिग्ध माना जाता है	366.67	366.67
	2,220.95	3,146.89
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	366.67	366.67
	1,854.28	2,780.22
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
कुल	3,988.68	5,775.18



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बिक्री के लिए रखे गए हैं या मालिकों को वितरण के लिए रखे गए हैं।

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

रु. लाख में

विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	इमारत	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विदूत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल रु	इंतान-जिबल संपत्ति	कुल	2023-24 रुपये लाखों में	2022-23 रुपये लाखों में
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,349.21	-	4,349.21	-	4,349.21	0.04	0.04
परिवर्धन										-				
निपटान/समायोजन				-				4,349.21		4,349.21	-	4,349.21	0.04	0.00
पुनर्वर्गीकृत संपत्ति	-	-	-	4,236,239.83	-	-	-	-	-	4,236,239.83	-	4,236,239.83	42.36	0.00
31.03.2024 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	4,236,239.83	-	-	-	0.00	-	4,236,239.83	-	4,236,239.83	42.36	0.04

नोट 1: चालू वर्ष के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को नोट संख्या-62 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट 17: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अधिकृत:		
सामान्य शेयर		
55,00,00,000 रु. 2/- प्रत्येक	11,000.00	11,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त :		
सामान्य शेयर		
48,89,50,978 रु. 2/- प्रत्येक	9,779.02	0.10
कुल	9,779.02	0.10

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर हैं

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 2 रुपये अंकित मूल्य)	"कुल शेयरों का %"	अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है			

2. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

	शेयर की संख्या	"राशि (रुपये लाख में)"
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	488,950,978	9,779.02
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
31.03.2024 को समापन शेष	488,950,978	9,779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक ही वर्ग यानी इक्विटी शेयर हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
संपत्ति कोष		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य रिजर्व		
बांड मोचन रिजर्व		
(क) बांड मोचन आरक्षित		
पूंजीगत संपत्तियों के लिए केंद्र/राज्य सब्सिडी		
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2,741.75
प्रतिधारित आय		
शुरूआती शेष	25,801.04	24,536.57
जोड़ लाभ	(6,423.38)	116.47
जोड़-लाभ का समूह हिस्सा	1,675.94	1,148.00
पी/एल के विरुद्ध समायोजन	(34.23)	-
	21,019.36	25,801.04
अन्य व्यापक आय		
शुरूआती शेष	(234.59)	(56.72)
जोड़ लाभ	219.30	(184.56)
ओसीआई के विरुद्ध समायोजन	-	6.70
अन्य व्यापक आय	(15.30)	(234.59)
कुल	24,152.58	28,714.96

नोट 19 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	
पंजाब नेशनल बैंक से	235.00	586.11
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	141.51	-
डब्ल्यूबी बिक्री कर ऋण	-	
इलाहाबाद बैंक से कार ऋण	-	
	-	
कुल गैर-चालू उधार	376.51	586.11



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	14.04	18.91
कुल	42.84	47.71

नोट 21 प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,572.24	2,306.95
छुट्टी	876.04	909.35
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति एवं पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	108.23	106.59
बिक्री कर के लिए (सी-फॉर्म)	5.25	5.25
अन्य के लिए	6.77	6.77
कुल	3,575.03	3,341.41

नोट 22 अन्य गैर चालू देनदारियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्पोषण सब्सिडी) से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व	34.86	663.85
स्वच्छ मिशन के लिए सरकारी सब्सिडी	4.50	-
"पूँजीगत संपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	639.66	38.93
कुल	679.02	702.78



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 23 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	2,180.84	1,503.92
पंजाब नेशनल बैंक	3,692.10	3,028.03
इंडियन बैंक	873.63	858.65
बैंक ऑफ बड़ौदा	-	(4.47)
आईसीआईसीआई बैंक	2,899.85	2,899.85
करूर वाइसिस बैंक	873.50	1,112.56
अन्य	492.83	2.37
कुल उधार	11,012.75	9,400.90

नोट 24 व्यापार एवं अन्य देय

Particulars	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	2,542.78	2,076.07
ii) अन्य	5,188.99	8,317.37
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कुल	7,731.77	10,393.44

31.03.2024 को लेनदारों की उम्र अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,444.06	45.76	30.92	22.04	2,542.78
ii. अन्य	2,831.02	1,472.73	21.08	864.16	5,188.99
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	5,275.08	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77
बिल न किया गया बकाया	0	0	0	0	0
कुल	5,275.08	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

31.03.2023 तक लेनदारों की उम्र बढ़ना

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,076.07	-	-	-	2,076.07
ii. अन्य	7,249.33	-	99.18	968.85	8,317.37
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	9,325.41	-	99.18	968.85	10,393.44
बिल न किया गया बकाया					
कुल	9,325.41	-	99.18	968.85	10,393.44

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	
सुरक्षित सावधि ऋण		
बैंक ऑफ बड़ौदा से		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	4.86	4.49
अर्जित ब्याज और उधार पर देय		
अनुसूचित बैंकों से		
अन्य से	0.80	0.40
गार्डन में जमा करें	-	-
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	273.51	324.08
अन्य	5,228.69	3,676.35
कुल	5,507.87	4,005.31

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	
अन्य	1,293.82	1,458.95
वैधानिक प्राधिकारियों को देय	3,383.80	2,320.41
कुल	4,677.61	3,779.37

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य सामग्री के लिए	901.99	842.49
कैपिटल डब्ल्यूआईपी के लिए	-	-
आय कर के लिए	-	-
बकाया वेतन के लिए	12.90	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी हेतु	616.49	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण हेतु	61.28	-
अवकाश नकदीकरण के लिए	162.40	116.53
वारंटी के लिए	8.14	4.54
मेडिकल के लिए	177.68	173.03
अन्य	49.67	49.55
वेबफ़िल बॉन्ड के लिए	65.12	-
विद्वत शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस वसूली योग्य के लिए	1.02	1.02
वसूली योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	2,123.96	1,254.45

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
उत्पादों की बिक्री	30,126.39	37,085.07
कम: व्यापार और अन्य छूट	-	-
कम: बिक्री पर जीएसटी	-	-
उत्पादों की बिक्री	30,126.39	37,085.07
	-	-
सेवाओं की बिक्री	402.13	119.15
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	44.65	-
- चाय बोर्ड सब्सिडी	226.52	7.48
-चाय अपशिष्ट बिक्री	56.20	-
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	-	-
अब दायित्व की आवश्यकता नहीं है	14.70	71.07
स्क्रैप की बिक्री	114.81	120.84
रॉयल्टी		
अन्य परिचालन आय	-	-
चाय की बिक्री	-	-
निरंतर परिचालन से कुल राजस्व	30,985.40	37,403.60



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
ब्याज आय (सकल)	250.52	135.19
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	5.52	15.82
किराया(सकल)	488.91	468.50
लाभार्थ आय	-	-
-सहयोगी कंपनी से	2,148.42	1,931.80
-अन्य से	109.33	2.81
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	14.29
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.61	41.87
रॉयल्टी	-	-
स्क्रैप की बिक्री	-	12.76
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को अब बट्टे में रखने की आवश्यकता नहीं है	57.96	227.66
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	0.94	92.37
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	-	-
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	673.72	101.28
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
विनिमय पर लाभ	7.05	0.00
वाईएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान बट्टा	-	-
पूँजीगत सब्सिडी पर विलंबित आय	6.22	7.56
विविध रसीदे सामान्य व्यय	8.42	0.00
अन्य	109.67	123.36
कुल	3,867.28	3,175.27

नोट 30 - उपभोग किए गए कच्चे माल और घटक की लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
सामग्री, घटक, पैकिंग सामग्री और ढीले उपकरण	10,304.50	13,213.44
कुल	10,304.50	13,213.44

नोट 31 - तैयार माल और प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
समापन पर इन्वेंटरी		
तैयार वस्तु	614.73	1955.96
विप	1077.12	886.26
कुल	1691.85	2,842.21
वर्ष की शुरुआत में सूची		
तैयार वस्तु	1516.61	689.67
विप	1325.02	1432.34
कुल	2,841.63	2122.01
इन्वेंटरी में बदलाव	1149.77	(720.20)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
वेतन और मजदूरी	17,004.14	14,365.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	3,009.90	2,325.75
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,635.30	1,456.59
कम: पूंजीगत कार्यों, मरम्मत कार्यों आदि पर व्यय।	27.79	34.43
कुल	21,621.54	18,113.05

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	694.13	644.27
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	1.18	0.47
कुल	695.31	644.74

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	1,188.43	769.75
- सरकारी विभागों को	-	2.80
- बॉन्डधारकों के लिए		
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	245.79	85.00
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	115.52	141.90
कुल	1,549.73	999.45

नोट 35 - अन्य व्यय

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	-	-
बिजली और ईंधन	2,595.23	2,919.21
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	490.21	188.60
किराया(नेट)	129.11	95.94
मरम्मत और रखरखाव:		
- भवन	147.61	219.38
- संयंत्र और मशीनरी	191.53	146.25
- अन्य	40.64	47.70
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	219.99	247.13
अनुसंधान एवं विकास व्यय	79.01	37.96
बीमा	50.76	52.20
दरें और कर	38.58	28.84
उत्पाद शुल्क/ जीएसटी	3.76	-
चाय पर उपकर	-	-
हरी पत्ती उपकर	-	-



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	लाख रुपये में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
टेलीफोन एवं डाक शुल्क	25.00	16.80
दलाल का कमीशन	155.47	182.59
बैंक शुल्क	16.41	6.72
बिक्री का खर्च:	-	-
- विक्रय एजेंट का कमीशन	-	-
-डिलीवरी और माल ढुलाई	749.02	690.11
-अन्य	12.15	5.40
परिसमाप्त हर्जाना और जुर्माना आदि।	-	62.83
सुधार/प्रतिस्थापन	3.60	2.23
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	0.84
विविध शेष बट्टे खाते में डाल दिये गये	-	-
विज्ञापन	21.12	18.55
सेवानिवृत्ति निधि के लिए अतिरिक्त योजना परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
प्रावधान करना:	-	-
-संदिग्ध ऋण	443.61	404.17
-संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	113.33	147.72
-निवेश के मूल्य में कमी	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य खाता पीएफ	-	-
-वसूलीयोग्य विद्वत शुल्क	-	-
- एनएससी	-	-
-स्टॉक/भंडार का अप्रचलन	61.39	27.62
- एलडी	-	365.06
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- केओपीटी किराया	-	-
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी	-	-
- अनुसूचित बैंक	0.65	3.23
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक:	-	-
-लेखा परीक्षक के रूप में	9.17	17.59
-कर लेखा परीक्षण के लिए	0.12	-
-अन्य सेवाओं के लिए	10.66	10.17
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	1.83	0.87
-कराधान मामले के लिए	-	-
इंटर डिवी. खर्च चाय	-	-
जीडी- सामान्य व्यय	-	-
सुरक्षा सेवा शुल्क	126.17	206.58
बांड पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	65.12	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर हानि	-	0.56
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.66	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	2.94	152.00
विविध व्यय	1,046.38	1,126.31
कुल	6,851.21	7,431.16



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 36 – असाधारण वस्तु

विवरण	रुपये लाख में	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
वीआरएस ए/सी वेतन	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट 37 - बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)

रुपये लाख में

विवरण	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
I) संचालन से राजस्व	-	-
II) अन्य आय	-	-
III) कुल आय (I+II)	-	-
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
(घ) उत्पाद शुल्क	-	-
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन	-	-
(च) वित्त लागत	-	-
(छ) अन्य व्यय	61.15	-
IV) कुल व्यय	61.15	-
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)	(61.15)	-



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 38 प्रति शेयर आय

रु (लाख में)

विवरण	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ
प्रति इक्विटी शेयर आय		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ उपलब्ध है	1264.47	(534.29)
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल कमाई	0.26	(0.11)
(ख) मिश्रित		
(i) मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य
(ii) प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय (रुपये)	0.26	(0.11)

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

- [a] छुट्टी का दायित्व:- कंपनी कुछ नियमों के अधीन छुट्टी के नकदीकरण या वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टियां जमा करने के हकदार हैं। बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। योजना वित्तविहीन है, 31 मार्च, 2024 को अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की राशि 1038.44 लाख रुपये (1025.88 लाख रुपये) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में प्रस्तुत की गई है।
- [b] चिकित्सा लाभ: घरेलू उपचार के लिए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ तीन साल के ब्लॉक के लिए है और यदि संबंधित कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठाता है तो उसके बाद वार्षिक रूप से समाप्त हो जाएगा। चिकित्सा लाभ की ऐसी घोषित मात्रा के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के बजाय वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि पात्र राशि अगले ब्लॉक के दौरान तय रहेगी। 31 मार्च, 2024 तक देनदारी की कुल राशि 177.88 लाख रुपये (173.03 लाख रुपये) को खातों में लिया गया है।

[39.2] रोजगार के बाद की बाध्यता- परिभाषित लाभ योजनाएं:

- [a] ग्रेच्युटी:- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में योगदान करना है। योजना वित्त पोषित है।
- [b] सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना:- योजना के तहत कर्मचारी को राशि की एक निश्चित सीमा के अधीन एकमुश्त लाभ मिलता है। इसके लिए दायित्व वास्तविक लागत पर निर्धारित होता है। योजना वित्तविहीन है।
- [c] पेंशन फंड:- कंपनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन फंड है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हालाँकि, 31.03.22 तक इस फंड का कोई पात्र सदस्य नहीं है, वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य शून्य है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7329.70	1025.88	0.00	6622.56	1013.49	0.00
वर्तमान सेवा लागत	407.01	168.65	0.00	368.02	120.97	0.00
ब्याज व्यय	521.35	76.90	0.00	468.36	75.56	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्ट्यूरियल (लाभ) / हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	(249.53)	0.00	0.00	259.83	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	7.60	0.00	0.00	71.22	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(254.09)	(240.59)	0.00	(389.07)	(255.36)	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	7754.45	1038.44	0.00	7329.70	1025.88	0.00

रुपए लाख में

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(ख) उचित मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के शुरुआत और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5022.75	0.00	147.07	5095.68	0.00	147.07
ब्याज आय	367.16	0.00	0.00	370.46	0.00	0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	46.38	0.00	0.00	(54.32)	0.00	0.00
योगदान	0.00	240.59	0.00	0.00	255.36	0.00
लाभ का भुगतान	(254.09)	(240.59)	0.00	(389.07)	(255.36)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपए लाख में

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7754.45	1,038.44	0.00	7329.70	1,025.88	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियां	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2572.24)	(1038.44)	147.07	(2306.95)	(1025.88)	147.07

रुपए लाख में

	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	(295.91)	0.00	0.00	314.15	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	407.01	168.65	0.00	368.02	120.97	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	154.19	76.90	0.00	97.91	75.56	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00	7.60	0.00	0.00	71.22	0.00
कुल खर्च की पहचान	561.20	253.15	0.00	465.92	267.75	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	7.09%	7.09%		7.31%	7.31%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.09%	N.A.		7.31%	N.A.	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

रुपए लाख में

(छ) गोपनीयता विश्लेषण								
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव			
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(144.19)	(135.79)	0.50% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	298.92	281.95
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	149.42	140.67	0.50% की कमी	रुपये की कमी	(284.35)	(266.24)
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपय लाख में

(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01

[39.3] रोजगार पश्चात दायित्व:

परिभाषित अंशदान योजना:- कंपनी ने अंशदान योजना अर्थात पीएफ और ईएसआई को परिभाषित किया है। परिभाषित अंशदान योजना की अवधि के दौरान पहचाने गए व्यय इस प्रकार हैं:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
पीएफ में योगदान	3009.30	2325.75
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.15	0.49

नोट 40 आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(क) आकस्मिक देनदारियाँ		
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	552.94	496.20
विवादित उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	513.56	513.56
विवादित बिक्री कर/वैट	2051.11	2059.16
विवादित आयकर	1922.00	1911.11
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1094.95	1717.96
सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए बैंक को दी गई अन्य गारंटी।	-	-
अप्रयुक्त साख पत्र	1601.08	2070.37
(ग) प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.08	74.95



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

रु. (लाख में)

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बकाया मूल राशि एवं ब्याज यथावत		
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	2098.98	2076.07
	ii) मूल राशि 45 दिन से अधिक	443.87	-
	iii) उस पर ब्याज का मुकदमा	-	-
2	नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि		
3	देय और देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)।		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि।	17.50	
5	आगे के ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है।		

नोट 42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:-वर्ष के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई

नोट 43 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों की सूची

सहायक

यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

एसोसिएट्स

टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री अनंत मोहन सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (26/12/2023 से)
श्री संजय भट्टाचार्य – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31/08/2024 को सेवानिवृत्त)
श्री के. मोहन – निदेशक (कार्मिक) (07/03/2024 को सेवानिवृत्त)
श्री आर एस मनकू – निदेशक (योजना)
श्री संजय वर्मा – Director (Finance) (w.e.f 29/11/2023)
श्रीमती सुचरिता दास – कंपनी सचिव

ख. डायरेक्टर की फीस से जुड़ा खुलासा

संबंधित पार्टी का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
माल की खरीदी		0.04	0.04	-	-	-
माल की बिक्री		38.72	38.72	-	65.44	65.44
लाभांश प्राप्त हुआ		2148.42	2,148.42	-	1931.8	1931.8
किराया प्राप्त हुआ		445.14	445.14	-	354	354
व्यय की प्रतिपूर्ति		206.85	206.85	-	-	-
व्यय की वसूली	1.30		1.30	1.00	-	1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

संबंधित पार्टि का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
निदेशक शुल्क प्राप्त हुआ		7.75	7.75	-	-	-
ब्याज खर्च		15.25	15.25	-	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11.18		11.18	9.88	-	9.88
व्यापार प्राप्तियां			0.00	-	-	-
व्यापार देनदारियां			0.00	-	-	-
अग्रिम प्राप्त हुआ		550.00	550.00	-	295	295
अग्रिम वापसी		529.92	529.92	-	295	295
अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ			0.00	-	29.88	29.88
अन्य अल्पकालिक देनदारियाँ		55	55.00	-	5.04	5.04
31 मार्च तक देय राशि,	11.18		11.18	9.88	-	9.88
31 मार्च को देय राशि,		55.00	55.00	-	-	-

नोट 43.1 कंपनी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

रु (लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2023-24	2022-23
श्री संजय भट्टाचार्य	43.95	39.59
श्री अनंत मोहन सिंह	10.53	-
श्री के मोहन	43.19	44.01
श्री राजिंदर सिंह मनकू	42.87	21.17
श्री संजय वर्मा	12.46	-
श्रीमती सुचरिता दास	20.15	19.12

नोट 43.2

निदेशक की फीस से संबंधित खुलासा

रु.(लाख में)

स्वतंत्र निदेशक	2023-24	2022-23
ओम प्रकाश मित्तल	1.08	0.76
सुंदरपाल सिंह	1.03	0.6
नमिता देवी	1.03	0.72
अनिल कुमार गोयल	-	0.54
अनिल कुमार वर्मा	-	0.54
विश्वनाथ गिरिराज	-	0.41

नोट 44

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण 80.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 80.04 लाख रुपये) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परीक्षण शुल्क	50.76	37.96
टीआरए की सदस्यता	38.74	42.64
कुल	89.50	80.60

नोट 45 आयकर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	-	540.00
कुल वर्तमान कर व्यय	-	540.00
आस्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	(268.64)	1,671.58
(कमी)/आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि	(688.52)	(1,430.82)
कुल आस्थगित कर व्यय	(957.16)	240.76
कुल आयकर व्यय	(957.16)	780.76

नोट 45.1

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का सामंजस्य कई गुना हो गया।

विवरण	(रुपये लाख में)	
	2023-24	2022-23
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	-7318.10	898.23
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	0.00	249.89
इसका प्रभाव:		
स्थगित कर गति	-957.16	240.76
अस्वीकृत व्यय	7096.24	4625.15
अन्य	-7096.24	-4375.26
आयकर व्यय पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया	-957.16	780.76
आयकर की प्रभावी दर पर	13.08	86.92
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई	-957.16	780.76



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 46 आस्थगित कर व्यय

आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2023-24				2022-23			
	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि
स्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई पर मूल्यहास, मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति	3,121.13	(520.11)		2,601.02	4,689.46	(1,568.33)		3,121.13
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00			0.00	0.00	-		0.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	5.50		31.46	36.96	(2.70)		8.21	5.50
संयुक्त उद्यमों में निवेश								
अन्य								
कुल स्थगित कर दायित्व	3,126.64	(520.11)	31.46	2,637.99	4,686.76	(1,568.33)	8.21	3,126.64
स्थगित कर परिसंपत्तियां:								
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	525.90	581.30	(168.42)	938.78	48.88	339.51	137.51	525.90
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-			-	-			-
अन्य	447.14	(144.24)		302.90	2,595.73	(2,148.59)		447.14
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	973.04	437.06	(168.42)	1,241.69	2,644.62	(1,809.08)	137.51	973.04
कुल स्थगित कर दायित्व	2,153.55	(957.16)	199.87	1,396.26	2,042.09	240.76	(129.30)	2,153.55
विलय के कारण एचसीपीएल की विलंबित कर देयता बढ़ी	5.75			5.75	5.75			5.75
स्थगित कर देयता संतुलन और विलय	2,159.30	(957.16)	199.87	1,402.01	2,047.84	240.77	(129.30)	2,159.30

नोट 47.1

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों और उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो।

नोट 47.2

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, असम और पश्चिम बंगाल आयकर के संबंध में कोई देनदारी नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा माफ कर दिया गया है।

नोट 48(ए) बिक्री और कच्चे माल की खपत

₹ (लाख में)

(i) बिक्री	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वस्तु की श्रेणी		
काली एवं पैकेट चाय	16326.79	21366.18
ट्रान्सफ़ॉर्मर	8022.46	10256.56
औद्योगिक फैन	5776.76	2248.41
सेवा की बिक्री	337.51	119.15
अन्य	65.00	3213.92
कुल (उत्पादों की बिक्री)	30528.52	37204.22



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

(ii) कच्चे माल की खपत और भंडार की खपत		
सामान	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
इस्पात	644.40	565.92
ताँबा	1178.24	1368.14
हरी पत्ती	263.75	1017.66
तेल, रसायन आदि	868.72	491.92
अन्य	7349.39	9769.80
कुल	10304.50	13213.44

रु (लाख में)

(ख) आयातति और स्वदेशी कच्चे माल और उपभोग कए गए भंडार का मूल्य				
(i) कच्चा माल	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	कीमत	%	कीमत	%
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	10231.11	100.00	13041.74	100.00
	10231.11	100.00	13041.74	100.00
(ii) भंडार				
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	73.39	100.00	171.70	100.00
	73.39	100.00	171.70	100.00

रु (लाख में)

(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	31.03.2024 तक	31.03.23 तक
कच्चे माल और घटक	-	-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:		
विदेशी खर्च	0.00	0.00
(ङ) विदेशी मुद्रा में कमाई		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	536.35	2865.39

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 49 खंड रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खंड-वार पुनर्मूल्यांकन, परिणाम, संपत्ति और देनदारियां

रु (लाख में)

विवरण	समेकित	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[1] खंड राजस्व [प्रत्येक खंड से शुद्ध बिक्री/आय]		
[क] चाय	16,663.00	21,371.92
[ख] इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	-	52.14
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	8,078.33	10,342.13
[घ] अभियांत्रिकी	6,179.43	5,571.97
[ड] आवंटित नहीं की गई	64.62	65.44
कुल	30,985.38	37,403.60
कम: अंतर खंड राजस्व	-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय	30,985.38	37,403.60
[2] खंड परिणाम		
[प्रत्येक खंड से कर और ब्याज से पहले लाभ(+)/हानि(-)]		
[क] चाय	(8,752.31)	(323.13)
[ख] विदूत-कोलकाता	(124.62)	(57.27)
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	605.10	493.75
[घ] अभियांत्रिकी	1,252.03	872.52
कुल	(7,019.80)	985.87
कम:		
[i] ब्याज	1,549.73	999.45
[ii] अनैच्छिक आय का अन्य अप्राप्य व्यय निवल	(1,250.15)	(910.81)
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	(7,319.39)	897.23
असाधारण आइटम इलेक्ट्रिकल कोलकाता	-	-
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	(7,319.39)	897.23
इलेक्ट्रिकल कोलकाता के बंद परिचालन से लाभ/(हानि)।	(61.15)	-
कर देने से पूर्व लाभ	(7,380.55)	897.23
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	(957.16)	780.76
लाभ का समूह हिस्सा	1,675.94	1,148.00
कर के बाद लाभ	(4,747.44)	1,264.47
खंड संपत्ति		
चाय	28,438.63	30,347.54
इलेक्ट्रिकल -कोलकाता	2,430.06	2,501.96
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	6,938.21	11,178.62
अभियांत्रिकी	7,450.75	6,382.85
अनावंटित कॉर्पोरेट	25,803.33	23,753.79
कुल	71,060.98	74,164.76
खंड देनदारियाँ		
चाय	22,898.54	18,166.27
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2,461.38	2,486.74
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	4,340.53	8,172.09
अभियांत्रिकी	3,672.38	3,060.11



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	समेकित	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
अनावंटित कॉर्पोरेट	3,756.55	3,785.58
कुल	37,129.38	35,670.79
नियोजित खंड पूंजी (खंड संपत्ति-खंड देनदारियां)		
चाय	5,540.09	12,181.27
इलेक्ट्रिकल -कोलकाता	(31.32)	15.22
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	2,597.68	3,006.53
अभियांत्रिकी	3,778.37	3,322.74
अनावंटित कॉर्पोरेट	22,046.78	19,968.21
कुल	33,931.60	38,493.97

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2023 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2022 तक शेयरधारिता का %
1	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	एवाईसीएल के साथ विलय
2	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
3	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%

नोट 51

स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसआरएस) के अनुसार यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम पर शामिल दो 100% सहायक कंपनियों को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन की संपत्तियों और देनदारियों का लंबित हस्तांतरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त डिवीजनों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज किए गए कंपनी द्वारा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के नाम पर किए गए भुगतान को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

नोट 52

अन्य प्राप्तियों में विद्वत शुल्क के रूप में भुगतान की गई 85.96 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीकरण योजना, 2001 के तहत जारी परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 के तहत प्राप्य माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल विद्वत नियम, 1935 के प्रावधानों के तहत बिजली शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि को 31 मार्च से पांच साल की अवधि के लिए माफ कर दिया जाएगा। तथापि, प्रचुर मात्रा में सावधानी बरतने के मामले में लेखाओं में इसका प्रावधान किया गया है।

नोट 53

295.00 लाख रुपये (पिछला वर्ष 295.00 लाख रुपये) (मूल मूल्य 305 लाख रुपये) और 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर शून्य (पिछला वर्ष 153.30 लाख रुपये) (मूल मूल्य रुपये) के शून्य रेटेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड के संबंध में अधिस्थगन अवधि

मेसर्स वेबफिल लिमिटेड का 204.40 लाख रुपये) क्रमशः 21/12/2021 और 01/04/2021 को समाप्त हो गया है। 161.68 लाख रुपये के संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश का हिसाब तब लगाया जाएगा जब वे वसूल किए जाएंगे। हालाँकि मेसर्स वेबफिल लिमिटेड ने एक पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है, जिसे निम्नानुसार एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	किश्तें ए/सी वरीयता शेयर	किश्तें ए/सी बांड
2023-24	160 लाख रुपये (*)	-----
2024-24	100-120 लाख रुपये(**)	-----
2024-25	शेष राशि	140-160 लाख रुपये
2025-26	-----	शेष राशि

(*)अप्रैल 2022 में प्राप्त हुआ।

(**)अप्रैल-23 में वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में 110 लाख रुपये (टीडीएस सहित) प्राप्त होने के बाद से इसका प्रभाव तब दिया जा रहा है जब वे प्राप्त होते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 54

नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल के 04/06/2021 के आदेश के बाद 100% सहायक कंपनी, मेसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों का एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया है।

तत्कालीन मेसर्स हुगली प्रिंटिंग के स्टोर और प्लांट और मशीनरी को एमएसटीसी के माध्यम से ई-नीलामी के लिए रखा गया है और जब भी वे बेचे जाएंगे, तब प्रभाव दिया जाएगा। चूंकि उक्त संपत्तियों का वास्तविक मूल्य अभी बेचा जाना है। आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, उन संपत्तियों का वहन मूल्य 4.53 लाख रुपये की संपत्ति के उचित मूल्य में वृद्धि / कमी के रूप में नोट संख्या 35 में अन्य व्यय प्रमुख के तहत लगाया गया है। पूर्ववर्ती हुगली प्रिंटिंग कंपनी की संपत्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक किराया, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसे व्यय को 04/06/2021 से कॉर्पोरेट डिवीजन के तहत दर्ज किया गया है।

नोट 55

कंपनी स्ट्रैप के रूप में घोषित करने और अंततः उसे बिक्री के लिए रखने से पहले एक स्ट्रैप समिति द्वारा व्यक्तिगत वर्तमान या गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के निरीक्षण की प्रथा का पालन करती है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व कंपनी के लिए समग्र रूप से माना जाता है, इकाई/डिवीजन के अनुसार नहीं।

नोट 57

कैपिटल डब्ल्यूआईपी में आईएनडी-एस के अनुपालन में 9288.08 लाख रुपये (2021-22 में 8200.72 लाख रुपये) की राशि के युवा चाय पौधों के पोषण और संबंधित खर्च शामिल हैं।

नोट 58

डुआर्स में तीन चाय बागानों के भूमि पट्टे के नवीकरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 177.66 लाख रुपये की सलामी मांगी है, जिसे एवाईसीएल द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता में उच्च सरकारी प्राधिकरणों के साथ छूट के लिए लिया गया है। एवाईसीएल को कंपनी के पक्ष में इस मुद्दे के निपटान की आशा है, जो सलामी के भुगतान के बिना एवाईसीएल के एक अन्य गार्डन के लिए पट्टे के नवीकरण से भी संकेत है।

चूंकि यह मामला सरकार और अर्ध सरकारी-प्राधिकरणों/स्वायत्त निकाय (जैसा भी लागू हो) से संबंधित है और यद्यपि मांगों की माफ़ी के लिए कंपनी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है, एवाईसीएल ने एक प्रसिद्ध कानूनी सॉलिसिटर फर्म से कानूनी राय प्राप्त की है, जिसके आधार पर नोट संख्या 40 में उल्लिखित कंपनी के खिलाफ दावों में 177.66 लाख रुपये की कुल राशि शामिल है।

नोट 59

कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालांकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़ों को बनाए रखा है, जिनमें देनदारों/लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।

नोट 60

"नोट अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" (नोट 13) के तहत "वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष राशि" में पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली पुनः निधि के लिए 42.97 लाख रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में। इस संबंध में एक दावा पहले ही केंद्रीय भविष्य निधि (पीएफ) अधिकारियों के पास दायर किया जा चुका है, जिन्होंने बदले में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के साथ इसे उठाया है। यह सरकारी विभाग की ओर से देय है, तथापि, प्रचुर सावधानी के तौर पर उपरोक्त राशि खातों में उपलब्ध करा दी गई है।

नोट 61

दिनांक 12/11/2021 और 05/01/2022 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, इलेक्ट्रिकल कोलकाता संचालन की तीन इकाइयों के विद्वत प्रतिष्ठानों सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, आईएनडी एस 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्तियों को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया। चूंकि एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि आईएनडी एस 105 में निर्धारित है, भूमि और भवन के संबंध में कंपनी को अभी तक भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, जिन्हें बार-बार नीलामी आयोजित करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला, उन संपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गई राशि को निम्न स्तर पर सामान्य अचल संपत्तियों में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) से पहले इसकी अग्रणीत राशि को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किसी भी मूल्यहास, परिशोधन या पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया गया था, जिसे मान्यता दी गई होती अगर परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

b) इसकी वसूली योग्य राशि यानी 31 मार्च, 2023 को निपटान की लागत घटाकर वसूली योग्य मूल्य

लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और 147.47 लाख रुपये के नोट 35 "अन्य व्यय" में संपत्ति के उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा INDAS 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, INDAS के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार पहले बंद किए गए परिचालनों में प्रस्तुत उन संपत्तियों के संचालन के परिणामों को पुनः वर्गीकृत किया गया है और निरंतर परिचालन से आय में शामिल किया गया है।

नोट 62

चाय नर्सरी और छाया नर्सरी के लिए किया गया व्यय रु. 663.45 लाख और रु. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में होने वाली नई खेती और पुरानी खेती गतिविधियों से संबंधित राशि को अलग करना संभव नहीं है, 31.03.2023 तक उद्यान अग्रिम के तहत क्रमशः 154.06 लाख का हिसाब लगाया गया है। इसका पता केवल 18 महीने की समाप्ति पर ही लगाया जा सकता है।

नोट 63

कंपनी ने निम्नलिखित तरीकों से 01/04/2019 से प्रभावी आईएनडी एस -116 को अपनाया है: (क)मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते और/या अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और नीचे (बी) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, ऐसे पट्टे की शेष अवधि 01/04/2019 तक है। (ख) असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने, भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर, नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 पट्टेदार को अधिकार का अधिकार प्रदान करती है। अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, उपकरणों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए।

नोट 64

कंपनी ने 31.03.2024 तक बैंक उधारों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिनके लिए उक्त उधार स्वीकृत किए गए हैं और लिए गए हैं।

नोट-65

कंपनी ने अंतिम कंपनी/वित्तपोषण कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी/प्रतिभूति प्रदान की है।

नोट-66

बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को छोड़कर चूंकि कोई ऋण देने वाला बैंक नहीं है, ऐसे बयान का सवाल ही नहीं उठता।

नोट-67 अन्य विनियामक सूचना

- (i) ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो कंपनी के नाम पर न हो।
- (ii) कंपनी ने केएमपी, प्रमोटर्स या संबंधित पक्षों को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, जो (i) मांग पर चुकाने योग्य हैं या (ii) बिना किसी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए।
- (iii) कंपनी के पास कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- (iv) कंपनी का बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।
- (v) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।
- (vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या धन का निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
 - (a) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना
 - (b) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

- (vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- (a) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें।
- (b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।
- (viii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान।
- (ix) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (x) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (xi) वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

Note-68

तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

- [a] ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
- [b] इन खातों के आंकड़ों को निकटतम लाखों रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।
- [c] पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

एसके एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं. : 302081E
एम.सी.कोडाली
 पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)
 स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 29 मई 2024
 यूडीआईएन : 24056514BKAU-
 GV5722

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 03594804



फॉर्म एओसी - 1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार]

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग - A: सहायक कंपनियाँ

(रूपये लाख में)

1.	क्र.सं.	1	2
2.	सहायक कंपनी का नाम	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्टिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्ट करना	INR	INR
5.	शेयर पूंजी	5.00	5.00
6.	आरक्षित और अधिशेष	(10.12)	(13.83)
7.	कुल संपत्ति	0.06	-
8.	कुल देनदारियों	0.06	-
9.	निवेश	-	-
10.	कारोबार	-	-
11.	कराधान से पहले लाभ	(0.63)	(0.67)
12.	कराधान के लिए प्रावधान	-	-
13.	कराधान के बाद लाभ	(0.63)	(0.67)
14.	प्रस्तावित लाभांश	-	-
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	100%	100%

टिप्पणियाँ:

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है: लागू नहीं
2. वर्ष के दौरान परिसमापन या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम: लागू नहीं



भाग-ख: सहयोगी

(रूपये में)

क्र. सं.	सहयोगियों का नाम	टाइड वाटर कंपनी (आई) लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31 मार्च 2024
2.	वर्ष के अंत में कंपनी के पास सहयोगी के शेयर	
	i. संख्या	4571115
	ii. सहयोगी में निवेश की राशि (लाख रुपये में)	164.56
	iii. होल्डिंग की सीमा % में	26.23
3.	कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इसका विवरण	नोट 3 देखें
4.	कारण कि सहयोगी को समेकित नहीं किया गया है	लागू नहीं
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण नेटवर्थ (लाख रुपये में)	82749.00
6.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. समेकन में विचार किया गया (लाख रूपये में)	3770.56
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

- उन सहयोगियों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: लागू नहीं
- वर्ष के दौरान नष्ट या बेचे गए सहयोगियों के नाम: लागू नहीं
- शेयरधारिता के प्रतिशत (%) के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- कंपनी का कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए संयुक्त उद्यम से संबंधित भाग-ख लागू नहीं है।

एसके एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं. : 302081E

एम.सी.कोडाली

पार्टनर (सदस्य सं. : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 मई 2024

यूडीआईएन : 24056514BKAUGV5722

सुचरिता दास

कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा

निदेशक वित्त

डीआईएन : 10373225

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री अनंत मोहन सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 03594804



एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
प्रदर्शन एक नज़र में

रु. लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष									
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कारोबार	35,514.83	35,759.86	41,966.72	35,008.18	30,463.06	29,707.98	33,050.79	41,439.28	37,403.60	30,985.38
कुल आय	40,213.71	38,997.73	46,878.76	38,913.50	35,260.32	32,996.23	36,106.65	47,098.14	40,578.87	34,852.66
करों से पहले लाभ	1,389.16	927.36	3,849.95	2,357.32	1,051.12	(2,125.38)	1,470.35	1,120.17	898.23	(7318.10)
कर	93.10	92.07	589.86	645.73	180.93	(73.37)	(649.39)	1,209.88	780.76	(957.16)
कर उपरांत लाभ	1,296.06	835.29	3,260.09	1,711.59	870.19	(2,052.01)	2,119.74	(89.71)	117.47	(6,360.94)
अन्य व्यापक आय	-	-	(276.26)	205.75	(733.19)	484.34	66.51	73.30	(184.56)	219.3
कुल व्यापक आय	-	-	2,983.83	1,917.34	136.99	(1,567.67)	2,186.25	(16.41)	(67.09)	(6,202.79)
निवल मूल्य (*)	8,990.27	19,813.14	17,571.71	18,900.58	18,802.19	17,234.52	19,420.55	8,720.93	18,660.54	12,423.52

* नेटवर्थ में आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं है

** वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के विवरण को एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित खातों के अनुसार माना जाता है।